Par. S. 17. I. 33. 52.
285

अंक १
संख्या ३३

बुधवार
२ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

— -:o:—-

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २०४९—२०६०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २०६०—२१०४]

(मूल्य ४ आने)

408 PSD

लोक सभा

बुधवार, २ जुलाई, १९५२

सदन की बठैक स वा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सन् १९४६ में डाक कर्मचारियों की हड़ताल

श्री के० सुब्रह्मण्यम : (क) क्या **संचरण** मंत्री प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की कृपया विशद व्याख्या करेंगे जो उन्होंने २५ जून १९५२ को डाक कर्मचारियों की इस मांग के सम्बन्ध में दिया था कि उन्हें सन् १९४६ की हड़ताल कालावधि के लिये पारिश्रमिक दिया जाये ? उस सम्बन्ध में तत्कालीन संचरण मंत्री ने डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश नारायण, को जो आश्वासन दिये बताये जाते हैं, उन पर भी प्रकाश डाला जाये ।

(ख) क्या सरकार वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें यह पारिश्रमिक देने के लिये तैयार नहीं, या कि किसी सिद्धान्त के आधार पर ऐसा करने से झिझकती है ?

(ग) यदि उनकी मांग स्वीकार की जाती तो सरकार को कितना रुपया देना पडता ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) श्रीमान् आप की अनुमति से मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक वक्तव्य द्वारा देना चाहता हूं जिस में कि मैं प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की विशद व्याख्या करूंगा जो कि उन्होंने २५ जून, १९५२ को अखिल भारत डाक कर्मचारी तथा निम्न श्रेणी कर्मचारी संघ की इस मांग के सम्बन्ध में दिया था कि उन्हें सन् १९४६ के हड़ताल काल के लिये पारिश्रमिक दिया जाये । इस संघ के अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश नारायण, ने २१ दिन का व्रत रखा है जो कि उनके वक्तव्य के अनुसार उन्होंने उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये रखा है जो तत्कालीन संचरण मंत्री, श्री रफ़ी अहमद किदवई, के साथ उनकी कुछ समझौते की बातचीत के असफल रहने पर उन्होंने की थी ।

(२) प्रधान मंत्री ने श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा उठाये गये कदम पर दुःख प्रकट किया है ।

(३) इस प्रश्न का सम्बन्ध आज से छः वर्ष पूर्व सन् १९४६ के मध्य में हुई एक हड़ताल से है जब कि तत्कालीन सरकार एक 'काम-चलाऊ सरकार' थी। ११ जुलाई १९४६ को डाक तथा तार विभाग के डाकियों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों ने हड़ताल की । अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी उनके साथ मिल गये । डाकियों तथा निम्न श्रेणी कर्मचारिवृन्द संघ की कुछ मांगें पूर्णतयः अथवा आंशिक रूप से मान

ली गईं, शेष रद्द कर दी गईं। हड़ताल की समाप्ति पर कर्मचारियों को हड़ताल की कालावधि के लिये पारिश्रमिक देने का प्रश्न उठाया गया। ऐसे मामलों में केवल हड़तालियों को कभी भी न केवल हड़ताल कालावधि के लिये पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है अपितु उनकी अनुपस्थिति का काल उनकी छुट्टियों अथवा निवृत्ति-वेतन के निर्धारण में भी गिना नहीं जाता है। इस मामले में तत्कालीन संचार मंत्री, सर एरिक कोनरन, के एक सन्दिग्ध वक्तव्य दिये जाने के कारण दिसम्बर १९४७ में तत्कालीन संचार मंत्री, श्री रफी अहमद किदवई, द्वारा यह आदेश दिया गया कि हड़ताल की कालावधि को छुट्टियों तथा निवृत्ति-वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में गिन लिया जाये। यह एक बड़ी रियायत थी। यह बात स्पष्ट की गई कि इसे भविष्य के लिये एक पूर्वदृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

४. हड़ताल काल के लिये वेतन प्राप्त करने के उद्देश्य से डाक कर्मचारी संघ द्वारा कई कोशिशें की गईं। सरकार सिद्धान्ततः हड़ताल काल के लिये वेतन देने के विरुद्ध रही है और अब भी है। इसलिये इस मांग को रद्द किया गया। वित्तीय कठिनाइयों का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इस में लगभग दस लाख रुपये की बात आ जाती थी।

५. श्री जय प्रकाश नारायण ने इस विषय के सम्बन्ध में श्री रफी अहमद किदवई तथा प्रधान मंत्री के साथ कई बार बातचीत की तथा पत्र-व्यवहार किया। श्री रफी अहमद किदवई ने जहां हड़ताल काल के लिये वेतन दिये जाने के किसी भी सुझाव को स्वीकार न करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया वहां वह किसी भी उचित प्रस्थापना पर जिसमें हड़ताल काल के लिये वेतन देने की बात न होती, विचार करने के लिये तैयार थे। किसी न किसी तरह से श्री जय प्रकाश नारायण इस ख्याल में रहे कि श्री रफी अहमद किदवई ने हड़ताल काल के लिये हड़तालियों को वेतन देने का अथवा उन्हें किसी और रूप में प्रतिकर देने का वचन दे दिया।

६. श्री रफी अहमद किदवई का निश्चित कथन यह है कि उन्होंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। मैंने सरकारी कागज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इन में ऐसी कोई भी बात नहीं दी गई है जिस से यह पता चलता हो कि उन्हें कोई वचन दिया गया था। यहां मैं उन शब्दों को उद्धृत करता हूं जो उन्होंने ७ फरवरी १९५० को इस सदन में श्री आर० एल० मालविया के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर में कहे। श्री किदवई ने कहा :—

> "..... १९४६ के हड़ताल काल के लिये पारिश्रमिक देने का कोई वचन नहीं दिया गया था और इस 'वचन' के परिपालन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। १९४६ के हड़ताल काल के लिये पारिश्रमिक देने की मांग के सम्बन्ध में सरकार की यह धारणा रही है कि कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है। वह हड़ताल काल के लिये वेतन देने की बात को छोड़, किसी भी अन्य हल पर तथा किसी भी व्यवहार्य प्रस्थापना पर विचार करने के लिये तैयार है।"

७. श्री जय प्रकाश नारायण ने भी

२४ सितम्बर १९४९ को श्री रफी अहमद किदवई के नाम लिखे हुये पत्र में इस विषय पर अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुये लिखा है :-

"कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग यह भी थी कि उन्हें १९४६ के हड़ताल के लिये पारिश्रमिक दिया जाय । जैसे कि आप को याद होगा आप ने मुझे बताया था कि आप तीन एक महीने के बाद इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कर सकेंगे । आप ने बताया था कि ऐसी ही एक दशा में जब कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी आप ने उन्हें हड़ताल कालावधि के लिये असाधारण छुट्टियों के वेतन के रूप में भुगतान करने की व्यवस्था की थी ।"

इसके बाद भी श्री जय प्रकाश नारायण ने ४ जनवरी, १९५० के अपने पत्र में प्रधान मंत्री को इन शब्दों में लिखा था :-

"रफी साहिब ने मुझे आश्वासन दिया था कि तीन महीने के बाद वह १९४६ के हड़ताल काल के लिये पारिश्रमिक देने की मांग के सम्बन्ध में यथासम्भव कार्यवाही करेंगे । उन्होंने यह भी कहा था कि वहऐसा हल निकालेंग जिस से कि हड़तालियों को वह भुगतान हड़ताल काल के लिये वेतने के रूप में नहीं परन्तु बकाया अथवा विशिष्ट छुट्टियों के वेतन के रूप में प्राप्त हो सके ।"

इस का उत्तर श्री रफी अहमद किदवई ने २९ जनवरी, १९५० के अपने पत्र में दिया था जिस में कि उन्हों ने अपने विचारों को ऐसे दुहराया था :--

"मैं ने इस बात कोबार बारस्पष्ट किया था कि हम हड़ताल कालावधि के लिये पारिश्रमिक देने की बात को कभी भी नहीं मान सकते हैं । गत वर्ष फरवरी के महीने में हुई चर्चा में मुझे किसी विशिष्ट हड़ताल की याद दिलाई गई थी, जिस के विषय में यह बात मान ली गई थी कि यदि किसी कर्मचारी की अर्जित छुट्टियां बाकी हों तो हड़ताल कालावधि को छुट्टी के कारण अनुपस्थिति में बदल दिया जायेगा । उस समय मैं ने यह आश्वासन दिया था कि तीन महीने के बाद मैं कोशिश करूंगा तथा यदि सम्भव होगा तो ऐसा कोई उपाय निकालूंगा । जब मैं ने इस मामले की जांच की मैं ने देखा कि ऐसा कोई हल व्यवहार्य नहीं है । हड़ताल को हुए दो से अधिक वर्ष बीत गये थे और यदि किसी भी कर्मचारी की हड़ताल के समय अर्जित छुट्टियां बाकी थीं, उस ने वह ली होंगी । इन कारणों से मैं कोई व्यवहार्य हल नहीं निकाल सका हूं । मैं किसी भी समय किसी भी सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हूं । परन्तु मैं कोई भी ऐसा सुझाव मान लेने को तैयार नहीं हूं जिस से कि बाद में कठिनाइयां उत्पन्न हो जायें । हड़ताल काल को वर्जित छुट्टियों में बदल देना एक प्रकार के दण्ड को दूसरे

प्रकार के दण्ड में बदल देना है, अर्थात् वेतन की जब्ति के बजाय अर्जित छुट्टियों की जब्ति । किन्तु उन्हें हड़ताल काल के लिये वेतन दे कर आगे की अर्जित छट्टियां न देना एक अलग बात है । मैं ने अपनी असमर्थता प्रकट की है कि मैं कोई उपाय नहीं निकाल सका हूं । यदि आप किसी उपाय का सुझाव दे देंगे तो मैं उस पर विचार करने के लिये सदैव तैयार हूं। मुझे यह जान कर हैरानी हुई कि आप इसे मेरी ओर से १९४६ के हडताल काल के लिये वेतन देने के बारे में एक निश्चित सूझ बूझ अथवा वचन समझते हैं । आप स्वयं अपने पत्र में लिखते हैं कि मैं ने यह आश्वासन दिया था कि तीन महीने के बाद मुझ से जो कुछ हो सकेगा वह करूंगा । इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं ने केवल किसी सम्भावित उपाय पर विचार करने का वचन दिया था । इस को इस से अधिक नहीं समझा जा सकता है । यह आश्वासन मैं अब भी देता हूं। हमें केवल एक व्यवहार्य उपाय ढूंढना है ।"

८. श्री रफी अहमद किदवई द्वारा इस सदन में तथा अपने पत्र में किये हुये खंडन को ध्यान में रखते हुए उन की नीति स्पष्ट है । फिर भी श्री जय प्रकाश नारायण अनुभव करते हैं कि श्री किदवई ने अपनी प्रतिज्ञा भंग की है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह गलतफहमी थी जो कि बाद में प्रधान मंत्री तथा श्री रफी अहमद किदवई ने दूर की है। जहां तक इस सम्बन्ध में कोई व्यवहार्य उपाय ढूंढने के लिये तत्पर रहने के आश्वासन का सम्बन्ध है, सरकार अब भी इस को माने हुए है ।

९. समाचारों से पता चलता है कि अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ १५ जुलाई, १९५२ से हड़ताल का नोटिस देने की सोच रहा है जो कि ५ अगस्त, १९५२ से चालू होगा । हमें शासकीय तौर पर इस का अभी कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है । श्री जय प्रकाश नारायण ने अपना व्रत लेने के अवसर पर जो वक्तव्य निकाला है उस में उन्हों ने कहा है :—

"मेरा व्रत चूंकि एक व्यक्तिगत मामला है, मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई प्रकाशना, आन्दोलन अथवा समवेदना-प्रदर्शन किया जाये । विशेषकर डाकियों को यह न समझना चाहिये कि उन की इस मामले में कोई जिम्मेदारी है, और उन्हें मेरे लिये कोई आन्दोलन नहीं करना चाहिये।"

इन परिस्थितियों में यह हड़ताल अत्यन्त ही दुर्विचारित है । सरकार को आशा है कि डाकिये तथा निम्न श्रेणी के अन्य डाक कर्मचारी सद्विचार से काम ले कर कोई ऐसा कदम न उठायेंगे जिस से कि जनता को कोई घोर असुविधा हो और वह उन की निन्दा के पात्र बनें ।

१०. समाचार पत्रों में संघ की जो कथित शिकायतें प्रकाशित हुई हैं उन पर चर्चा करनें की सदन मुझ से आशा न करेगा । सरकार डाकियों तथा निम्न श्रेणी के अन्य डाक कर्मचारियों की सेवाओं की महत्ता को भली भांति समझती है और वह उन की सभी वैध शिकायतें दूर करने को तैयार है यदि उन्हें उचित रीति से विधिपूर्वक सरकार के ध्यान में लाया जाये ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पास किये गये संकल्प के अनुसार यह आश्वासन न प्रधान मंत्री ने और न ही मंत्रि-मंडल ने दिया था, परन्तु तत्कालीन संचार मंत्री ने श्री जय प्रकाश नारायण को डाक कर्मचारी संघ के दस सदस्यों के सामने दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह एक प्रतिवक्तव्य दे रहे हैं ? वह सूचना मांग सकते हैं, किन्तु प्रतिवक्तव्य नहीं दे सकते ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का ज्ञान है तथा उन की प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : किस बात का ज्ञान ?

श्री के० सुब्रह्मण्यम : डाक कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पास किये गये संकल्प का । मुझे यह उन के सामने रखना है ।

श्री जगजीवन राम : मैं वक्तव्य में पहले ही कह चुका हूं कि हम ने इसे समाचार पत्रों में देखा है किन्तु हमें हड़ताल के सम्बन्ध में शासकीय तौर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : यह वह बैठक है जो १९ अक्टूबर १९४९ को हुई थी । इस में एक ओर से श्री जय प्रकाश नारायण तथा कार्य-कारिणी परिषद् के दस सदस्य और दूसरी ओर से श्री किदवई थे । उस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री जगजीवन राम : श्रीमान्, मैं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि श्री किदवई की ओर से कोई वाग्बद्धता नहीं हुई थी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं इस सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं । १९४६ में जिन डाकियों ने हड़-ताल कर रखी थी उन की ओर से निरन्तर रूप से मांग की जा रही है कि उन्हें हड़ताल काल के लिये वेतन दिया जाये ।

सरकार की ओर से उस समय जो उत्तर दे दिया गया था उस में निश्चित रूप से यह कहा गया था कि हड़ताल काल के लिये वेतन देने का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है । श्री जय प्रकाश नारायण के पत्र में निर्दिष्ट तारीख को चर्चा हो रही थी । मुझे याद दिलाया गया कि किसी पूर्व अवसर पर किसी अन्य स्थान पर, जबकि मैं किसी हड़ताल का निवारण कर रहा था, मैं ने यह बात मान ली थी कि जिन हड़तालियों की अर्जित छुट्टियां जमा हैं उन का हड़ताल काल के लिये वेतन न काट कर उन की अर्जित छुट्टियां ज़ब्त की जानी चाहियें । तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों की अर्जित छुट्टियां जमा थीं उन की छुट्टियां ज़ब्त हुईं तथा शेष का वेतन कट गया । मैं ने इस प्रस्थापना की सम्भावनाओं पर विचार करना मान लिया तथा यह जानने का प्रयत्न किया कि इस रियायत से कितने प्रति शत लोग लाभ उठा सकेंगे । मैं ने अपने सलाहकारों से परामर्श किया और उन्हों ने कहा कि दण्ड का तरीका बदला जा सकता है । सभी राज्यों से वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में लगभग तीन महीने लगे । मुझे पता चला कि जिस दिन हड़तालियों ने हड़ताल शुरू की उस दिन बहुत कम कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां बाकी थीं । संघ की ओर से तथा श्री जय प्रकाश नारायण की ओर से यह प्रस्थापना रखी गई कि कर्मचारियों की भविष्य की अर्जित छुट्टियों में से हड़ताल के दिन काट लिये जायें । मैं ने यह बात नहीं मान ली । श्री जय प्रकाश नारायण ने एक पत्र में लिखा कि मैं ने वचन दिया था कि मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा । इस बात से यह स्पष्ट है कि मैं ने कोई निश्चित बचन नहीं दिया था । केवल यह कहा था कि उपाय ढूंढने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : क्या सरकार इस सदन के सदस्यों की एक गैर-सरकारी समिति नियुक्त करेगी जो इस बात की जांच करेगी कि तत्कालीन संचार मंत्री ने डाक कर्मचारी संघ के सदस्यों को क्या आश्वासन दिये थे ?

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि उन का प्रश्न ग्राह्य नहीं क्योंकि वह एक सुझाव दे रहे हैं फिर भी मैं उन्हें यह पूछने की अनुमति देता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है । यदि यह सरकार द्वारा अपना वचन तोड़ने का आरोप है तो सरकार इसे किंचित मात्र भी स्वीकार नहीं करेगी । और किसी व्यक्ति से इस आधार पर बातचीत नहीं करेगी कि उस की नीति ढोंगपूर्ण थी । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यह मान का एक प्रश्न है । यदि उन के लिये यह नैतिकता का प्रश्न है तो हमारे लिये भी यह नैतिकता का एक प्रश्न है । विशेषकर मेरे लिये जो इस सरकार का प्रधान मंत्री है । मैं सदा ही इस समझौते की बातचीत में भाग लेता रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं कि यह पूर्ण रूप से ग़लत है । निस्सन्देह इस सम्बन्ध में गलत-फहमी हो सकती है किन्तु यह कहना पूर्ण रूप से ग़लत है कि हम ने किसी भी समय ऐसा आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे । आश्वासन यह दिया गया था कि उपाय ढूंढने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा, हो सकता है कि लोगों को ग़लती लगी हो । इस सम्बन्ध में सदन की कोई समिति अथवा कोई न्यायालय अथवा कोई न्यायाधीश क्या करेगा ? हम आज भी इस मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिये तैयार हैं । हमें मालूम है कि क्या कुछ कहा गया था । यह बात मान ली जानी चाहिये । यदि वह हमारे सद्भावों को चुनौती देते हैं तो सारा मामला वहीं पर खत्म हो जाता है । हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं यदि हम इस सम्बन्ध में एक दूसरे को झूठा समझते हों । यह आश्चर्य की बात है कि गत तीन वर्षों में यह बात बार बार दुहराई गई है । मेरे माननीय सहयोगी ने कुछ पत्रों का उद्धरण दिया है । मैं ने स्वयं चार पांच लम्बे लम्बे पत्र लिखे हैं । यह छै सात वर्ष पुराना मामला है । मुझे इस बात का अत्यन्त ही दुःख है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनायें उत्पन्न हो । मुझे यह समझ में नहीं आता है, मैं इस प्रकार के सार्वजनिक जीवन का आदी नहीं हूं ।

श्री वैलायुधन : वचन पालन अथवा वचन भंग के मामले को एक ओर रख कर क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि वचन भंग के अतिरिक्त हड़ताल के और क्या कारण दिये गये हैं ?

श्री जगजीवन राम : जैसे कि मैं ने निवेदन किया, हम ने समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है । मेरे माननीय मित्र इस बात को देख सकते हैं कि इस मुख्य मांग के साथ और मांग भी जोड़ दी गई हैं ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या .....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें इस मामले पर और अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुध भंडार

*१३८७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री ३ मार्च, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न स्थानों पर स्थित आयुध (आर्डनैंस) डिपुओं में कुछ पार्सल अब भी बन्द पड़े हैं; तथा

(ख) यदि हैं, तो इन्हें खोलने का काम कब पूरा होने की आशा है और इन्हें कब फिर से बांधा जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) उन्हें खोलने तथा पुनः बांधने के काम के ३१ अक्टूबर १९५३ तक पूरा होने की आशा है ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

*१३८८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की कुल कितने बैंचें कार्य कर रही थीं ;

(ख) उस तारीख को उन के पास कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ; तथा

(ग) वर्ष १९५१-५२ में इन के द्वारा कितने मामले निपटाये गये हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) आठ । दो बम्बई में, दो मद्रास में, एक कलकत्ता में, एक दिल्ली में, एक इलाहबाद में तथा एक पटना में।

(ख)

बम्बई बैंच	३२८५
मद्रास बैंच	१६३०
कलकत्ता बैंच	२२६४
दिल्ली बैंच	१६३४
इलाहाबाद बैंच	७२५
पटना बच	८११
कुल	१०,३४९

(ग) १०,०७४

संसद् सदस्यों के भत्ते

*१३८९. **श्री एस० एन० दास** : क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने संसद् के वर्तमान सत्र में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार किया है जिस में संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निश्चित किये जायेंगे ; तथा

(ख) यदि किया है, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) तथा (ख). यह मामला सरकार के विचाराधीन है और वह संसद् की उस संयुक्त समिति की सिपारिशों की प्रतीक्षा कर रही है जिसे अध्यक्ष महोदय ने ६ जून, १९५२ को संसद् सदस्यों के वेतनों तथा अथवा भत्तों के प्रश्न की जांच करन के लिये नियुक्त किया है ।

सामान्य निर्वाचन

*१३९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत साधारण निर्वाचन में लोक सभा के किन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमानुसार मतदान की अधिक से अधिक प्रतिशतता रही ; तथा

(ख) लोक सभा के निर्वाचन में वह प्रथम तीन निर्वाचन क्षेत्र कौन हैं जहां सफल उम्मीदवारों ने डाले गये मतों की अधिक प्रतिशतता प्राप्त की ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) तीन निर्वाचन क्षेत्र जिन में मत दाताओं की अधिकतम प्रतिशतता ने भाग लिया यह हैं :—

(१) काट्टेयम (त्रावनकोर-कोचीन) ८०.५ प्रतिशत

(२) अल्लप्पी (त्रावनकोर-कोचीन) ७८.१ प्रतिशत

(३) गुडीवाडा (मद्रास) ७७.९ प्रतिशत ।

(ख) तीन निर्वाचन क्षेत्र जिन में सफल उम्मीदवारों ने डाले गये मतों की अधिकतम प्रतिशतता प्राप्त की, यह है :—

(१) बस्तर (मध्य प्रदेश), ८३ प्रतिशत

(२) विकाराबाद (हैदराबाद), ७७.९ प्रतिशत

(३) चायबासा (बिहार) ७६.९९ प्रतिशत ।

दोहरा आयकर परित्राण

*१३९१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री १० अप्रैल १९५० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा इंगलिस्तान के बीच दोहरे आयकर परित्राण के सम्बन्ध में अब भी बात चीत चल रही है ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने एक पक्षीय रूप से इंगलिस्तान के उन नागरिकों को यह सुविधा दी है जो भारत में रह रहे हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई ऐसा परित्राण नहीं दिया गया है, किन्तु भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से उस आय के सम्बन्ध में, जो कि उसे भारत से बाहर प्रोद्भूत अथवा प्राप्त होती हो और जिस पर भारत तथा इंगलिस्तान दोनों कर लगाते हों, आयकर की वसूली उस समय तक स्थगित की गई है जब तक कि दोहरे करारोपण के निवारण के लिये कोई द्विपक्षीय समझौता न हो। और भी, भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक १९५२ का, जो कि अब इस सदन के सामने है, २५वां, खण्ड केन्द्रीय सरकार को एकपक्षीय रूप से उस खण्ड में दिये गये परित्राण उपबन्धों को देने का अधिकार दे देता है, जो कि यदि आवश्यकता पड़े, इंगलिस्तान में प्रोद्भूत अथवा प्राप्त उन आयों पर भी लागू हो सकता है जिन पर कि सन् १९४९-५०, १९५०-५१ अथवा १९५१-५२ में भारतीय कर लगाया गया है ।

आयोग तथा समितियां

*१३९२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या वित्त मंत्री ७ मार्च, १९५१ को श्री टी० आर० देवगिरिकर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९६४ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सम्बन्धित संसद् सदस्यों ने भत्तों के रूप में जो अधिक धन लिया था क्या उसे अब विनियमित कर दिया गया है ;

(ख) इस से कितने संसद् सदस्य प्रभावित हैं ;

(ग) क्या लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग ने इस बात को ज्ञात नहीं कर लिया था ;

(घ) यदि नहीं तो इस भूल के लिये कौन उत्तरदायी है ; तथा

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई अनुदेश अब जारी किये गये हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) छः ।

(ग) ऐसे मामलों में लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिये दोहरे भुगतान को देखना संभव नहीं था क्योंकि (१) इन संसद्

सदस्यों ने संसद् के सत्रों सम्बन्धित अपनी यात्रा तथा दैनिक भत्तों की विलों पर यह तसदीक़ की थी कि उन्हों ने इसी यात्रा तथा काल के लिये किसी अन्य सरकारी स्रोत से ऐसे भत्ते प्राप्त नहीं किये थे और लेखा परीक्षा अधिकारियों ने भी इन के इन प्रमाण पत्रों पर विश्वास किया; और (२) यह भत्ते भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा स्थापित की गई समितियों की बैठकों से सम्बन्धित थे। यह मंत्रालय तथा विभाग विभिन्न लेखा अधिकारियों के लेखा परीक्षा क्षेत्र में हैं।

(घ) जिन व्यक्तियों ने दो बार यह भत्ते लिये हैं वही इस गलती के ज़िम्मेदार हैं।

(ङ) ऐसी अनियमितताओं के निवारण के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं।

सामान्य निर्वाचन

*१३९३. **श्री बी० शिवा राव :** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में हुए चुनावों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ;

(ख) यह रिपोर्ट कब तैयार होगी ; तथा

(ग) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रख दी जायेगी ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) निर्वाचन आयोग को साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करने का विचार है, तथा इस उद्देश्य के दृष्टिगोचर उन्हों ने विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सांख्यकीय तथा अन्य सामग्री एकत्रित करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा है।

(ख) अभी यह कहा नहीं जा सकता कि रिपोर्ट कब तैयार हो जायेगी।

(ग) निर्वाचन आयोग का रिपोर्ट पेश किये जाने पर इस बात पर विचार किया जायेगा।

मनीपुर को युद्ध क्षतिपूर्ति

*१३९४. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह घतलाने की कृपा करेंगे कि युद्ध क्षत्तिपूर्ति का भुगतान करने के लिये सरकार ने मनीपुर के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि मंज़ूर की है ?

(ख) मनीपुर में अब तक कुल कितने दावों का भुगतान किया गया है और अभी कितने दावे अनिर्णीत पड़े हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि मनीपुर में १४,००० दावों में से दो हज़ार दावों के भुगतान के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत की कटौती की गई है ? यदि की गई है तो कैसे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) युद्ध क्षत्तिपूर्ति के रूप में २,१८,४४,३३० रुपये दिये जा चुके हैं। इस के अतिरिक्त उन क्षेत्रों में जो कि आसाम सहायता कार्यवाही क्षेत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं (जिन में नागा पर्वत ज़िले के कुछ भाग भी शामिल हैं), दो करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है।

(ख) भुगतान किये गये दावों की संख्या १६,५४५ है; अनिर्णीत दावों की संख्या ३,८०० है।

(ग) जी नहीं। वास्तव में स्थिति यह है कि लगभग २,००० दावों से, जिन की पूर्व-लेखा-परीक्षा हुई थी, इस बात का पता लगा कि प्रारम्भतः स्वीकृत राशि से कम धनराशि दी जानी थी। प्रत्येक मामले पर इस के गुण दोषों के आधार पर विचार किया गया।

आसाम सहायता कार्यवाहियां

* १३९५. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के, जो कि 'आसाम सहायता कार्यवाही क्षेत्र' के नाम से प्रसिद्ध है, युद्धग्रस्त व्यक्तियों में कितना रुपया बांटा गया है ?

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि 'आसाम सहायता कार्यवाही क्षेत्र' की जनता को केवल सहायता दी जाये, क्षत्तिपूर्ति नहीं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) 'आसाम सहायता कार्यवाही क्षेत्र' के मनीपुर तथा नागा पर्वत ज़िले में लगभग २·३ करोड़ रुपये बांटे गये हैं । मनीपुर के क्षेत्रों के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

(ख) आसाम सहायता कार्यवाही से न केवल सहायता मिली है अपितु उस क्षेत्र में हुआ नुकसान भी पूरा हुआ है ।

आसाम में कोयला

***१३९६. श्री बेली राम दास** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सत्य है कि आसाम राज्य में स्थित गारो पहाड़ियों के ज़िले में बढ़िया किस्म का कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध है ? तथा

(ख) इस कोयले को खानों से निकालने के लिये अब तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) हां, श्रीमान् । गारो पहाड़ियों के सिजू तथा दार्रगिरि क्षेत्रों में कोयले की खानें होने का पता चला है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि गारो पहाड़ियों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कोयला तथा अन्य खनिज निकालने के लिये दो भारतीय कम्पनियों, अर्थात् ,एसोसीएटिड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटिड तथा आसाम माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटिड को खानकनी के दो पट्टे दिये गये हैं ।

नागा पर्वतों में तेल

*** १३९७. श्री बेली राम दास** : **क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि आसाम राज्य में स्थित नागा पर्वत ज़िले में तेल के स्रोतों का पता चला है ;

(ख) इन स्रोतों से तेल निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि आसाम के कई अन्य ज़िलों में भी कई तेल के स्रोत हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री : (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ग). ऊपरी आसाम तथा पूर्वी आसाम के पटकोई तथा नागा पर्वत क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी की चट्टानों में तेल का पता लगा है । वहां तेल है, यह बात आज ७०-८० वर्ष से मालूम है ।

(ख) इस प्रदेश में कई क्षेत्र खोज की अनुज्ञप्ति अथवा खानकनी के पट्टों पर आसाम आयल कम्पनी को दे दिये गये हैं और यह कई वर्षों से तेल निकालने की आशा में खुदाई का काम आदि कर रही है । डिगबोई के समीप तेल के कुछ कुएं हैं जहां से कि तेल प्राप्त होता है और इस स्थान पर तेल साफ करने का एक कारखाना भी है ।

आसाम में खनिज पदार्थ

***१३९८. श्री बेली राम दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम राज्य में सोना, लोहा, मोनाज़ाइट आदि खनिज पदार्थों का

पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया था ;

(ख) यदि किया गया था तो इस का परिणाम क्या निकला; तथा

(ग) इन क्षेत्रों के परिमाप पर कितना धन व्यय किया गया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलान आज़ाद) : (क) भारतीय भूतत्वीय परिमाप संस्था के संचालक ने सूचना दी है कि हाल ही के वर्षों में आसाम राज्य में सोना, लोहा, मोनाज़ाइट आदि खनिजों का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पटसन पर निर्यात शुल्क

*१३९९. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से ले कर १९५१ तक (जिन में उक्त दोनों वर्ष सम्मिलित हैं) के वर्षों में पटसन तथा पटसन से बने माल पर निर्यात-शुल्क के रूप में कुल कितना राजस्व प्राप्त किया गया है ;

(ख) इन वर्षों में पश्चिमी बंगाल को इस राजस्व का कितना भाग दिया गया है ; तथा

(ग) सन् १९४६ से पूर्व किस आधार पर बंगाल का भाग निश्चित किया जाता था और अब किस आधार पर यह निश्चित किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पटसन तथा पटसन से बने माल पर निर्यात शुल्क के रूप में जो कुल शुद्ध राजस्व प्राप्त किया गया है वह यह है :—

१९४७-४८ (विभाजन उपरान्त) ६·४१ करोड़ रुपये
१९४८-४९ ७·१५ करोड़ रुपये
१९४९-५० ९·६८ करोड़ रुपये

और १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में जब कि राज्यों को शुल्क का कोई भी भाग देना बंद कर दिया गया, कुल संग्रह क्रमश: २६·१२ करोड़ तथा ५९·३३ करोड़ रुपये के लगभग था ।

(ख) पश्चिमी बंगाल को दिया गया भाग यह था :—

१९४७-४८ (विभाजन उपरान्त) ५६ २२ लाख रुपये ।
१९४८-४९ ६४ ८९ लाख रुपये
१९४९-५० ८२ ४४ लाख रुपये

बाद के वर्षों में इस शुल्क का कोई भाग न ही पश्चिमी बंगाल को दे दिया गया और न ही किसी अन्य राज्य सरकार को ।

(ग) देश के विभाजन से पूर्व पटसन तथा पटसन से बने माल पर निर्यात शुल्क लगाने से जो वार्षिक शुद्ध आय प्राप्त होती थी उसका ६२ १/२ प्रतिशत भाग पटसन उत्पादक राज्यों में, जिन में बंगाल भी था, विगत पांच योरपीय वर्षों में कच्ची पटसन के औसत उत्पादन के अनुपात के आधार पर वितरित किया जाता था । इसके पश्चात् १९५०-५१ में वर्तमान संविधान के लागू होने तक शुद्ध आय का २० प्रति शत भाग इन राज्यों को दिया जाता था । १९५०-५१ से पटसन तथा पटसन से बने माल से जो निर्यात शुल्क प्राप्त होता है उसका कोई भी भाग न ही पश्चिमी बंगाल को दिया जाता है और न ही किसी अन्य राज्य को ।

परन्तु संविधान के अनुच्छेद २७३ के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा के राज्यों को पटसन के निर्यात शुल्क के भाग के बदले में कुछ वार्षिक सहायक अनुदान दिये जाते हैं। १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में पश्चिमी बंगाल को प्रति वर्ष १०५ लाख रुपये इस सहायता के रूप में दिये गये हैं और १९५२-५३ के लिये भी अस्थायी तौर पर यही राशि निश्चित की गई है परन्तु इस में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिवर्तन भी हो सकता है।

केन्द्रीयभूत अभिकरण

*१४००. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विभिन्न संवैधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कार्यसमन्वय के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण स्थापित किया गया है ; तथा

(ख) यदि किया गया है, तो क्या कोई ऐसा राज्य है जिस ने इस अभिकरण को अंगीकार नहीं किया है; और यदि नहीं किया है तो किस कारण ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां

*१४०१. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने सन् १९५१-५२ में उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिये कुछ विदेशी छात्र-वृत्तियां प्रदान की हैं; तथा

(ख) यदि की हैं, तो कितनी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दो छात्रवृत्तियों को छोड़ भारत सरकार ने सन् १९५१-५२ में कोई विदेशी छात्रवृत्ति नहीं दी है।

भारतीय समवाय अधिनियम

*१४०२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे समवायों की संख्या जिन्होंने भारतीय समवाय (संशोधन) अधिनियम के अधीन अपनी प्रबन्धक एजैंसी में परिवर्तन के लिये स्वीकृति मांगी थी ; और

(ख) उन मामलों की संख्या जिन में १९५१-५२ में स्वीकृति नहीं दी गई।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). भारतीय समवाय संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के समय से कुल २४ समवायों ने प्रबन्ध अभिकरण में परिवर्तन करने के लिये अनुमोदन की प्रार्थना की है। इन प्रार्थनापत्रों में से १४ स्वीकृत की गई हैं, ७ रद्द की गई हैं और ३ विचाराधीन हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१४०३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस वर्ष दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के छात्रों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां मंजूर की हैं तथा प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने कितने रुपये की होगी ?

(ख) इन छात्रों को किन विषयों में तथा किन संस्थाओं में प्रशिक्षा दी जायेगी ?

(ग) भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जिस प्रशिक्षा की व्यवस्था

की है क्या यह उसी सिलसिले में छात्रों का पहला समुदाय है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान २९ मई १९५२ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाता हूं जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सैनिक सामान पर सीमाकर

*१४०४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर समिति को पांच लाख रुपये जो कि सैनिक अधिकारियों द्वारा आयात किये गये सैनिक सामान पर लगे सीमा-कर का बकाया है, अभी देना बाकी है;

(ख) यदि बाकी है, तो यह कब से बकाया पड़ा है तथा किन किन वस्तुओं पर यह कर लगाया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तथा (ख). दिल्ली नगर समिति को १,०९,०८० रुपये ४ आने की एक राशि अभी देनी बाकी है तथा यह १९४७ से ३१ मार्च १९५१ तक का सीमा-कर है। यह कर सेना सेवा कोर (टुकड़ी) द्वारा संग्रहित किये जाने वाले सभी सामान जैसे कि अनाज तथा अन्य खाद्यान्नों पर तथा चाय, कहवा, चीनी और बनास्पति तेल पर लगाया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा

*१४०५. **श्री गणपति राम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत में प्रौढ़ शिक्षा पर कोई धन खर्च कर रही है; तथा उत्तर प्रदेश में कितना धन खर्च किया गया है ; तथा

(ख) सन् १९५१ तथा १९५२ में भारत में तथा उत्तर प्रदेश में कितने वयस्कों को शिक्षा दी गई ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना अज़ाद) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ११ जून, १९५२ को श्री जांगड़े के तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाया जाता है।

(ख) वर्ष १९५०-५१ में, जिसके लिये कि आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत में ५४३२५१ वयस्कों को साक्षर बनाया गया। इन में से ७०१५२ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के थे।

स्कूल तथा कालिज

*१४०६. **श्री गणपति राम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कितने नये हायर सैकेंड्री स्कूलों तथा इंटरमीडिएट और डिग्री कालिजों को अभिज्ञात किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : माननीय सदस्य का ध्यान इस प्रश्न में उठाये गये विषय से सम्बन्धित, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित, वार्षिक रिपोर्टों की ओर दिलाया जाता है।

अनिवार्य शिक्षा

*१४०७. **श्री गणपति राम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के लिये कुल कितना धन अंशदान के रूप में दिया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सन् १९४९-५० तक केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सभी विकास कार्यों के लिये अपने अनुदान पिण्ड राशियों में दे दिया करती थी तथा केवल प्राथमिक शिक्षा के लिये कितना धन दिया गया

है, इसके आंकड़े सहज ही में उपलब्ध नहीं। १९४९-५० में बुनियादी स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये उत्तर प्रदेश को २६०,००० रुपये दे दिये गये।

बारकपुर हवाई अड्डा

*१४०८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता के समीप बारकपुर का हवाई अड्डा ब्रिटिश वायु सेना द्वारा मलाया की सैनिक कार्यवाही के सिलसिले में काम में लाया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : जी नहीं, श्रीमान्।

सैनिक गाड़ियां

*१४०९. **श्री पाटसकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सैनिक प्रकार की बहुत सी मोटर गाड़ियां अथवा उनके ढांचे बम्बई राज्य में देहू रोड के समीप खुले में पड़े हैं ;

(ख) ऐसी गाड़ियां तथा उनके ढांचों की संख्या ;

(ग) इन गाड़ियों का प्रारम्भिक मूल्य ;

(घ) कितने समय से यह गाड़ियां धूप और वर्षा में इस तरह खुली पड़ी हैं ;

(ङ) क्या इन्हें सैनिक उद्देश्यों में काम में लाया जा सकता है ;

(च) क्या इन्हें इस तरह खुला रखने की तबाही से बचाने के लिये कोई कदम उठाया गया है; तथा

(छ) यदि यह काम की नहीं थीं तो उन्हें बेच देने के लिये क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचना देना लोक हित में नहीं है।

(ग) तथा (घ). यह सूचना उपलब्ध नहीं तथा इसे एकत्रित करने में इतना श्रम तथा समय लगेगा कि यह इसकी उपयोगिता के सममात्रिक नहीं होगा। ज्यों ज्यों गाड़ियों को काम में लाने के लिये अथवा किसी और जगह रखने के लिये वहां से निकाला जा रहा है त्यों त्यों इनकी संख्या कम होती जा रही है। काम में आने वाली गाड़ियों की एक बड़ी संख्या को ऐसी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है जो ढांपी हुई है।

(ङ) जो गाड़ियां सैनिक उद्देश्यों के लिये अपेक्षित नहीं हैं अथवा जो अच्छी हालत में नहीं हैं उन्हें समय समय पर विक्रय के लिये भेजा जाता है।

(च) समुचित जगह का अभाव है परन्तु गाड़ियों को खराब होने से बचाने के लिये यथासम्भव अधिक से अधिक प्रयत्न किया जा रहा है तथा अधिकांश गाड़ियों को तरपालों से ढांप के रखा गया है। समुचित स्थान का प्रबन्ध किया जा रहा है परन्तु यह काम सामान तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

(छ) बेकार गाड़ियां जिन की मरम्मत उचित लागत पर नहीं हो सकती है तथा जो हमारी आवश्यकताओं से अतिरिक्त हैं, समय समय पर बेच दी जाती हैं।

श्रव्य-दार्ष्टिक शिक्षा

*१४१०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अक्तूबर १९५१ में हुए अखिल

भारतीय श्रव्य दार्ष्टिक शिक्षा सम्मेलन की सिपारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार को प्रो० टी० एल० ग्रीन की, जिन्हों ने कि श्रव्य दार्ष्टिक शिक्षा परियोजना तैयार की है सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं जिस से कि वह उस परियोजना के प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) इस सम्मेलन की सिपारिशें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों के विचाराधीन हैं। वैसे तो सभी राज्य सरकारें जिन से कि हमें सूचना प्राप्त हुई हैं, यथा संभव अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है। केन्द्रीय सरकार सम्मेलन की सिपारिशों के अनुसार श्रव्य-दार्ष्टिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) जी नहीं।

कोनार्क में वास्तु स्मारक

*१४११. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में कोनार्क के स्थान पर स्थित अपूर्व वास्तु स्मारकों के परिरक्षण के सम्बन्ध में तथा वहां जाने वाले दर्शकों को अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये श्री बिश्वनाथ दास की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी, उस की मुख्य सिपारिशें क्या हैं ; तथा

(ख) इन में से कौन सी सिपारिशें इस समय तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इस समिति की मुख्य सिपारिशें यह हैं :—

(१) रेत अथवा बालू से बचाने के लिये मन्दिर पर रासायनिक रक्षण पदार्थों का लगाना;

(२) रेत से बचाने के लिये मन्दिर के चारों ओर पेड़ लगाना ; तथा

(३) मन्दिर के भीतर तथा बाहर जल रक्षण उपायों को लागू करना।

समिति ने यह भी सिपारिश की है कि भुवनेश्वर से कोनार्क तक एक पक्की सड़क बनाई जाय तथा कोनार्क के आस पास पर्यटकों की सुविधा के लिये खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था की जाय।

(ख) रासायनिक रक्षण पदार्थों के प्रयोग किये जा रहे हैं तथा कमी सम्बन्धी परीक्षण भी हो रहे हैं। अन्य सिपारिशों को क्रियान्वित करने के लिये समुचित कार्य-वाही की जा रही है।

जहां तक सड़क बनाने का सम्बन्ध है भारत सरकार राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

*१४१२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **विधि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को भारतीय संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन के सिलसिले में कुल कितना धन व्यय करना पड़ा है ;

(ख) क्या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी कुछ धन व्यय करना पड़ा है; और

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' में है तो कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास): (क) से (ग) तक। निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के सिलसिले में क्रमशः ३८ तथा ४ विशेष शलाका पेटिकायें (बैलट बक्स) खरीदनी पड़ी हैं तथा केवल इन्हीं पर व्यय करना पड़ा है। राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में ३११६ रुपये तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में ३२८ रुपये इन पेटिकाओं के खरीदने पर व्यय हुये हैं।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये शलाका पत्र भारत सरकार के छापेखाने में मुफ्त छापे गये इस पर जो व्यय हुआ होगा वह भारत सरकार के छापेखानों को दिये गए अनुदान में से पूरा होगा। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं कि इस पर कितना रुपया खर्च हुआ है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों को इस मतदान की व्यवस्था करने पर तथा शलाका पेटिकाओं को नई दिल्ली स्थित रिटर्निंग आफीसर के पास भेजने पर भी व्यय करना पड़ा है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को कोई ज्ञान नहीं कि विभिन्न राज्य सरकारों ने कितना धन खर्च किया है।

हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

•*१४१३. **श्री कक्कन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ के वर्ष में मद्रास राज्य के इंजीनियरिंग कालिजों में कितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): ४१।

आसाम के आदिम जातीय क्षेत्रों में शिक्षा

*१४१४. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सियों तथा आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में कितने सरकारी तथा अर्ध-सरकारी (जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है) हाई स्कूल हैं;

(ख) वहां ऐसे कितने अंग्रेजी मिडल स्कूल हैं; तथा

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि आसाम के जन जातीय क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्तुत की जाय?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). सूचना मांगी गई है तथा इसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) सरकार की यह नीति है कि भारत के सभी राज्यों में जिन में आसाम तथा उसके आदिम जातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्तुत की जाय, परन्तु इसे क्रियान्वित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की आर्थिक क्षमता राज्यों की मांगों को कहां तक पूरा करती है।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना

*१४१५. **श्री हेम राज**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना के अन्तर्गत भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण की कालावधि क्या होगी तथा अध्ययन के विषय क्या होंगे?

(ख) इन छात्रों तथा इंजीनियरों का चुनाव किस तरह से होगा?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण सदन पटल तर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ख) उम्मीदवारों का चुनाव एक चुनाव पर्षद् द्वारा होगा जिसे कि सरकार इस प्रयोजन के लिये स्थापित करेगी।

अहिच्छत्र में खुदाई

*१४१६. **श्री रघुबीर सहाय:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित आंवला के समीप अहिच्छत्र में खुदाई का काम पूर्ण हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है, तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ;

(ग) अहिच्छत्र में की गई खुदाई के परिणामस्वरूप सरकार किन निष्कर्षों पर पहुंची है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) अहिच्छत्र में खुदाई का काम उतना ही पूरा हुआ है जितना कि इस स्थान के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था।

(ख) खुदाई के परिणामों का एक संक्षिप्त वर्णन **'प्राचीन भारत'** संख्या १ में प्रकाशित किया गया है। बर्तनों के सम्बन्ध में एक पूरी रिपोर्ट इस पत्रिका के उसी अंक में प्रकाशित की गई है तथा पक्की मिट्टी की मूर्तियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट इस पत्रिका के अंक ४ में प्रकाशित की गई है।

(ग) खुदाई से पता चला है कि इस स्थान पर ३० वर्ष ई० पू० से लेकर ११०० ईस्वी तक लोग निरन्तर रूप से रहते रहे थे।

निशाने बाज़ी का अभ्यास

*१४१७. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सैनिकों द्वारा निशाने बाजी का अभ्यास किये जाने के पश्चात मैदान साफ करने की प्रणाली अभी जारी है ;

(ख) क्या सरकार गत वित्तीय वर्ष में इस निशाने बाज़ी के परिणामस्वरूप हुई धन, जन क्षति के आंकड़े देगी ;

(ग) क्या गत वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस क्षति की कुछ क्षतिपूर्त्ति दी है ; तथा

(घ) यदि दी है तो कितनी तथा किस किस को ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८**।]

शिशुपालगढ़ में खुदाई

*१४१८. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुरातत्व विभाग ने इस समय तक शिशुपालगढ़ (उड़ीसा) की खुदाई पर कितना व्यय किया है ? उस में से वास्तविक खुदाई के काम पर कितना व्यय हुआ है तथा निरिक्षक कर्मचारी वर्ग पर कितना ;

(ख) क्या इस समय तक की गई खुदाई से इतने पर्याप्त तथा तथ्य आंकड़े प्राप्त हुये हैं कि इस बात का निश्चय किया जा सके कि यह दुर्ग कितना पुराना है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार खुदाई का काम फिर से शुरू करने की प्रस्थापना कर रही है, तथा यदि कर रही है तो यह काम कब फिर से शुरू होगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) शिशुपालगढ़ में खुदाई के काम पर ७९,५८९ रुपये ११ आने ३ पाई व्यय किया गया जिस में से ७७,२७५ रुपये १ आना ३ पाई वास्तविक खुदाई पर तथा शेष इस उद्देश्य के लिये सेवायुक्त विशेष निरीक्षक कर्मचारी वर्ग पर व्यय किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

समुद्रपार के राजदूतावासों का लेखापरीक्षण

***१४१९. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों तथा नियोजनों के लेखापरीक्षण के लिये वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ख) इस तरह सेवायुक्त किये गये लेखापरीक्षकों की संख्या क्या है ;

(ग) यह लेखा परीक्षक किस प्राधिकार के अधीन काम करते हैं ; तथा

(घ) क्या उनकी सामयिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं ?

वित्तमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ब्रिटेन स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय तथा भारतीय भांडार विभाग के लेखों का लेखापरीक्षण लंदन स्थित भारतीय लेखा परीक्षण कार्यालय, जो कि कई दशाब्दियों से वहां काम कर रहा है द्वारा होता है । यह कार्यालय हाल ही से यूरोप में स्थित अन्य राजदूतावासों के सम्बन्ध में में भी कुछ स्थानीय निरीक्षण कर रहा है । वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास तथा भारतीय संभरण नियोजन के लेखों का लेखा परीक्षण भारतीय लेखापरीक्षण कार्यालय वाशिंगटन द्वारा होता है । यह कार्यालय कुछेक महीने पहले वहां खोला गया है । शेष सभी राजदूतावास अपने लेखे केन्द्रीय राजस्व दिल्ली स्थित महालेखा पाल के पास अथवा खाद्य, पुनर्वास तथा प्रदाय से सम्बन्धित महालेखा पाल के पास, जैसे कि स्थिति हो भेज देते हैं।

(ख) लंदन स्थित लेखा परीक्षण कर्मचारी वर्ग में अस्थायी कर्मचारियों सहित सभी श्रेणी के ३६ कर्मचारी हैं तथा वाशिंगटन में इन की संख्या ६ है। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है । केन्द्रीय राजस्व से सम्बन्धित महालेखापाल तथा खाद्य पुनर्वास तथा प्रदाय से सम्बन्धित महालेखा पाल द्वारा इस उद्देश्य के लिये कितने कर्मचारी रखे जाते हैं, यह आसानी से नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह कार्य उस विशाल कार्य का एक अंग है जो कि उनके द्वारा होता है।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्राधिकार के अधीन।

(घ) अधीनिस्थ लेखापरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्टें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास जाती हैं, जिस से कि वह राष्ट्रपित की मार्फत संसद् को भारतीय संघ के लेखों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें पेश कर सकें।

स्मारक

***१४२०. श्री माबिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रत्येक भाग ख में के राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर खर्च करने के सम्बन्ध में कितना रुपया दिया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर व्यय के सिलसिले में

सन् १९५०-५१ में भाग ख में के राज्यों को कोई भी धन राशि नहीं दी जा सकी क्योंकि इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान पारित करने में विलम्ब हुआ था।

सन् १९५१-५२ में राज्यों को यह लेखानुदान दिये गये :—

हैदराबाद	२,५०,०००	रुपये
मध्य-भारत	१,००,०००	रुपये
सौराष्ट्र	१२,०००	रुपये
त्रावनकोर-कोचीन	१०,०००	रुपये
पैप्सु	४,०००	रुपये

मैसूर राज्य को कोई अनुदान नहीं दिया जा सका क्योंकि उस ने उस विषय सम्बन्धी कोई सूचना नहीं दी। राजस्थान सरकार ने सूचना दी कि उस ने इस मद पर कुछ भी व्यय नहीं किया है।

आय-कर

*१४२१. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे क्षेत्रों में जो कि करयोग्य नहीं है, कुल कितना लाभ कमाया गया है तथा जिस पर अभी तक कोई आय-कर निर्धारित नहीं किया गया है; तथा

(ख) आय-कर संशोधन विधेयक के अन्तर्गत जो रियायतें देने का विचार है उस के परिणामस्वरूप कितनी पूंजी विनियोग के लिये उपलब्ध होगी ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

उच्च वेतन प्राप्त अधिकारी

*१४२२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों का वेतन कम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है; तथा

(ख) यदि की है तो उक्त समिति की कार्यप्रगति की स्थिति क्या है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

एल्यूमीनियम निक्षेप

*१४२३. **श्री रूप नारायण :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मिर्जापुर की दुध्वी तहसील में एल्यूमीनियम के निक्षेप बड़ी मात्रा में मौजूद हैं ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय भूतत्वीय परिमाप के संचालक ने सूचना दी है कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा हाल ही में इस क्षेत्र में जो अनुसन्धान हुआ है उस से इस बात का कोई पता नहीं चला कि वहां बाक्साइट मिलता है

युद्धबन्दी सीमारेखा (काश्मीर)

*१४२४. **श्री य० एम० त्रिवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५१ से पाकिस्तानी सेना ने कितनी बार युद्ध-बन्दी सीमारेखा का उल्लंघन करके आक्रमण किया ;

(ख) इन में से कितने आक्रमण कठुआ तथा पुंच्छ के दरम्यानी क्षेत्र में किये गये ;

(ग) कितने पुच्छ तथा जोजीला दर्रे के बीच किये गये ;

(घ) इन में कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा इनमें से मसलमान कितने थे

(ङ) क्या पीड़ितों अथवा उन के वारिसों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) बारह।

(ख) आठ

(ग) चार.

(घ) एक नागरिक सिपाही मारा गया तथा एक सैनिक घायल हुआ। यह मालूम नहीं कि क्या वह नागरिक मुसलमान था अथवा और कोई।

(ङ) यह मालूम नहीं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कुछ क्षतिपूर्ति दी है अथवा नहीं। भारत सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है।

आन्ध्र विश्वविद्यालय

*१४२५. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने आन्ध्र विश्वविद्यालय को "अनुसन्धान तथा शिक्षा" शीर्षक के अन्तर्गत कुछ अनुदान दिया है; तथा यदि दिया है तो कितना तथा किन शर्तों पर ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]**

तम्बाकू कर निर्धारण

*१४२६. **श्री के० आर० शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने तम्बाकू कर का गलत तथा अनियमित रूप से निर्धारण किया है ; तथा

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि तम्बाकू कर का निर्धारण तथा संग्रहन कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा होना चाहिये।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां। ऐसे कर निर्धारण के सम्बन्ध में समय समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक सुझाव दिया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत उत्पादकों के तम्बाकू उत्पादन के सम्बन्ध में जो प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं उन की तुलना राज्य-सरकार के ग्राम पटवारियों द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के साथ कराने की एक प्रणाली पुरः स्थापित की जाय। भारत सरकार इस सुझाव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

करवार में नौसैनिक अड्डा

*१४२७. **श्री दातार** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण तट पर करवार के स्थान पर एक नौसैनिक अड्डा बनाने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि करबार में इस सम्बन्ध में प्राकृतिक सुविधायें उपलब्ध हैं ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर 'हां' में है तो इस प्रस्थापना को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) विशेषज्ञों की राय में करवार एक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिये प्राकृतिक सुविधाओं की अपेक्षा त्रुटियां ही अधिक हैं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

विदेशी आय पर करारोपण

*१४२८. **श्री त्येन्द्रनारायण सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ में भारत में रहने वाले भारतीयों की विदेशी आय पर किये गये करारोपण के परिणाम स्वरूप कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : भारत में रहने वाले केवल भारतीयों के सम्बन्ध में कर के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। भारत में रहने वाले उन सभी व्यक्तियों से — चाहे वह किसी भी जाति अथवा राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हों — सन् १९५०-५१ में उनकी विदेशी आय पर ४ करोड़ ६८ लाख रुपये कर के रूप में लिये गये हैं।

भारतीय भूतत्वीय परिमाप संस्था

३२४. **श्री हेम राज** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय भूतत्वीय परिमाप संस्था ने १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में उत्तरी सर्कल के किन किन राज्यों का भूपरिमापन किया है ;

(ख) इन वर्षों में इन में से कितने राज्यों में भूतत्वीय मानचित्र बनाने तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी साधारण भूपरिमापन करने का कार्य पूरा हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को इन भूपरिमाणों से सम्बन्धित अनुसन्धान की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या पंजाब राज्य में स्थित ज्वालामुखी क्षेत्र का कोई भूपरिमाप किया गया; तथा

(ङ) यदि किया गया तो उसका परिणाम क्या निकला ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख) एक विवरण, जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ)। जी हां, श्रीमान। "ज्वालामुखी क्षेत्र, ज़िला कांगड़ा पंजाब के भूतत्व की अन्तिम रिपोर्ट" के नाम की पुस्तक, जो कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप संस्था के श्री वी० एच० बोयलियो तथा श्री जी० कोहिली द्वारा लिखी गई है, सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी

३२५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वाले विदेशी छात्रों को भारत सरकार क्रमशः कितना रुपया यदि कोई हो, छात्रवृत्तियों के रूप में देती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : विदेशी छात्रों से सम्बन्धी भारत सरकार की साधारण सांस्कृति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जो छात्र भारत में अध्ययन करने के लिय चुने जाते हैं उन्हें सामान्यतयः २०० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा पढ़ाई, परीक्षा तथा प्रति-व्यक्ति शुल्क, यदि कुछ हो, वह भी दिया जाता है फिर भी कुछ छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ कम छात्रवृत्ति दी जाती है।

फ्रांसीसी परिषदों को पारस्परिक पारिषद्यता प्रदान करने के हेतु भारत सरकार की तदर्थ योजना के अन्तर्गत जो परिषद भारत में अध्ययन करने के लिय चुने जाते हैं; उन्हें ५०० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है, किन्तु बम्बई तथा कलकत्ता के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले ऐसे परिषदों को ६०० रुपये प्रति मास मिलता है। फिर भी जहां कहीं यह परिषद अनुसंधान का तथा फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने का काम करते हैं वहां उन का आधा खर्चा विश्वविद्यालयों द्वारा उठाया जाता है।

सैनिक डेरी फार्मों में बछड़े

३२६. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यह सच है कि सन् १९४७ के पहले सैनिक डेरी फ़ार्मों में यह परिपाटी थी कि ठीक जन्म के समय ही बछड़े मार दिये जाते थे और क्या यह परिपाटी अब भी चल रही है; और

(ख) क्या एसी परिपाटी रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाले किसी विशेष नियम या आदेश के अनुसार चल रही थी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) तथा (ख)। सन् १९४७ के अन्त तक सैनिक डेरी फ़ार्मों में यह अभिजनन नीति बर्ती जा रही थी कि अच्छी गायों तथा भैंसों के चुने हुए बछड़े सैनिक डेरी फ़ार्मों के मारे जाने वाले पशुओं का स्थान लेने के लिये पाले जाते थे। शेष छोड़ दिये जाते थे। अथवा लोगों को बेच दिये जाते थे। फ़ालतू बछड़ों को उनके जन्म के तुरन्त बाद ही मार दिया जाता था।

सन् १९४७ के अन्त में आदेश जारी किये गये कि सिवाय पशु चिकित्सा कारणों के, बछड़ों को, न मारा जाय, तथा यह आदेश इस समय भी जारी है।

राष्ट्रपति भवन के उत्तर में गिर्जा घर

३२७. **श्री सिंहासन सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बतलान की कृपा करेंग :

(क) क्या राष्ट्रपति भवन के उत्तर में स्थित गिर्जाघर राष्ट्रभवन के साथ ही तत्कालीन भारत के वाइसराय तथा महाराज्य पाल के पूजास्थान के लिये सरकारी खर्चे पर बनाया गया था तथा वह इसे पूजन के लिये काम में लाते थे; तथा

(ख) राज बदलने के समय से, जब कि राज्य का प्रमुख भी बदल गया, इसे किस काम में लाया जाता है तथा इसकी देखभाल कौन करता है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) माननीय सदस्य अनुमानत : चर्च आफ़ रिडैम्पशन, नई दिल्ली की ओर निर्देश कर रहे हैं। यह गिर्जाघर राष्ट्रपति भवन के साथ ही बनाया गया था तथा भूतपूर्व वाइसराय तथा महाराज्यपाल इसे पूजास्थान के रूप में काम में लाते थे। यह दिखाने के लिये कि यह गिर्जा सरकारी खर्च पर बनाया गया था कोई रिकार्ड नहीं है। फ़िर भी यह पता चला है कि यह गिर्जा लार्ड इर्विन के शासन काल में बनाया गया था जिन्होंने कि स्वयं इसके लिये एक बड़ी धनराशि चन्दे के रूप में दी थी; तथा इसके लिय जनता से भी चन्दा वसूल किया गया था।

(ख) यह गिर्जाघर अब भारतीय गिर्जाघर प्रन्यासियों (इंडियन चर्च ट्रस्टीज़) के अधिकार में है तथा वही इस की देखभाल करते हैं; तथा इसे पूजास्थान के रूप में काम में लाया जाता है।

विश्वभारती

३२८. **श्री ऐस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्वभारती ने विश्वभारती अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत एक शिक्षण तथा

अधिवास विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना शुरू किया है ।

(ख) इस समय वहां ज्ञान की किन किन महत्वपूर्ण शाखाओं में शिक्षा दी जा रही है तथा अनुसन्धान किया जा रहा है ?

(ग) क्या इस अधिनियम में निर्वाचित विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकारों को स्थापित किया गया है ?

(घ) क्या सरकार को इस विश्व-विद्यालय की आर्थिक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में एक पूरा विवरण प्राप्त हुआ है; तथा

(ङ) यदि हुआ है तो उक्त अपेक्षाओं के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ) जी हां । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १२]**

भारतीय पूंजी का विदेशों में विनियोजन

३२९. **श्री बी० एन० राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में भारतीय पूंजी किन किन चीज़ों में लगाई गई है ; तथा

(ख) कितनी भारतीय पूंजी विभिन्न विदेशों में विनियोजित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) । एक विवरण , जिस में ३० जून, १९४८ तक विदेशों में विनियोजित की गई भारतीय पूंजी की राशि दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १३]**

ताज महल

३३०. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) कितने समय से ताज महल की मरम्मत हो रही है ;

(ख) इसकी मरम्मत पर इस समय तक कितनी धन राशि, वर्षवार, व्यय की जा चुकी है ;

(ग) क्या मरम्मत का काम अब हो गया है; तथा

(घ) यदि नहीं तो यह काम पूरा होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) मरम्मत का काम सन् १९४०-४१ से चल रहा है ।

(ख) मरम्मत पर इस समय तक कुल धन राशि जो खर्च हुई है वह यह है :—

	रुपये
१९४०-४१	३५,२४३
१९४१-४२	९,६३१
१९४२-४३	२,८६५
१९४३-४४	९३,४९५
१९४४-४५	१६,९६५
१९४५-४६	७२५
१९४६-४७	...
१९४७-४८	५६,३७८
१०४८-४९	६२,३११
१९४९-५०	२८,४१८
१९५०-५१	३९,८२५
१९५१-५२	४६,८६३

(ग) तथा (घ) । मरम्मत का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है । काम समाप्त होन में अभी ८ से १० वर्ष तक का समय लगेगा ।

आयुध तथा शस्त्र फैक्टरियां

३३१. श्री कृष्ण चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आयुध तथा शस्त्र फ़ैक्टरियां प्राईवेट संस्थाओं का काम भी अपने ज़िम्मे लेती है ;

(ख) यदि लेती हैं, तो इन प्राइवेट संस्थाओं का किस प्रकार का काम इन फ़ैक्टरियों में करवाया जाता है; तथा

(ग) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में किये गये एसे कार्यों से कुल कितनी आय प्राप्त हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां, उतना ही जितना कि सेनाओं की आवश्कतायें पूर्ण करने के पश्चात् कार्य सामर्थ्य उपलब्ध होता है ।

(ख) प्राईवेट निकायों के लिय जिस प्रकार का काम किया जाता है उस के कुछेक उदाहरण यह हैं :—

(१) भाप तथा डीज़ल से चलने वाले सड़क कूटने के रोलरों के भागों तथा पुर्ज़ों का बनाना ।

(२) गन्दक के तेज़ाब का उत्पादन ;

(३) एसिटोन का उत्पादन ;

(४) दूरबीनों, कम्पासों, प्रिज़मेटिक जैसी वस्तुओं आदि की मरम्मत ;

(५) क्रेंकशेफ्टों को बनाना ;

(६) पीतल की पट्टियां बनाना;

(७) इस्पात तथा दोतेदार पहियों का निर्माण ।

(ग) व्यापारियों अथवा संस्थाओं के लिये किये गये इस प्रकार के काम से जो कुल आय प्राप्त हुई है वह यह है :—

१९४९-५०	१३६ लाख रुपये
१९५०-५१	१०९ लाख रुपये
१९५१-५२	४० लाख रुपये

सैनिक प्रशिक्षण संस्थायें

३३२. श्री कृष्ण चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन संस्थाओं के नाम तथा स्थान क्या हैं जो शिक्षित नवयुवकों को उच्च सैनिक जीवन के लिये तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दे रही हैं ;

(ख) उपरोक्त संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम क्या है ;

(ग) इन में से प्रत्येक संस्था में प्रवेश के लिये छात्रों की संख्या निश्चित की गई है तथा

(घ) प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । वास्तव में देहरादून में स्थापित की गई नैशनल डिफैन्स एकाडमी ही एक ऐसी संस्था है जहां कि चुने हुऐ उम्मीदवारों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाता है । संभवतः माननीय सदस्य प्रिंस आफ वेल्ज़ मिलिट्री कालिज देहरादून, तथा जालन्धर, अजमेर, बेलगांव और बंगलौर स्थित किंग जार्ज मिलिटरी स्कूलों की बात सोच रहे हैं । यह संस्थायें सार्वजनिक स्कूलों के रूप में चलाई जा रही हैं तथा वहां वास्तव में सैनिक प्रशिक्षण जैसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, केवल शारीरिक अभ्यास तथा व्यायाम आदि पर काफी ज़ोर दिया जाता है । इन संस्थाओं के बहुत से छात्र स्वभावतः नैशनल डिफैन्स एकाडमी में प्रवेश पाते हैं ।

(ख) प्रिंस आफ वेल्ज़ मिलिटरी कालिज में प्रवश सम्बन्धी नियमों की एक प्रति लिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १४].

किंग जार्ज मिलिटरी स्कूलों का पुनर्स गठन किया जा रहा है तथा प्रवेश के संशोधित नियम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुये हैं। सामान्यतः ९ से ११ वर्ष तक के आयु वाले बालक इन स्कूलों में एक इन्टरव्यू एवं प्रतिभा-परीक्षा के आधार पर दाखिल किये जायेंगे।

नेशनल डिफैन्स एकाडमी में प्रवेश पाने सम्बन्धी नियम संघ लोक सेवा आयोग की दिनांक १९ जनवरी, १९५२ की अधिसूचना संख्या एफ़ १२-५-५२ ई० दिनांक २ फरवरी १९५२ की अधिसूचना संख्या एफ़ ८-५-५२ ई. में दिये गये हैं। सशस्त्र बल की संयुक्त सेवा शाखा से आने वाले छात्र सैनिकों के अलावा कुछ छात्र सैनिक इन स्त्रोतों से सैनिक शाखा में सीधे प्रविष्ट किये जाते हैं :—

(१) टैक्नीकल स्नातक (ग्रेजुएट),

(२) राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय,

(३) नियमित सेना तथा प्रादेशिक्ष सेना,

(४) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा द्वारा।

उपरोक्त श्रेणियों से चुने गये व्यक्तियों को सशस्त्र बल के सेवा भर्ती परषदों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

(ग) उपरोक्त संस्थाओं में प्रति वर्ष सामान्यतः जितनी रिक्तियां होती हैं वह इस प्रकार हैं :—

(१) नेशनल डिफैन्स एकाडमी—

संयुक्त सशस्त्र सेवा शाखा ४४०

*सैनिक शाखा ४००

*अधिकांश छात्र-सैनिक होते हैं वह जो संयुक्त सेवा शाखा से आते हैं।

(२) प्रिंस आफ वेल्ज कालिज—

३० से लेकर ३५ तक

(३) किंग जार्ज मिलिटरी स्कूल—

†४० से लेकर ५० तक प्रत्येक स्कूल से

†यह रिक्तियां उस समय से होंगी जब यह स्कूल सितम्बर १९५२ से एक पुनः संगठित आधार पर कार्य करना शुरु करेंगे।

(घ) नैशनल डिफैन्स एकाडमी में प्रशिक्षण काल संयुक्त सेवा शाखा में दो वर्ष तथा सैनिक शाखा में दो वर्ष हैं; किन्तु टैक्निकल स्नातकों तथा राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय के छात्र सैनिकों के लिये सैनिक शाखा में प्रशिक्षण का काल केवल एक वर्ष है। प्रिंस आफ वेल्ज़ कालिज में सम्पूर्ण पाठ्यचर्या का प्रशिक्षण काल लगभग छै वर्ष है तथा किंग जार्ज मिलिटरी स्कूलों में भी यह छै वर्ष है।

डिब्बाबन्द खाद्य का आयात

३३३. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् रक्षा सेवाओं के लिये कितना तथा कितने मूल्य का डिब्बों बन्द खाद्य तथा अन्य पदार्थ आयात किये गये हैं ;

(ख) इस सिलसिले में कितना नुक्सान, यदि कोई हो, उठाना पड़ा है ;

(ग) क्या खाद्य पदार्थ सदैव सन्तोष-जनक प्रकार के पाये गये हैं ;

(घ) क्या बन्द डिब्बों में खाद्य दूध, फल तथा अन्य भक्षणीय पदार्थों की कोई किस्म (१) मानव उपयोग के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त पाई गई है (२) आंशिक रूप से खराब पाई गई है तथा (३) आयात करने के पश्चात् गोदामों में खराब हुई है ;

(ङ) भाग (घ) में निर्दिष्ट बातों से कितनी हानि, यदि कोई हो उठानी पड़ी है तथा इसे किस तरह से पूरा किया जायगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) खाद्य पदार्थों की इतनी मात्रायें खराब हुईं :—

वस्तु	टन	पौंड
डिब्बा बन्द सब्जियां	..	१०५३
डिब्बा बन्द दूध	३७७	८८१½
मलाई उतारे गये दूध का चूर्ण (पाऊडर)	७४	१२९१

(ग) सामान्यतः खाद्य पदार्थों की क्वालिटी संतोषजनक पाई गई है ।

(घ) (१) कोई भी किस्म देश में पहुंचने पर मानव उपभोग के लिये बिल्कुल ही अनुपयुक्त नहीं पाई गई ;

(२) सनट्रेप मार्का बन्द डिब्बों के दूध का कुछ भाग अनुपयुक्त पाया गया था ।

(३) एटलस मार्का बन्द डिब्बों के दूध का कुछ भाग गोदाम में रखने से खराब हुआ ।

(३) ७,२९,७२३ रुपये ५ आने की हानि हुई है । माल भेजने वाले समवायों पर दावे किये जाते हैं तथा उन से नुक्सान का रुपया वसूल किया जाता है ।

राज्य व्यापार तथा निर्माण योजना

३३४. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन सी वर्तमान राज्य व्यापार तथा निर्माण योजनायें ऐसी हैं (१) जो घाटे पर चल रही हैं, (२) जो विनियोजित पूंजी के संगत पर्याप्त लाभ पर चल रही हैं तथा (३) जो यथापूर्व अवस्था पर हैं ?

(ख) नुक्सान के लिये कौन जिम्मेदार है; तथा

(ग) इन में से कौन सी दूसरों की अपेक्षा अधिक (१) उपयोगी, (२) लाभप्रद (३) तथा फजूलखर्च हैं, तथा इस का कारण क्या है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) तक सम्बन्धित मंत्रालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

आय-कर

३३५. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में ऐसे सार्थों पर, जिन का कारबार मुख्यतयः बिहार में है किन्तु जिन के कार्यालय बिहार से बाहर पंजीबद्ध हैं, कितना आयकर लगाया गया है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : काग़जों से अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है तथा इसे काफी परिश्रम करने पर ही एकत्रित किया जा सकता है जो कि इस से प्राप्त होने वाले परिणामों के संगत न होगा ।

अभ्रक खानिकों द्वारा आय-कर अपवंचन

३३६. श्री रघवय्या : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष में, अभ्रक खान मालिकों, अभ्रक व्यापारियों तथा निर्यातकों के आय-कर अपवंचन के कितने मामले सरकार की दृष्टि में आये हैं तथा इस से अनुमानित हानि कितनी हुई है ;

(ख) कितने अभ्रक समवायों ने स्वेच्छा से अपनी आय सरकार को प्रकट कर दी तथा इस से क्या लाभ हुआ; तथा

(ग) क्या खानों से निकाली गई अभ्रक की सम्पूर्ण मात्रा का हिसाब स्वामित्व पंजी में रखा गया है अथवा क्या अवैध रूप से अभ्रक ले लिये जाने की कोई घटनायें सरकार की दृष्टि में आई हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सरकार को कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिन में यह आरोप लगाया गया है कि अभ्रक खानों के मालिक अभ्रक व्यापारी तथा निर्यातक कर-अपवंचन कर रहे हैं, तथा इन की पहले ही जांच हो रही है। जांच का काम पूरा होने पर ही इस बात का पता लगेगा कि उन में से वास्तव में कितने कर अप-वंचक हैं तथा कहां तक कर का अपवंचन हुआ है ।

(ख) १८ अभ्रक खनकों तथा ८८ अभ्रक व्यापारियों ने स्वेच्छा से सरकार को अपनी आय बता दी है । अभ्रक खनिकों के सभी मामले तथा अभ्रक व्यापारियों के ५४ मामले इस समय तक निपटाये जा चुके हैं जिस के परिणामस्वरूप १५·२७ लाख रुपये कर प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस मामले का सम्बन्ध राज्य की सरकारों से है ।

लोक-ऋण

३३७. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत का इस समय कुल कितना लोक-ऋण है जो उसे विदेशों को चुकाना है ; तथा

(ख) किस किस देश का कितना कितना ऋण है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). ३१ मार्च, १९५२ को भारत का कुल विदेशी लोक-ऋण ९९·८५ करोड़ रुपये था जो कि इस प्रकार था :—

(१) संयुक्त राज्य अमेरीका ने गेहूं खरीदने के लिये ९० करोड़ रुपये का जो ऋण दिया है उस में से ७७ करोड़ रुपये ले लिये गये हैं,

(२) रेलवे कृषि तथा दामोदर घाटी परियोजना के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से २१·५ करोड़ रुपये लिये गये हैं ।

(३) स्टर्लिंग ऋण की बकाया १·३५ करोड़ रुपये है ।

विदेशी विशेषज्ञ

३३८. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने कितने विदेशी विशेषज्ञों को सेवायुक्त किया है तथा वह किस किस्म के काम पर लगाये गये हैं ;

(ख) इन विशेषज्ञों के वेतनादि जिन में कि भत्ते, आवास सुविधायें, कर-मुक्ति रियायतें आदि शामिल हैं क्या हैं;

(ग) इन्हें क्या विशेषाधिकार, यदि कोई हों जैसे कि राजनयिक अथवा अर्ध-राजनयिक सुविधायें आदि दी गई हैं; तथा

(घ) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अन्त तक कितने विदेशी विशेषज्ञों के सेवायुक्त किये जाने का विचार है तथा उन के वेतनादि क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है क्योंकि यह विशेषज्ञ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय टैक्नीकल सहायता परियोजनाओं के अन्तर्गत यहां आते हैं तथा उन के वेतनादि दान देने वाली सरकारी अभिकरणों आदि द्वारा दिये जाते हैं ।

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत जिन विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं उन्हें सामान्यतः यह मुख्य उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार दिये जाते हैं :—

(१) उन के वेतनों की दुहरे करारोपण से मुक्ति ;

(२) उन के प्रथम आगमन पर उन के वैयक्तिक घरेलू सामान तथा व्यावसायिक वस्तुओं आदि पर कोई सीमा शुल्क तथा आयात शुल्क नहीं लिया जाता है* ।

(घ) सन् १९५२-५३ में कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, यह बात अभी विचाराधीन है ।

Wednesday, 2 July 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-३५ म० पू०

डा० जयसूर्य द्वारा टेलीफोन ठेके सम्बन्धी आरोपों को वापस लेते समय दिया गया वक्तव्य

डाक्टर जयसूर्य (मेदक) : सदन में ३ जून, १९५२ को दिये गये अपने भाषण के कुछ अंश का खंडन करना मेरे लिये अत्यावश्यक हो गया है और एतदर्थ वक्तव्य देने के लिये मुझे अवसर देने के हेतु मैं आपका आभारी हूं। मैंने उस दिन कहा था कि 'टेलीफोनों के लिये एक ठेके पर दिल्ली या लंदन में हस्ताक्षर न होकर स्विटजरलैंड में हस्ताक्षर किये गये हैं और स्विटजरलैंड में एक भारतीय प्रजाजन के नाम एक बैंक में १५ लाख स्विस फ्रांक जमा थे, जिनका पता उसकी मृत्यु के बाद चला। तो सरकार को बिना सूचना दिये उस दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में उसने इतना धन इकट्ठा किया और आयकर का भी अपवंचन किया। जनता को यह मांग करने का

अधिकार है कि इस कलंक की बात को स्पष्ट कराया जाये।"

एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति द्वारा मिली सूचना के आधार पर मैं ने यह वक्तव्य देकर सरकार से जांच की मांग की थी और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते अपने वक्तव्य के सभी प्रतिफलों के प्रति मैं उत्तरदायी हूं। प्रधान मंत्री ने तुरंत पूरी कार्यवाही की और देश से तथा बाहर से तथ्य इकट्ठे किये तथा उन के साथ पूरी-पूरी बातचीत करके तथा सभी संबंधित लेखों का निरीक्षण करने के बाद मैं देखता हूं कि मेरा आरोप सर्वथा निराधार तथा गलत था। अब अपनी गलती स्वीकार कर लेना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं निराधार होने के कारण अपने उस वक्तव्य को भारी भूल समझता हूं और उस के लिये खेद-प्रकाश करते हुए मैं इस सदन से उसे निःसंकोच वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदन नेता कुछ कहेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मुझे माननीय सदस्य द्वारा दिये गये उचित तथा स्पष्ट वक्तव्य की सराहना ही करनी है।

साधारण आयव्ययक----अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करेगा। प्रभारी मंत्री अपना भाषण चालू रखेंगे।

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान, कल सदन के स्थगित होते समय मैं हिराकुड परियोजना से संबंधित विरोधी आलोचना का उत्तर दे रहा था। मैं उन बातों को गिना रहा था, जो मेरे ध्यान में आयी थीं और जो मुझे पसन्द नहीं थीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय तक हिराकुड का प्रशासन कुछ ढीला-ढीला था और परियोजना का कार्य सहज रूप में नहीं चल रहा था। इस से हमें कुछ व्यग्रता हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस कारण कोई भारी हानि नहीं हुई। उत्तरदायी व्यक्ति मुख्यतः मुख्य इंजीनियर था, जिसे बाद में उस स्थान से हटा कर पदच्युत कर दिया गया। इस विषय में मेरी समझ में काफ़ी कड़ी और कठोर कार्यवाही की गयी, और मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि उस समय से प्रत्येक दिशा में अपार सुधार हुए हैं। वहां अब काम तेजी से बढ़ रहा है, और मैंने अपने इस संतोष के लिये कुछ नकशे (ग्राफ़) तैयार कराये थे कि मूल आयोजन तथा संशोधित कार्यक्रम की तुलना में प्रगति कैसी हो रही है और मैं देख रहा हूं कि पिछले एक साल के लगभग से काम न केवल आयोजन के अनुसार बल्कि कुछ बातों में आयोजन से आगे चल रहा है। मुझे यह भी आश्वासन दिया गया है कि आगे से और भी अधिक तीव्र प्रगति होगी। हिराकुड परियोजना के विषय में अब यह दिखाई दे रहा है कि मुख्य बांध में जमीन का बांध जून, १९५५ तक पूरा हो जायगा और कंकरीट का बांध सब प्रकार से जून, १९५६ तक पूरा हो जायगा। मैं दूसरी मदों के कार्यक्रम के विषय में सदन का समय नहीं लेना चाहता, पर मुझे आश्वासन दिया गया है कि दूसरे काम भी निर्धारित तिथियों तक पूरे हो जायेंगे।

और भी कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। एक बात मुझे विशेषतः सदन के ध्यान में लानी है। मुझे ज्ञात हुआ कि मंजूरी प्राप्त होने के पहले ही काम का एक हिस्सा पूरा हो चुका था। ऐसी बात नहीं कि आरूप, विशेष निर्देश और आकलन ही नहीं थे। यह सब तो था, पर मंजूरी प्राप्त करने में कुछ समय लगा और मुझे बताया गया है कि काम के जरूरी होने के कारण आगे बढ़ जाना पड़ा।

सहायक बांध के विषय में एक बात अति विशिष्ट प्रकार की है और उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस संबंध में बहुत सारी आलोचना और टीका-टिप्पणी हुई है। निश्चय ही वह बड़ा अजीब सा है कि ७० लाख रुपये की लागत से कुछ काम शुरू किया जाये—डेढ़ करोड़ रुपये नहीं, जैसा कि आरोप लगाया गया है—और कुछ समय तक काम चलता रहे और कुछ समय बाद हम उसे कुछ काल के लिये त्याग दें। मैंने पूरी सावधानी से इस विषय को जांच की है और एक बात में मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं। यह बताया जा रहा है कि संभवतः यह काम पीछे से सोच कर बाद में लिया गया था या इस पर पहले उचित और पर्याप्त रूप में विचार नहीं किया गया था। ऐसी बात नहीं है। यह सहायक बांध और बिजलीघर संख्या २ मूल परियोजना के अंग थे। बाद में जब एक परामर्शदात्री समिति ने, जिसके सभापति

डा० सैन्त्रेज थे, इस परियोजना की जांच की तो वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि बिजलीघर संख्या २ के दो एककों को लेकर आरम्भ करना वांछनीय होगा, क्योंकि नागरिक निर्माण-कार्य और बिजलीघर संख्या २ में मशीनों की स्थापना बिजलीघर संख्या १ की अपेक्षा अधिक सुविधापूर्वक और अधिक पहले की जा सकेगी। बिजली के विस्तार और व्यक्तियों के प्रशिक्षण के विषय में प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिये इसे उपयुक्त समझा गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार सहायक बांध और बिजलीघर पर काम आरम्भ कर दिया गया, पर बाद में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर विचार होने के बाद और विशेषत: संसाधनों के आवंटन की दृष्टि में यह निर्णय किया गया कि इस बांध पर आगे काम न किया जाये। निर्णय होते समय विद्यमान दशाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस पर विचार करना होगा। यह परिवर्तन आज की काफी बदली हुई दशाओं और परिस्थितियों के कारण भी संभव हो गया। निर्णय होते समय देश में और सरकार में भी यह भावना चल रही थी कि पर्याप्त धन हमारे पास है और धन की कमी के आधार पर ही किसी उचित परियोजना में अड़ंगा न लगाना चाहिये। उस समय देश में औद्योगिक विकास की प्रत्याशाओं के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण भी चल रहा था—आशा थी कि एक इस्पात संयंत्र शीघ्र लगने वाला है। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरे उद्योग भी जन्म लेंगे। वह आशावाद कुछ सीमा तक असत्य सिद्ध हो चुका है। तो सका क्या होगा? कुछ धनराशि विघटित रूप में वहां रुकी पड़ी है, पर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर सकता हूं कि लगभग २० लाख रुपये से बनी इमारतों आदि का उपयोग किया जायेगा। बिजली पैदा करने वाले सैट आदि बिजलीघर संख्या १ में कुछ सुधार के बाद काम आयेंगे और शेष निर्माण-कार्य आदि को संरक्षित रूप में रखा जायेगा, जिससे अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल स्थिति पैदा होते ही इस कार्य को फिर हाथ में लेकर आगे बढ़ा जा सके।

सहायक बांध के बारे में इतना कह कर दूसरी परियोजना की ओर बढ़ने से पहले मुझे एक विशेष बात कहनी है। माननीय श्री सारंगधर दास की बात सुनने के बाद मैंने यह जानने के लिये एक संदेश उनके पास भेजा कि यदि भ्रष्टाचार और पक्षपात आदि के कुछ विशिष्ट मामले उनके ध्यान में आये हों और वे मुझे बता सकें, तो मैं उनकी जांच करूंगा। कल हम फिर मिले थे और सदन के सूचनार्थ मैं बता दूं कि माननीय सदस्य ने मुझसे कहा था कि सदन में उन आरोपों को लगाते समय वह संकीर्ण प्रान्तीय भावना में नहीं बह रहे थे। उनकी ऐसी धारणा थी—निःसंदेह यह धारणा गलत थी—कि जैसा वह सोचते हैं, वैसी ही गड़बड़ी चल रही है। श्रीमान्, मेरे लिए इतना ही काफी नहीं कि उड़ीसावासियों के साथ वहां उचित व्यवहार न होने, उपलब्ध होने पर भी वहां के इंजीनियरों के न लगाये जाने और वहां के स्थानीय ठेकेदारों को लाभ के लिय अवसर न देने आदि आरोपों का मैंने पर्याप्त उत्तर दे दिया है। बहुत से उड़ीसावासियों के मन में रहने वाली यह भावना कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, मुझे चिंतित बनाने के लिये बहुत है, और मुझे चिंतित बना रही है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे चुका हूं कि वहां जाकर और कुछ दिन स्वयं वहां बिताकर मैं इस भावना का आधार खोजने का प्रयत्न करूंगा।

[श्री नन्दा]

हमारी सब से बड़ी कमी अशुद्ध प्रचार है। हमारा प्रचार पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस उड़ीसा में हमारे द्वारा उचित ठहराये जाने योग्य इतना सब किया जा रहा है, वहां पर भी बहुत से लोग कुछ का कुछ समझ रहे हैं।

हिराकुड परियोजना के बारे में एक प्रश्न और उठा था कि आकलन बढ़ गया और परियोजना की लागत बहुत तेजी से बढ़ गयी। ऐसा समझा जा रहा है कि जब संशोधित आकलन में मूल आकलन की अपेक्षा अधिक राशि दी गयी है, तो शायद वही काम जो उचित रूप में पुरानी राशि में ही हो जाना चाहिये था अब अपेक्षतया बहुत अधिक राशि में होने जा रहा है। और फलतः अतिव्यय और अपव्यय हो रहा है। पर वह सोचते समय वह तथ्य भुला दिया जाता है कि मूल परियोजना का आकलन १९४५ या १९४६ में किसी समय पर किया गया था। अन्य क्षेत्रों में अपने निजी अनुभव के बल पर हम देखते हैं कि जब हम चार-पांच वर्ष पहले किसी चीज के लिये एक रुपया देते थे, तो अब हमें बहुत अधिक देना पड़ता है। यही बात हीराकुड परियोजना और कुछ दूसरी परियोजनाओं के बारे में भी हुई है। श्रमिक व्ययों में पांच करोड़ रुपये की वृद्धि, अवमूल्यन के कारण ढाई करोड़ की वृद्धि जमीन की क्षतिपूर्ति में ६.७ करोड़ की वृद्धि और ऐसी ही वृद्धियों से ४४.३ करोड़ की इस कुल राशि को समझा जा सकता है। मूल आकलनी में न ली गयी मुहाने की सिंचाई (१२ करोड़) को समेट लेने के कारण और प्रसारण पंक्तियों (ट्रांसमीशन लाइन्स) की लंबाई में वृद्धि के कारण भी वृद्धि हुई है। इस बात पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे सास जो आंकड़े हैं, वे बता देंगे कि मशीनों के दाम कितने बढ़ गये हैं और मजदूरी की दरें कितनी बढ़ गयी हैं। उदाहरण के लिए मजदूरी की दर बारह आने प्रति दिन से बढ़ कर डेढ़ रुपये प्रति दिन हो गयी है। एक बात को छोड़ वे सारी बातें हिराकुड परियोजना के बारे में हैं।

माननीय डा० मेघनाद साहा ने डा० सैवेज के बारे में एक टिप्पनी मेरे पास भेजी थी। हिराकुड में सुन्दर काम होने और वहां की पूर्वयोजना संतोष प्रद रहने के बारे में मैंने उन की साक्षी दी है। माननीय सदस्य बताते हैं कि डा० सैवेज बांध निर्माण के विशेषज्ञ हैं, योजना के नहीं। यदि आप उन्हें स्थल बता दें, तो वह परामर्श दे सकते हैं। वह स्थल चुन नहीं सकते। पूछताछ करने पर मुझे सूचना मिली है कि डा० सैवेज बांध प्रारूपण और निर्माण दोनों के विशेषज्ञ हैं। योजना और स्थल निर्वाचन के विशेषज्ञ हुए बिना वह इसके विशेषज्ञ नहीं हो सकते। संयुक्त राज्य अमरीका में और दुनिया में अन्यत्र भी अधिकांश बड़े बड़े बांधों के स्थल-निर्वाचन से उनका सम्बन्ध रहा है।

अब मैं दामोदर घाटी निगम को लेता हूं। दा० घा० निगम के काम के बारे में भारी आरोप और आक्षेप लगाये गये थे। आरंभ में ही मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि दा० घा० निगम के कुछ पहलुओं का मैंने पूरा पूरा अध्ययन नहीं किया है। मेरे मन में यह भावना है कि कुछ समय तक दा० घा० निगम का प्रशासन सुदृढ़ रूप में नहीं हुआ जैसे कि उचित और वांछित समय से भी अधिक समय तक कोई मुख्य इंजीनियर नियुक्त नहीं किया गया। फलतः कुछ कठिनाइयां होनी ही थीं और

में समझता हूं कि हुई भी हैं और उन बातों पर और भी पूरे रूप में विचार करने के बाद मैं काफी शुद्ध और सुनिश्चित बात बता सकूंगा । पर अभी मैं जोरदार शब्दों में इतना ही कह सकता हूं कि अब उसकी जो स्थिति है और चूंकि अब कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं इस लिये अब हमारे लिये अतिव्यय या धन राशि के अपव्यय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है । निगम बनने से लेकर अब तक अनेक बातें हुईं और सावधानी के अनेक उपाय किये गये अब परामर्शदात्री समिति है, अंतर्राज्य सम्मेलन है, प्राविधिक मंत्रदाताओं की समिति है और इसलिये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि माननीय सदस्य की चिंता का तब भले ही कोई कारण रहा हो, अब मेरी समझ से कोई कारण नहीं रहा है ।

माननीय सदस्य ने दा० घा० निगम के सम्बन्ध में डा० मौर्गन के प्रतिवेदन को ही विशेषतः चुना है और उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि डा० मौर्गन द्वारा की गई सिफारिशों का दा० घा० निगम ने पालन नहीं किया और न उनके द्वारा बतायी गयी कुछ अनियमितताओं को ही प्रकाश में लाया गया। डा० मौर्गन का प्रतिवेदन मेरे सामने है और उसे डा० मेघनाद साहा को दिखाने में मुझे कोई हिचक न होगी और इस प्रतिवेदन को पढ़ने और कुछ और पूछ ताछ करने के बाद ही मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं । मैं देखता हूं कि न तो यह धारणा ही सही है कि डा० मार्गन ने कुछ गंभीर आक्षेप आदि लगाये थे, और न उनका यह वक्तव्य ही सही है कि डा० मौर्गन द्वारा की गयी कुछ सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है। डा० मौर्गन ने प्राविधिक विषयों को ही लिया था। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बाढ़-स्थानों (डिजाइन फ्लड) की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की थी और यह कहा था तिलैया और कोनार के बांध केवल सिंचाई और विद्युत के लिये ही काम में लाये जायें, बाढ़ निरोध के लिये नहीं। डा० मौर्गन की इन तथा दूसरी सिफ़ारिशों पर ध्यान दिया गया है, और डा० मौर्गन ने दा० घा० निगम के प्रशासन के बारे में और जो कुछ कहा है, मुझे विश्वास है कि वह परियोजना के प्रशासन के रंचमात्र भी प्रतिकूल नहीं है ।

डा० मेघनाद साहा ने यह भी कहा था कि दा० घा० निगम अपनी योजना अवस्था को ही अभी पार नहीं कर सकी है और उन्होंने कुछ अनियमितताएं भी बताई थीं। मैंने डा० मेघनाद साहा से उसी दिन बात की और उन से वह सामग्री तथा दृष्टांत मांगे जिससे मैं आगे जांच कर सकूं और निश्चयपूर्वक बता सकूं कि क्या उनके द्वारा कही गयी बातें ठीक भी थीं। पर वे ठीक हो भी नहीं सकतीं। मैं सहज ही समझ सकता हूं कि बाहर के किसी व्यक्ति के पास पूरी-पूरी सामग्री नहीं हो सकती। यदि अब फिर जांच करके वह मुझे कुछ बतायेंगे, तो मैं पूरी-पूरी जांच करूंगा ।

श्री मेघनाद साहा : (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं अपने द्वारा संग्रहीत सभी सामग्री दे दूंगा और वह है भी बहुत सारी।

श्री नन्दा : सम्भव है। मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या स्थिति होगी, पर जहां तक लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है, कोई भी सामग्री नहीं मिली ।

भूमि-पुनरुद्धार के काम के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं की बात कही गई थी । यह सच है कि प्रति एकड़ लागत बहुत बढ़ गई है । इसके लिये एक

[श्री मेघनाद साहा]

स्पष्टीकरण है। पहले प्रत्याशित मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक मिट्टी हटानी पड़ी। पर इस मामले में भी सूक्ष्म परीक्षण ही बता सकेगा कि ठीक ठीक वस्तुस्थिति क्या थी। पर यह कहना कि दा० घा० परियोजना का आरूप बुरा था, या उसकी पूर्वयोजना गंदी थी, या उसका काम अभी योजना की अवस्था को ही पार नहीं कर सका है--सत्य से बहुत दूर है। अभी मैं स्थिति का संक्षिप्त विवरण दे सकता हूं। व्यय की गई धन-राशि ३० करोड़ रुपये है, २० करोड़ रुपये नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था। तिलैया बिजलीघर इसी बर्ष पूरा होने जा रहा है। कोनार इस वर्ष १३४० की ऊंचाई तक पहुंच जायेगा, जिससे वह ठंडा करने वाला पानी काफ़ी मात्रा में दे सकेगा। बोकारो का पहला एकक समय सूची के अनुसार जून, १९५३ तक पूरा हो जायेगा। बोकारो बिजलीघर का पहला एकक इस साल के अंत तक चालू हो जायेगा और सारा बिजलीघर १९५३ के आरम्भ में। १४० मील लम्बी प्रसारण-पंक्तियां (ट्रांसमीशन लाइन्स) आठ उपकेंद्रों (सब-स्टेशनों) के साथ-साथ पहले ही बिछायी जा चुकी हैं। और भी विवरण हैं। जहां तक इस बिजलीघर के काम का सम्बन्ध है, मैं बता दूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का चाव भी एक भारी बात है, क्योंकि बैंक कुछ बिगड़ने न देगा; उसे चिन्ता है, उसका समें स्वार्थ है और वह जांच करता रहता है, और समय समय पर उसके प्रतिनिधि आते रहते हैं और मैंने उनके प्रतिवेदन देखे हैं। उनमें भी यहां होने वाली आलोचना की पुष्टि करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी ओर क्रमशः होनें वाले प्रत्येक प्रतिवेदन ने दा० घा० निगम में होने वाले काम के विषय में अधिकाधिक संतोष ही प्रकट किया है।

९ म० पू०

दा० घा० निगम के बारे में दूसरी बात सिंचाई की तुलना में बिजली को दी गई प्राथमिकता के सम्बन्ध में है। यह भी जान बूझ कर कुछ चुनाव करने जैसी कुछ बात नहीं है। अनेकों परिस्थितियां एक दिशा की प्रगति की अपेक्षा दूसरी दिशा की प्रगति के अधिक पक्ष में थीं। डा० मेघनाद साहा को यह भली भांति विदित है कि सिंचाई के बांधों के प्रारूप बनाने और तैयारी करने के काम में बहुत देर लगती है। बिजलीघरों के सम्बन्ध में जनवास्तु कार्यों में इतना अधिक समय नहीं लगता है और यदि मशीनें पहले से मंगा ली गई हों, तो बिजलीघर और भी जल्दी खड़ा किया जा सकता है। और एक भारी बिजलीघर को सदा से ही दामोदर योजना का एक अंग माना जाता रहा है। इस बीच दामोदर-क्षेत्र में बिजली की भारी मांग भी है। ऐसी परिस्थितियों में म नहीं समझता कि एक दिशा की प्रगति की आलोचना केवल इसी कारण की जानी चाहिये कि अनुकूल परिस्थितियों से और वित्त आदि के उपलब्ध होनें से यह प्रगति हुई है। दूसरे काम के बारे में भी मैंने जांच की है और पता चला है कि वहां भी तेज़ी से प्रगति हो रही है। मेरे पास एक पूरी-पूरी समय-सूची है, जिससे ज्ञात होगा कि इस समय में क्या क्या हो चुका है और कितनी जल्दी ही विविध बातें पूरी होने जा रही हैं। इसे प्रश्न पर मैं सदन का जो इतना सारा समय ले रहा हूं, उस दृष्टि से मैं इन सारे विवरणों में वह समय न जाने दूंगा।

अब मैं दूसरी परियोजना—भाखड़ा-नंगल परियोजना को लूंगा। इस परियोजना के सम्बन्ध में दो मुख्य बातों की आलोचना हुई थी। पहली बात यह है कि काम में देर हो रही है—पूरे होने की तिथि साल-साल बाद टाली जा रही है। दूसरी बात श्री स्लोकम के बारे में थी कि हमने उन्हें बहुत अधिक वेतन पर लगाया है और उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। भाखड़ा-नंगल परियोजना से सम्बन्धित सामग्री और दूसरे कागज-पत्रों की मैंने जांच की है और मुझे संतोष है कि वहां सब बातें बहुत सहज रूप में और बहुत तेजी से हो रही हैं। मेरे पास एक बात और है जो संभवतः सारी समस्या को समेट लेगी, वह यह है कि हाथ में लिये गये विविध कामों के पूरे होने की तिथि क्या होने जा रही है ?

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : और भारी वेतनों के बारे में ?

श्री नन्दा : मैं श्री स्लोकम के प्रश्न को पीछे लेना चाहता था। यदि माननीय सदस्य वैसा चाहते हैं, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर पहले दे दूंगा। बांध स्थल की निराली दशाओं के कारण हमने श्री स्लोकम की सेवायें प्राप्त की थीं। भारी काम, बड़ी-बड़ी गुत्थियां, विभिन्न कठिनाइयां—ये सब ऐसी कठिनाइयां थीं, जो और कहीं भी नहीं हुई और इस बांध के निर्माण में प्राविधिक सहायता देने के लिए निश्चय ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आवश्यक था। हमें खेद यही है कि हम श्री स्लोकम को पहले प्राप्त नहीं कर सके उनकी सेवायें प्राप्त करने के लिये उद्योग किये गये थे, पर हमने सोचा कि वेतन बहुत अधिक थे, इसलिये हमने हिचकिचाहट दिखायी और शर्तें स्वीकार न कीं और हम बातचीत करते रहे और सौदे करते रहे। बाद में हमने देखा कि हम किसी दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही एक बात और है कि उनका वेतन हमारे वेतनों की तुलना में भले ही अधिक हो, पर उनको वहां या अन्यत्र मिल सकने वाले या मिलने वाले वेतन की तुलना में अधिक नहीं है। इसलिये इस विषय में हमारे लिये विकल्प न रहा। हमें सर्वश्रेष्ठ प्राविधिक परामर्श चाहिये था और हमें वह भारी कीमत पर प्राप्त करना पड़ा। पर सच यह है कि उस स्थल पर उनकी उपस्थिति और अब तक का उनका काम काफी प्रभावशाली प्रकार का रहा है। चुनाव अपने आप उचित प्रमाणित हो चुका है। हमारे सामने स्थित समय-सूची की दृष्टि में प्रगति अत्यंत तीव्र हो गयी है। उदाहरण के लिए सन् १९५२ के परियोजना-प्रतिवेदन के अनुसार कंकरीट बांध दिसम्बर १९५९ तक पूरा होना था, और अब पुनरीक्षित समय-सूची में यह जून, १९५८ है। विकर्षण प्रणालियों (डाइवर्सन-टनेल्स) के लिये पूरे होने की तिथि १९५२ के परियोजना प्रतिवेदन में दिसम्बर, १९५३ रखी गयी थी और अब पुनरीक्षित कार्यक्रम में यह जून, १९५३ है। पूरा बांध पहले मार्च, १९६० में पूरा होना था और अब वह तिथि यदि धन उपलब्ध रहा तो, घटा कर मार्च १९५९ कर दी गई है। परियोजना-प्रतिवेदन की दूसरी मदों के बारे में भी यही बात है। एक परियोजना पर ६ महीने या एक साल का समय बचा सकना बहुत अच्छी बात है। यदि ऊपरी व्ययों, ब्याज तथा और सब बातों का हिसाब लगाया जाये, तो इससे लाखों रुपयों की बचत हो जायगी। इसलिये मैं नहीं समझता कि श्री स्लोकम की नियुक्ति को उचित ठहराना किसी भी प्रकार कठिन है। इसे पूर्णतः उचित ठहराया जा सकता है। श्री स्लोकम

[श्री नन्दा]

के विषय में अपने उत्तर के क्रम में मैं यह सूचना भी दे चुका हूं, जो मैं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या माननीय मंत्री अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ? मैं माननीय मंत्री को याद दिला दूं कि हमें अब दूसरी मांगें लेनी हैं और समय नियत किया हुआ है । हमें और भी मांगें लेनी हैं, जिन पर सभी सदस्य बोलने के इच्छुक हैं । इतना ही पर्याप्त होगा कि वह मुख्य बातें ही लें, और थोड़े से थोड़े समय में यथासंभव विवरण दे दें । कल उन्होंने एक घंटा लिया था और आज ४० मिनट के लगभग ले चुके हैं । इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों में यह व्यग्रता सी देख रहा हूं कि वित्तीय-कार्यक्रम में सर्वत्र रखी गई समयावधि की दृष्टि में दूसरी मांगों और आलोचनाओं का क्या होगा । यही बात है । मुझे वे सब विवरण बताना जरूरी नहीं ।

श्री नन्दा : श्रीमान् दूसरे विषयों के लिय संरक्षित तथा अभिप्रेत समय के संबंध म मुझे याद दिलाने के लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । आपने बताया कि इस विषय में यहां पर लोग कुछ व्यग्र हो रहे हैं । मैं ने भी इस विषय पर भाषण आरंभ करते समय नदी घाटी परीयोजनाओं की कार्य-प्रणाली के विषय में लोगों में कुछ व्यग्रता देखी थी और मैं उसे दूर करने का प्रयास कर रहा था । और मैं समझता हूं कि नदी घाटी परियोजनाओं की वस्तु-स्थिति के विषय में और देश में बिलकुल गलत प्रभाव पैदा करने वाली बातों के सम्बन्ध में और अधिक सूचना देने के अवसर मुझे आगे भी मिल सकेंगे । इसलिय मैं आपकी बात मान कर सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । विभिन्न परियोजनाओं के संगठनों और प्रशासनिक ढांचों के बारे में कुछ बातें और कहनी थीं, पर शायद उनको लेकर मैं आपके द्वारा दिये गये समय का उल्लंघन कर जाऊंगा । अतः मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सारंगधरदास : (देनकनाल—पश्चिम कटक): श्रीमान् एक स्पष्टीकरण के संबंध में । मंत्री महोदय ने कहा कि मेरी धारणा गलत थी । टेलीफोन पर उनसे बात करते समय मैं ने यह कभी नहीं माना कि मेरी धारणा गलत थी और अब भी वह भले ही 'मेरी धारणा गलत मानते' हों, उनके द्वारा दिय गये स्पष्टीकरण पर भी मेरी धारणा बदली नहीं है । जब बदल जायेगी, तब मैं स्वीकार कर लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों और मांगों को सदन के मतदान के लिये रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए

सदन द्वारा यह अनुदानों की मांगें स्वीकृत की गईं

मांग संख्या ७१—सिंचाई (कार्यवाहक व्यय सहित) नौपरिवहन, बध तथा जल निकास योजनायें (राजस्व से पूरित) १६००० रुपये

मांग संख्या ७५—बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें २७,६०,०००

मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन तथा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग व्यय ३१,७२,००० रुपये

मांग संख्या १२३—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय २,०४,४३,००० रुपये

———

मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' के निमित्त जो काम होगा उस की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को १,०५,७९,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

इस पर माननीय मंत्री के उत्तर समेत बारह बजे तक विवाद चलेगा, तब वित्त मंत्रालय सम्बन्धी मांग ली जायेगी।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : कल के कार्यक्रम के अनुसार एक घंटा अधिक लग गया, वह कल नहीं जोड़ा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यही होगी कि वित्त पर विवाद के लिये कम समय रह जायेगा । मैं समझता हूं कि इन मांगों के लिये कल अन्तिम दिन है । एक दिन बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उससे सारा कार्यक्रम शिथिल हो जायेगा । और सत्र का कार्यक्रम बनाने का अर्थ है कि उसका पालन हो और सदस्यों को यहां ठहरने के बारे में संदिग्धता न रहे । अतः अपवादभूत परिस्थितियों की बात छोड़ हमें मनचाही छूट वाली बात न अपनाकर अपने जीवन को आयोजित बनाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): क्या सरकार का वैसा दायित्व नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मंत्रियों द्वारा नहीं, अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया जा रहा है और अध्यक्ष को सरकारी ओर के सदस्यों की ही नहीं विरोधी सदस्यों को भी—सभी की ही सुविधा का ध्यान रखना है, दलों का उसे चिन्ता नहीं ।

श्री दामोदर मनन (कोजिकोड): प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा अधिक समय लेने से उठा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं सदस्यों से पत्र व्यवहार और बात चीत में कही गई उसी बात को दुहराऊंगा कि सामान्य ११-१२ दिनों के स्थान पर १८-२० दिन दिये गये हैं। दूसरे विरोधी सदस्यों को पूरे पूरे विवाद के लिये अवसर देने के लिये मैंने पूरी सरकारी कार्यवाही के स्थान पर कुछ विशेष मंत्रालयों को चुनने का परामर्श दिया था, पर कुछ ऐसे कारणों से कि वे सभी मंत्रालयों के साथ यथेष्ट न्याय न कर सकेंगे, वह सभी विभागों को लेना चाहते हैं । पर नय होने पर भी और पहले वर्ष में ही सारे के सारे प्रशासन का सिंहावलोकन उन्होंने चुना, मैंने नहीं । यह समझते हुए भी कि प्रत्येक मांग के विवरणों को लेना सम्भव न होगा, ऐसी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आगे दिन बढ़ाने की आशा बहुत बड़ी आशा है । इसीलिये विवाद को कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेने वाला और संक्षिप्त मानकर ही मैंने योजना मंत्री को महत्वपूर्ण विवरण और सूचना देने से रोक दिया। अब समय बढ़ाने की मांग करने वाले विरोधी दल के सदस्यों से भी मैं यही कहूंगा । यदि माननीय मंत्री के उत्तर समेत कल एक बजे सब समाप्त हो जाये, तो आज समय बढ़ाने में मुझे आपत्ति नहीं । यह तो एक-दो मांगों में समय का ठीक करना है, पर समय बढ़ाना सदस्यों के दृष्टिकोण से ही उचित न होगा ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान् मुझे एक शिकायत है .....

अध्यक्ष महोदय: अपनी शिकायत अकेले में मुझ से कहें, यहां सदन के वर्गों के प्रति पारस्परिक आदर-भावना बिना रहे लोकतन्त्र चलाना सम्भव न होगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व): निवेदन है कि वित्त तथा योजना मंत्रालयों के महत्वपूर्ण होने के कारण हम पिछले शनिवार की भांति इस शनिवार को भी क्यों न बैठ जायें ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । बात वही है दिन बढ़ाने की । हमें पंचवर्षीय योजना चलानी है, यह पांच दिन की योजना तो कम से कम निभाना ही चाहिये ।

अब योजना की इस मांग पर सहमत कटौती प्रस्ताव संख्या १६४ पर विचार होगा । मंत्री महोदय उत्तर देने में क्या समय लेंगे ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): हम यह मांगें कब समाप्त करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: बारह बजे करना होगा ।

श्री नन्दा: आप जो कुछ समय निश्चित करें । मेरे लिये कुछ चुनना कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय: अभी अस्थायी रूप से मैं आध घंटा रखूंगा और उसे काटा भी तो बीस मिनट से कम न करूंगा । अब कटौती प्रस्ताव संख्या ११६४ श्री एच० एन० मुखर्जी के नाम में है ।

योजना के सिद्धान्त तथा पंचवर्षीय योजना की अपूर्णतायें

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मेरा प्रस्ताव है कि:

" 'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्): अब समय आ गया है कि हम अपना आधार तथ्यों को बनायें, कल्पनाओं को नहीं । योजना आयोग बताता है कि पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर हम १९३९ का जीवनस्तर प्राप्त कर लेंगे । लोगों ने इसे सीमित लक्ष्य बता इसकी आलोचना की है, पर यदि यह योजना आगे आने वाली योजनाओं का आधार भर मान ली गई होती तो मैं इस आलोचना को अनुचित ही ठहराता---क्योंकि प्रत्येक अविकसित देश में एक योजना दूसरी योजना की जनक होनी चाहिये । पर खेद है कि ऐसा नहीं माना गया ।

हमें इस पंचवर्षीय योजना द्वारा अपने आर्थिक ढांचों के तीन पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है--- रोज़गार पर, नगर और देहात व व्यापारी, निर्माता और उपभोक्ताओं के बीच आय के वितरण पर, तथा तीसरे आगामी योजनाओं के लिये यह योजना कैसे आधारभूत बनेगी ? व्यय पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए भी हमें देखना है कि इन व्ययों से रोज़गार पर क्या प्रभाव पड़ेगा । १९५६ तक हमारी जनसंख्या २ करोड़ बढ़ जायेगी और ज़मीन की समस्या वैसी ही बनी रहेगी । मंत्री महोदय के कथनानुसार देहाती उपज बढ़ जाने से किसान को लाभ रहेगा, पर नगरी लोगों से विनिमय उसके हित में न रहेगा । यह देहाती समृद्धि के लिये गंभीर बात है और समुदाय और विकास पर भारी प्रभाव डालेगी । एक बार परिसंपत् का क्षय हो गया, तो उसे फिर खड़े किये बिना समुदाय को उसकी बचत उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी ।

अवसर होते हुए भी ये दुखद शिकायतें न करके मुझे यही कहना है कि यदि योजना को सफल बनाना है, तो उसमें कुछ संशोधन-परिवर्तन करने ही होंगे, और यदि आप इसे भावी योजनाओं का आधार बनाना चाहते हैं, तो सहायक उद्योग तुरन्त आरंभ कीजिये।

इन परियोजनाओं के फलस्वरूप १९५६ तक ११ लाख किलोवाट या ७० प्रति शत से अधिक बिजली और पैदा होने लगेगी, पर इसकी खपत कैसे की जायेगी? परियोजनायें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब भारी-भारी रसायनों, औज़ार बनाने वाली मशीनों, और बिजली के सामानों के सहायक उद्योग खोलने में और देर न होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता कर के इस्पात उद्योग खोलने की दिशा में सरकार ने अवश्य स्तुत्य कार्य किया है और उससे ६ लाख टन कच्चे लोहे की मांग भी बहुत कुछ पूरी हो जायेगी और पैदा हुई बिजली का एक अंश भी काम आ जायेगा।

मैं विरोधी सदस्यों के साथ इस बात में सहमत हूं कि योजना को दलगत दृष्टिकोण से न देख विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिये। अब अधिक वित्त वाले वर्ष नहीं रहे और रोकड़ बाकी भी कम हो गयी है, अतः सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देकर शीघ्र चलाना चाहिये। इन उद्योगों में पूंजी के वापस आने की दर २० गुनी अधिक है और आय, रोज़गार आदि पर इस का तीव्र प्रभाव पड़ेगा। सरकार के सामने तीन मार्ग हो सकते थे। धन की कमी के कारण स्वयं विनियोजन का प्रश्न नहीं उठता, और इसी कारण निजी उद्योगों द्वारा भी विनियोजन संभव नहीं। अब विदेशी पूंजी वाले अन्य न्यायत्त निगमों की साझेदारी में सरकार द्वारा विनियोजन का विकल्प ही शेष रह जाता है। इस विषय पर भारी मतभेद है। पर मैं पूछता हूं कि किस देश ने विदेशी पूंजी के बिना अपना विकास कर लिया है? मौरिस डौब और लौंगटन के लेख बताते हैं कि सोवियत रूस ने भी ४००० विदेशी प्रविधिज्ञ बुलाये थे और विदेशों से समझौते किये थे। एक यथार्थवादी के रूप में उसने निर्ब्याज मिलने वाली विदेशी सहायता के प्रति हिचक नहीं दिखाई। वही भारत भी कर सकता है।

दूसरी समस्या परियोजनाओं पर दो वर्ष से होने वाली धन की बरबादियों की है, यद्यपि दूसरी ओर से कहा गया है कि वह नगण्य है। पर असावधानी के कारण हुई इन सब ऐतिहासिक लागतों को उपक्रम की लागत में जोड़ा जायेगा, और उपक्रमों के चालू होते ही लागत और लाभ जोड़ने के कुछ सिद्धान्त अपनाने होंगे। तब यदि उपभोक्ता को प्राप्त सेवा की दरें ऊंची नहीं रखनी हैं, तो इन सभी ऐतिहास लागतों को अलग कर देना होगा। पर ऐसा किया भी गया तब भी इसके पेचीदे होने के कारण गुत्थियां पड़ेंगी। लागत अलग करने का व्यक्तिगत आधार काम न करेगा और संयुक्त लागतों में गणना कैसे की जायेगी? मान लीजिये दा० घा० निगम की बिजली सहायता प्राप्त दर पर बंगाली किसानों को देनी है पर उसका आधार क्या होगा? यदि ऊंची दर ली गयी तो बंगाल में औद्योगिक विकास में कोई आकर्षण न रहेगा। किसानों को भी कष्ट पहुंचेगा। योजनायें शुरू हो गयी हैं। अब तक इस पर विचार हो जाना चाहिये था। बिना सोचे मूल्यांकन कर फिर बदलना कठिन होता है। यदि रेलों में हम एक तरीका अपना

[श्री कृष्णस्वामी]

लें तो फिर सुधार के लिये बदलना कठिन हो जायगा। एक बार गड़बड़ी हो जाने पर निहित स्वार्थ वाले परिवर्तन पसंद न करेंगे। आशा है, सरकार इस पर खूब ध्यान देगी, क्योंकि व्यय लगाने के सिद्धांतों को बिना विचारे तो हमें समाज के लिये योजना ही न बनानी चाहिये थी।

दूसरी बात इतने भारी समाजीकृत उपक्रमों को आरंभ करने से पहले उचित लेखा प्रक्रिया निश्चित करने की है। मंत्री महोदय बर्बादी की आलोचना पर चिड़ते हैं, पर क्या हमने इन विविध बातों में व्यय होने वाले धन के प्रतिफल जानने के लिये अंक नियंत्रण का कोई अपेक्षतया अच्छा तरीका अपनाया है? जब तक परियोजनाओं को लेखा के लिये कार्यकारी एककों में न बांटा जायेगा, हम अंशभाजक न जान सकेंगे कि कौन सी सेवाओं को सहायता दी जा रही है और धन कैसे व्यय हो रहा है। यदि सरकार हम से रचनात्मक आलोचना चाहती है, तो वह हमें इन विविध एककों के लाभ हानि के ब्यौरे और संतुलन पत्र दे। तभी प्रत्येक अंशभाजक इनके कार्यान्वित होने में चाव लेगा और यह जान सकेगा कि किस एकक को सहायता दी जाये। आशा है कि विरोधी दल के होने पर भी मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा और सरकार तत्काल सहायक उद्योग शुरू करेगी तथा समुचित लेखा प्रक्रिया और लाभ और लागत के मुल्यांकन की सुंदर प्रणाली अपनायेगी। कुछ प्रदेशों में इन योजनाओं के कार्यान्वित होने की रीति का हम ने विरोध किया था पर आगे सहायक उद्योग आरंभ करते समय आप के प्रदेशों में वितरण के महत्वपूर्व आधार पर ध्यान दिया जायेगा। यदि सदन ने फिर कभी इस पर विचार किया, तो मुझे यह बात पूरी तरह स्पष्ट करने का फिर अवसर मिलेगा।

श्री आर० के० चौधरी : सभी को एक दिन अवसर मिलता है। लोगों ने मुझे विदूषक के रूप में बदनाम कर रखा है, पर मैं हंसी में नहीं बल्कि गंभीर रूप में बात करता हूं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री जैसे कुछ मंत्री मेरी बात पर ध्यान दे कर उचित उत्तर दे देते हैं और श्री जैन जैसे मंत्री आसाम के शरणार्थियों के विषय में बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बताते। कलकत्ता विश्व विद्यालय में पढ़ने वाले और मेरी आयुवाले लोगों ने ली वार्नर की पुस्तक **सिटीजेन आफ इंडिया** में यह पढ़ा होगा कि यदि शरीर के एक अंग के रुग्ण होने पर पूरी देह ही रुग्ण कही जाती है। आसाम के खतरें में पड़ने पर या भूखों मरने पर सारे देश के लिये खतरा खड़ा हो जायेगा। न केवल इस सदन में बल्कि बाहर भी आसाम के विषय में भारी अज्ञान फैला हुआ है। आसाम उत्तर पूर्वी सीमा है। ब्रिटिश काल में भी उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था, फलतः गत युद्ध में शत्रु उत्तर-पूर्वी सीमा में नागा पहाड़ियों तक घुस आया। आशा है, सदस्यगण आसाम में चाव लेकर और अगामी खतरे को समझ आसाम की सीमा की रक्षा पर ध्यान देंगे।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू होने से जिस के विरुद्ध चाय संघ ने

अभ्यावेदन भेजा है, आसाम का चाय उद्योग प्राय : समाप्त होने जा रहा है और लगभग १३ लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे। इन मजदूरों में ९९.५ प्रति शत शेष भारत से—अधिकांश बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा से आते हैं। यह ठीक है कि मुश्किल से १०००० आसामवासी चाय उद्योग से संबंधित हैं। पर चाय बागों का चावल आदि देने वाले किसान भी तो हैं, और चूंकि चाय पालिक उद्योग चला सकने में असमर्थ हैं, चाय बागों के बंद हो जाने से पूरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था एकदम डगमगा जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि न्यूनतम मजूरी घटायी जाय, बल्कि उत्पादन कर घटा देना चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय चाय-समिति के सदस्य इंडोनेशिया ने चाय पर कुछ उत्पादन-कर नहीं रखा है और दूसरे मदस्यों लंका और पाकिस्तान ने भी उसे घटा दिया है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे भी कुछ वर्षों के लिये इसे हटा दें।

दूसरी बात आसाम के भूकम्पों और बाढों की है, जिसने पूरे राज्य की धरती और संचरण को तहस नहस कर डाला है। गरीब आसाम सरकार की निधि उस के साधन और उस को दिये गये वचन भारत सरकार द्वारा पहले ही वापस ले लिये गये हैं। पीड़ितों को सहायता देने की तो बात ही अलग, आसाम सरकार तो वहां हुई क्षति की परिमाप करने के लिये विशेषज्ञों को नियुक्त कर उन्हें वेतन देने तक में असमर्थ है। सदन के माननीय सदस्य-गण आसाम के प्रति पहले ही सहानु-भूति रखते हैं। आशा है, वे कुछ धन देने में हिचकचायेंगे नहीं।

अब आसाम के डिग्बोई के पैट्रोल को लें। वहां तेल कूप नित्य प्रति सूखते जा रहे हैं। भारत सरकार को आयकर और उत्पादनकर से ३ करोड़ रुपये मिलते हैं। पर आसाम को कुछ नहीं मिलता। उलटे जब दिल्ली में एक गैलन पैट्रोल दो रुपये बारह आने का आता है, डिग्बोई से ६० मील दूर डिब्रूगढ़ में वही तीन रुपये दो आने का आता है। आशा है, आसाम और पूरे देश के हित में इस बात में सुधार किया जायेगा।

समाचार फिल्में देखने वाले जानते हैं कि खासी पुरुष स्त्रियां श्रम के महत्व को समझते हैं और मुखिया की लड़कियां तक बाजार जाकर सामान बेचती हैं। तथाकथित असभ्य व्यक्ति काम करना और आत्मनिभर होना पसंद करते हैं। डा० हट्टन जैसे अंग्रेज नागा लोगों को नंगा रख विश्व-संग्रहालय के लिये संरक्षित रखना चाहते थे। क्या ऐसी भावना आज भी चलेगी ? मैं स्वयं आदिमजाति का नहीं यद्यपि बिलकुल वैसा ही लगता हूं। पर चूंकि वे केन्द्र का विषय है, अतः मुझे उनके विषय म अनुरोध करना है कि उन का भजन, रोजगार और सड़कें दीजिये। उनके लिये यह भीख मांगने का मुझे अधिकार है। वे मेहनत करना बुरा नहीं समझते। आशा है उनकी और उनके द्वारा आसाम की दशा सुधार कर देश की सुरक्षा को पक्का बनाया जायेगा।

श्री बी० सी० दास : (गंजम दक्षिण) : मैं शताब्दियों से साम्राज्य-वाद द्वारा प्रगति की धारा से दूर रखे गये भारत के योजनाबद्ध विकास के पक्ष में हूं। पर यह कांग्रेस सरकार की पंचवर्षीय योजना कुछ दशाओं के रहने पर

[श्री बी० सी० दास]

जिनकी रहने की संभावना नहीं है, हमें युद्ध पूर्व की स्थिति में ले जाने का वचन देती है। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या हमारे द्वारा क्रांति करके भगाये गये साम्राज्यवाद के समय का आर्थिक पिछड़ापन चलता रहेगा। कहा जाता है कि प्राविधिक रूप में पिछड़े होने के कारण हमें प्रतीक्षा करनी होगी, पर चीन से लौटे हमारे प्रतिनिधि बताते हैं कि विदेशी सहायता के बिना अपनी सहायता और अपने श्रम से ही चीन ने छः महीने में बड़े-बड़े बांध खड़े कर दिये। क्या वैसा ही वातावरण रहे, तो वैसी ही देश भक्ति और बलिदान की भावना वाले भारत में यह असंभव है ?

औद्योगिक रूप में पिछड़ा रह कर भारत साम्राज्यवादियों के शोषण का ही क्षेत्र बना रहेगा और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र न हो पायेगा। उधर हमारी योजना में खेती और सिंचाई संबंधी योजनाओं में कुल १५०० करोड़ में से ६४० करोड़ रुपये व्यय होने जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि खेती के मूल्य पर उद्योग बढ़ाये जायें, क्यों कि दोनों हमारे लिये आवश्यक हैं। पर ११५ करोड़ रुपयों में ५८०० मील लंबी नहरें खुदवाने वाले, करोड़ों रुपये देहाती विकास में लगाने वाले तथा सहकारी ऋणदात्री संस्थायें खुलवाने वाले अंग्रेजी राज्य से नयी बात हम क्या कर रहे हैं ? उनसे किसानों को लाभ न हुआ बल्कि उलट उन की जमीनें छोटी पर छोटी होती गयीं और वे बाप दादे से भी अधिक निर्धन हो गये। सरकारी उधार आन्दोलन से साहूकारों ने उलटे लाभ उठाया है। कांग्रेस के बागडोर संभालने से पहले १५ लाख टन खाद्य का आयात प्रति वर्ष होता था। अब कांग्रेस सरकार भी इस से पाठ न सीख उसी पथ को अपना कर कृषि पर ६४० करोड़ व्यय करने जा रही है और साथ ही सहकारी उधार प्रथा, सहकारी भू स्वामित्व और सामूहिक खेती भी आरंभ करवा रही है। पर वे सब केसे चलेंगी ? बताया गया है कि मजदूरों को किये गये काम के आधार पर मजदूरी और भू स्वामियों को क्षतिपूर्ति के रूप में हर फसल में लाभांश दिये जायेंगे। साथ ही अनुपस्थित रहने वाले जमीदारों के लिये भी उपबन्ध है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

गांव में कम से आधी जमीन जोतने वाले दो तिहाई मालिकों और काश्तकारों के प्रस्तुत हो जाने पर सामूहिक खेती शुरू कर देने का सुझाव योजना में दिया गया है। पर तब यह पूरे गांव पर लागू होगी और इस प्रकार अल्पसंख्यक धनी जमीदार छोटे किसानों को इसे स्वीकार करने के लिये विवश कर देंगे। इस प्रकार जमीदारों और बनियों के शासन में चकबन्दी के फलस्वरूप किसानों के हाथ बेरोजगारी ही आयेगी। भारी उद्योगीकरण न होने से लोगों को जगहें भी नहीं मिलेंगी। उधर योजना में घरेलू उद्योगों के लिये रखे गये १५ करोड़ रुपयों से भी यह बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इस सरकार की सारी योजनायें आज तक असफल रही हैं। अंग्रेजों ने भी जागीरदारी वाली आधारभूत बात को बिना ठीक किये खेती सुधारने की विविध योजनायें बनायी थीं और आयोग नियुक्त किये थे, पर सब असफल रहे। इसलिए जब तक हल चलाने वाला स्वयं अपने को जमीन का मालिक नहीं समझेगा तब तक न खेती की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और न राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो सकेगा।

दुर्भाग्य से योजना के प्रणेताओं ने आर्थिक दुर्दशा के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया है। तभी उन्हें पर्याप्त वित्त उपलब्ध होता नहीं दीखता। दूसरी ओर परामर्शदाता योजना बोर्ड का विचार है यदि ठीक से वित्त संचय हो, तो भारत इसके लिये काफी धन इकट्ठा कर सकेगा यदि देश के उद्योगीकरण के लिये अंग्रेजी उद्योगों को जब्त कर लिया जाये, यदि अतिरिक्त लाभ कर और बकाया आयकर कड़ाई से वसूल किये जायें, तो राष्ट्रीयतावादी अर्थशास्त्रियों के मत से हम पूंजी एकत्र कर सकते हैं। यदि सर्वांगीण उद्योगीकरण के लिय देशभक्ति जागृत की जाये, तो आने वाली विदेशी पूंजी भी हमारे हित में ही होगी। हम विदेशी पूंजी के अभाव के कारण पिछड़े हुये नहीं हैं, बल्कि उसके द्वारा किये गये शोषण के कारण पिछड़े हुए हैं और प्राविधिक ज्ञान की हमारी कमी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था न चला सकने में ही है। पूंजी संचय में विदेशी पूंजी की कमी के कारण कमी नहीं है, बल्कि उलटे वह पूंजी यहां है और देश की आर्थिक स्वाधीनता और विकास में बाधा डाल रही है और हमारी पूंजी बाहर खींच कर हमारे किसानों को दरिद्र बना हमारे आर्थिक ढांचे को तहस-नहस कर रही है। यदि योजना किसानों के भू स्वामित्व को अपना कर उन्हें विश्वास में ले, तो बहुत पूंजी मिल जायगी। सरकार को यदि अद्भुत सफलता पानी है, तो देश को सामन्तशाही के गड्ढे से निकालना होगा। विभिन्न परिस्थितियों के कारण अमरीका आदि औद्योगिक रूप में विकसित देशों के उदाहरण की अपेक्षा हाल में तीव्र प्रगति करने वाले पिछड़े देशों का उदाहरण अपनाना हमारे लिये अधिक उपयोगी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं दो मिनट पहले घंटी बजा देता हूं। माननीय सदस्यों को नये विषय न छेड़ उतनी देर में अपने भाषण समाप्त कर लेना चाहिये।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा): आज योजना का युग है और यद्यपि योजना का आरंभ रूस से हुआ था, पर मैं प्रजातंत्र को आर्थिक योजना के लिये उपयुक्त मानने वाला हूं। मैं प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय योजना समिति और अब योजना आयोग के अध्यक्ष बन देश का नेतृत्व करने के लिये बधाई देता हूं और योजना मंत्री को न केवल इस देश बल्कि सभी के लिये उपयोगी महत्वपूर्ण योजना तैयार करने के लिये बधाई देता हूं। फिर भी रचनात्मक आलोचना के रूप में मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

पहली बात पूरे पूरे रोज़गार की समस्या है, जैसा कि संविधान में भी प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जीवित रहने और काम करने का अधिकार दिया गया है। यह समस्या बड़ी विकट है और शायद इसमें पूरी सफलता न भी मिले, पर उसके बिना सारी योजना व्यर्थ है। अतः हमारा लक्ष्य वही होना चाहिये। हमारी जनसंख्या अब ३५·७ करोड़ है। इसमें २४·९ करोड़ कृषि में और शेष अन्य पेशों में लगी हुई है। कृषि पूरे समय का व्यवसाय नहीं, अतः वे लोग कई महीने बेकार रहते हैं। इस कारण जब तक छोटे-छोटे घरेलू सहायक ग्रामोद्योग न खोले जायेंगे, तब तक उनको पूरे समय का काम न मिल सकेगा।

दूसरी बात खाद्य में आत्मनिर्भरता की है, जिसे राष्ट्रीय रक्षा का ही भाग समझना चाहिये, क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ जाने पर इस विषय में हमें बड़ी कठिनाई हो जायेगी। योजना में कुछ वर्षों तक ३० लाख टन आयात का अनुमान है। इस समस्या का यथार्थ रूप में सामना करने के लिये मैं खाद्य मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। योजना में मूल्य-नीति का निर्देश कर उस

[प्रो० आग्रवाल]

पर भी बल दिया गया है। पर पिछले वर्ष ३ लाख एकड़ ज़मीन में गन्ने अधिक किये गये। फलतः खाद्यान्नों के मूल्य पर चीनी का भांडार बढ़ गया। मेरा अनुरोध है कि सरकार सतर्कता पूर्वक उचित मूल्य नीति अपनाये।

फिर ज़मीन के पुनर्वितरण की महत्व-पूर्ण समस्या है। हमारी योजना गांवों और कृषि को अधिक महत्व देने के कारण ही पहले की योजनाओं से भिन्न है। इस दिशा में श्री विनोबा का प्रयास सर्वथा स्तुत्य है। भूमि के पुनर्वितरण का रूप निर्धारित करते समय किसानों की भूसंबंधी मांग को ध्यान में रखा जाय। एक परिवार की अधिकतम भूमि निश्चित कर देने पर भी बहुत अधिक भूमि पुनर्वितरण के लिये उपलब्ध न रहेगी, फिर भी थोड़ा सा भी पुनर्वितरण लोगों में यह नयी भावना फूंक देगा कि उनके लिये कुछ किया जा रहा है। पुराने विचारों तक के अर्थशास्त्रियों ने उदाहरणतः प्रो० वकील ने अपने **प्लानिंग फार ए शार्टेज इकानोमी (अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिये योजना)** ग्रंथ में सामूहिक और सहकारी खेती के स्थान पर लोगों की भूमि की कमी को दूर करने पर ही बल दिया है। हमें भूमि के स्थान पर स्रोतों का ही समूहन करना चाहिये। प्रो० मिट्रेनी ने भी **मार्क्स अगेन्स्ट दि पीजेन्ट्स ('मार्क्स किसानों के विरुद्ध')** में घनी खेती वाले छोटे फार्मों को सामूहिक और सहकारी खेती की तुलना में श्रेष्ठ ठहराया है। मैल्कोम डार्लिंग ने **मानचेस्टर गार्जियन** में छपे अपने एक लेख में यूगोस्लेविया के किसानों को व्यक्तिगत खेती अपनाते हुए ही बताया है। चीन-जापान वाले भी दो-ढाई एकड़ भूमि में ही घनी खेती कर हमसे दो-तीन गुना अधिक पैदा कर रहे हैं। आशा है, योजना-आयोग इन समस्याओं पर पुनर्विचार कर वही भूलें न करेगा और घनी खेती अपनायेगा।

नये देश में नया झंडा हो, तो वहां की शिक्षा-प्रणाली भी नई होनी चाहिये। दुख है कि वित्तीय तथा अन्य कारणों से गत चार वर्षों में हम इसे न बदल सके। दो-चार बुनियादी स्कूल खोलना ही गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को अपना लेना नहीं है। वह हमारे आर्थिक प्रासाद की आधार भित्ति होनी चाहिये। ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ, यद्यपि अमरीका और यूरोप के शिक्षाशास्त्रियों ने भी मेरे सामने इसका क्रांतिकारी महत्व स्वीकार किया था। इस का प्रयोग होना चाहिये। योजना में फिल्मी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये था। हमारी फ़िल्में शिक्षात्मक तो होती ही नहीं, उलटे वे अश्लील भी होती हैं। हमें उपयुक्त प्रकार के फ़िल्म बनाने चाहियें, क्योंकि वे हमारी नई पीढ़ी पर भारी प्रभाव डालेंगे।

लाखों व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली सामुदायिक परियोजनाओं का विचार भी स्तुत्य है और उन की रूपरेखा का आलेख भी सुंदर है। पर पूरे-पूरे रोज़गार के लिये घरेलू ग्रामोद्योगों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। दूसरे असरकारी लोगों की सहायता प्राप्त करने के लिये भी वैसा ही सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये, जैसा आदिम-जातियों के बारे में बुलाया गया था। सौभाग्य से महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस कार्य में सन् १९२० से जीवन समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। योजना को अंतिम रूप देने के बाद उन से बात करना विशेष उपयोगी न होगा।

'योजना के सिद्धांत' ग्रंथ में प्रो० लेविस योजना में जनता के उत्साह को उसका

सर्वस्व मानते हैं और उसके बिना सब कुछ असंभव बताते हैं। विदेशों में योजनाओं के विषय में ऐसा प्रचार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति योजना को सफल बनाने में अपना एक पुण्य कर्त्तव्य समझता है। हमें बताया गया है कि योजना काल आरंभ हो चुका है। यह ठीक नहीं। १५ अगस्त का स्वाधीनता दिवस योजना को आरंभ करने के लिये और जनता को इसका रूप समझाने के लिए चुनना चाहिए था। यदि उचित संगठन हो सका, तो भारत सेवक समाज बड़ी उपयोगी संस्था सिद्ध होगी और बहुत सफलता प्राप्त कर सकेगी।

श्री दामोदर मेनन : कुछ वर्षों से भारत में योजना की चर्चा थी। कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त कर एक योजना तैयार कराई। बम्बई के उद्योगपतियों ने भी युद्ध के बाद एक योजना बनाई थी। अब भारत सरकार ने इसे लिया है।

योजना-आयोग योजना की परिभाषा देता है : 'राष्ट्रीय योजना समुदाय के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों को एकत्र कर उन को समुदाय द्वारा स्वीकृत सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाने की दिशा में एक प्रयास है।' इस में पहली बात निश्चित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य है, दूसरी समुदाय के सभी संसाधनों को समेटना है और तीसरी इनको उस लक्ष्य-प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करना है। पहले लक्ष्य को लें, जो बिलकुल निरापद है। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का निर्देश कर यह लक्ष्य उन पर आधारित करने का यत्न किया गया है। पर प्रश्न यह है कि आप अपनी भावी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप के विषय में क्या स्वप्न देखते हैं? यदि हम केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते हैं, तो अपने विचार वैसे बदलने होंगे। मैं विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में हूं, पर योजना में विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को पूर्णतः नहीं अपनाया गया है। कांग्रेस की आर्थिक-कार्यक्रम-समिति के प्रतिवेदन के 'उद्योग' वाले अध्याय में भी खाद्य वस्त्र आदि उपभोग पदार्थों को विकेन्द्रीकृत और सहकारी रूप में ही रखने की सिफारिश की गई थी। दूसरी बात उस में आर्थिक असुरक्षा और विध्वंसक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए घरेलू और बड़े-बड़े उद्योगों के कार्यक्षेत्रों को निर्दिष्ट कर देने के बारे में है। मैं योजना-प्रणेताओं से पूछूंगा कि क्या उन्होंने वैसा किया है? क्या हम वैसी ही योजना बना रहे हैं? कृषि और उद्योग के निजी खंड में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। सच तो यह है कि पहले से विद्यमान कुछ परियोजनाओं का वर्गीकरण करने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया है। यदि आप वस्तुतः नया आर्थिक-सामाजिक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, तो आप को घरेलू और बड़े उद्योगों के क्षेत्र अलग करने का यह सिद्धांत अपनाना ही होगा।

परिभाषा की शेष बातें समुदाय के सभी संसाधनों को समेटना और उन्हें लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना है। जैसा प्रो० अग्रवाल ने कहा, हमें पूरे पूरे रोजगार पर ध्यान देना ही होगा। पूरे रोजगार के विषय में भविष्य की बात कही जा रही है। पर यही तो आज की सब से भीषण समस्या है और अशिक्षित किसान ही नहीं, हजारों शिक्षित व्यक्ति भी आज बेकार हैं। उनमें निराशा की भावना व्याप्त है और चाहते हुए भी वे इच्छित रूप में देश सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त किये गये एक आयोग ने इटली और जर्मनी जाकर वहां के विश्वविद्यालयों से निकलने वाले हजारों युवकों में निराशा छाई देख उन में विद्यमान क्रांति

[श्री दामोदर मेनन]

के अंकुरों के सम्बन्ध में चेतावनी दी थी। आज अपने युवकों में वही निराशा देखते हुए भी योजना-आयोग रोजगार के विषय में अस्पष्ट विचार रखता है और इसे शीघ्र आवश्यक महत्व नहीं दे रहा है। योजना में कुछ निदश भले हो, पर इस विषय पर कुछ निश्चित कार्यक्रम नहीं है। सामुदायिक योजनायें भले ही हों, पर ५०-६० गांवों को लेकर इधर-उधर कुछ उद्योग खोलने से ही यह समस्या हल न होगी। हम ने माना था कि प्रत्येक गांव दृढ़ आधार पर संगठित होगा और वहां की पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों, उत्पादनों और वितरण की योजना बनाई जायेगी। थोड़े से विकास केन्द्र खोल कर अपनाये जाने वाला यह प्रतीक्षा वाला कार्यक्रम लोगों में निराशा ही फैलायगा और यह जन-संसाधनों का अपव्यय होगा। इस दिशा में योजना आयोग असफल रहा है।

अब अन्तिम बात कार्यान्वित करने वाली साधनिका की है। सार्वजनिक खंड (सेक्टर) पर तो पूरा-पूरा विवाद हो चुका है, पर निजी खंड पर मुझे कुछ कहना है। योजना-प्रणेता जनता में उत्साह फूंकने के लिए भी पुरानी नौकरशाही के स्थान पर कुछ नई साधनिका न रख सके। उनके विचार से देहाती विकास के प्रशासन का पुनःसंगठन संभव नहीं, और सब कुछ कलक्टर द्वारा दिखाय गये चाव पर निर्भर ह। उन्होंने कलक्टर के सहयोजन संबन्धी तथा अन्य कर्त्तव्यों पर ही बल दिया है। पर शान्ति-व्यवस्था और प्रशासन संबन्धी भारी कामों के साथ ही ४-५ से लेकर १०-१५ समितियों तक के उदाहरणतः मधनिषेध समिति, कूप-खनन समिति और कल्याण-समिति आदि आदि के सभापति होने के कारण उस पर काम का बहुत बोझ है। उसे मंत्रियों आदि के स्वागत, यात्रा आदि का प्रबन्ध भी करना होता है। वह अति-मानव नहीं और ऐसे अतिमानव हमें चाहिएं भी नहीं। आप उस पर यह बोझ और रख रहे हैं, पर वह उचित समय और ध्यान न दे सकेगा। फिर आप केन्द्रीय सरकारी विभागों के सचिवों की परामर्शदात्री समिति बनाते हैं। मुझे उन से शिकायत नहीं। वे सच्चे-भले आदमी हैं। पर विकास-परियोजनाओं में देने के लिए उनके पास अवकाश और ज्ञान कहां? अतः इन काम से दबे हुए लोगों पर बोझ डालने से तो योजना सफल नहीं हो पायेगी। वे कहते हैं कि विद्यमान दशाओं में उपयुक्त स्वरूप की कार्यकारी योजना प्रस्तुत करने का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है, पर मैं देखता हूं कि उन्होंने उचित दिशा में और वे दिशाएं पैदा करने की ओर ध्यान नहीं दिया। अतः मेरे विचार से लक्ष्य निश्चित करने, संसाधनों के समूहन का कार्यक्रम बनाने और जनता का सहयोग पाने वाली कार्यनिष्पादन की साधनिका खोजने में आयोग पूर्णतः असफल रहा है।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : श्रीमान्, योजना मंत्री को उन के गांवों की सहायता के महान् कार्य के लिये बधाई देने के लिये आपने मुझे जो अवसर दिया उस के लिय मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जनता में निरक्षरता, निर्धनता आदि व्याप्त हैं, और ऐसे प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। नीलोखेरी का प्रयोग सफलतापूर्वक चलाने वाले श्री ऐस० के० दे द्वारा बनाई योजना के अनुसार देश में ५५ परियोजना-केन्द्र होंगे। ७२ छोटे एकक शीघ्र शुरू होंगे। केंद्रीय सरकार ३ करोड़ सहाय-अनुदान और ६ करोड़ रुपये ऋण देगी और चौथायी व्यय राज्य सरकारें सहेंगी। मुख्य सिद्धान्त होगा घनी और सुधरी हुई कृषि पर सब से

पहले ध्यान देना । फिर संचरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बातें होंगी । अनुभव के आधार पर अंतरिम प्रारूप में संशोधन हो सकेंगे और योजना परिवर्तित हो सकेगी। मुझे दो बातें सुझानी हैं । बंबई राज्य में तीन वर्ष से २७ सर्वोदय केन्द्र चल रहे हैं । एक में स्वयं पूना में चला रही हूं । सामुदायिक योजना से इस में सैद्धांतिक भेद है। धन, धर्म, जाति आदि पर आधारित शोषणों को स्थान न देकर सर्वोदय में सब को समान अवसर होता है । दलितों पर पहले ध्यान देकर सहयोग-भावना, अस्पृश्यता-निवारण, आर्थिक उन्नति, चरित्रनिर्माण, अच्छी खेती, अच्छी खाद, अच्छे पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्नान आदि पर विशष ध्यान दिया जाता है । पर न सामुदायिक योजनाओं में केवल पदाधिकारी ही जनता के पास जायेंगे और इस में संदेह ही है कि हमें वांछित सफलता मिल सकेगी । नीलोखेरी में सफलता इसी कारण हुई थी कि वहां स्थिति भिन्न थी । विस्थापित व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रथायें और धार्मिक विश्वास आदि पाकिस्तान में छोड़ आये थे और किसी भी प्रकार सुख-शान्ति चाहते थे । पर गांवों में हमें उन प्रथाओं और धार्मिक विश्वासों से लड़ना होगा । सरकार पदाधिकारियों की सहायता से यह समस्या नहीं निपटा सकती, हमें इन निर्धन और दुर्भाग्यशाली लोगों की दशा उन के पास जा-जाकर पूछने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता चाहियें और हमें दलितों की ओर सब से पहले ध्यान देना चाहियें ।

सामुदायिक परियोजना के परिमापन आदि में ३ महीने, कर्मचारियों के लिये मकान और सड़कें आदि बनाने में ६ महीने और योजना को तेजी से कार्यान्वित करने में १८ महीने लगेंगे । पर जनता का सहयोग न मिला तो ? राज्यों को चाहिये था कि परियोजनाओं के स्थल चुनने से पहले वहां की जनता को समझाते कि इस से उन्हें कैसे लाभ पहुंचेगा और किस प्रकार न्यायोचित रूप में और शीघ्रतापूर्वक यह योजना चलाई जायेगी ? गावों में सभायें कर तत्सम्बन्धी फ़िल्में आदि दिखाकर उन्हें सब कुछ समझाना चाहिये था । तब वह बिना मजूरी नहीं तो आधी मजूरी पर काम करने को तो तैयार हो ही जाते । तब हम वही क्षेत्र चुनते जहां लोगों के अधिकतम सहयोग की आशा होती । तभी सफलता भी मिलती । नहीं तो कर्मचारियों के मकानों, अस्पतालों, जीपों, ट्रैक्टरों, सड़कों आदि-आदि पर किया गया सारा व्यय व्यर्थ जायेगा ।

निर्धन भूखी गांव की जनता से मुफ़्त मजूरी करा कर योजना का दो तिहाई व्यय चलाने की आशा भी दुराशा ही है । वह अपनी दुर्दशा के कारण मुफ्त मजूरी करने पर तैयार नहीं होंगे ।

परियोजनाओं को यदि हम ठीक रूप में लें, तो वह अत्यंत सुन्दर हैं। मुझे बिना सरकारी धन के और बिना धनियों का धन गरीबों में बांटे ही अस्पृश्यता-निवारण चरित्र-निर्माण और आर्थिकस्तर के उन्नयन आदि में सफलता मिली है । प्राकृतिक धन और संसाधनों से ही अर्जित कर गत दो वर्षों में १४ गांवों में मैं ने ६००० रुपये बांटे हैं । तो मैं पूछती हूं कि क्या पूंजीवाद और सुधारवादी श्रम-व्यवस्था के बीच मध्यम मार्ग नहीं हो सकता ? क्या हम नागरिकों से ठोस रूप में और ईमानदारी से काम नहीं करा सकते ? हम नहीं चाहते कि श्रमिक आंख रखते हुए भी स्वयं न देखने वाले, कान रखते हुए भी स्वयं न सुनने

[श्रीमती मायदेव]

वाले और ज़बान रखते हुए भी स्वयं न बोलने वाले पशु बना दें।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): मेरे विचार से यह योजना साधारणतः बड़ी असंतुलित योजना है। अपने देश के युगों से चले आते बहुमूल्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण आशा थी कि इस में वह आध्यात्मिक भावनायें प्रतिफलित होंगी, पर इसका आधार तो नितांत ही भौतिक है।

११ म० पू०

रोटी ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री की इस शिकायत के कारण कि कुल आय का एक प्रति शत ही शिक्षा व्यय है, हमें इस योजना से आशा थी कि इस में उस के लिये उचित अंश रखा जायेगा। पर इस में कुछ नहीं है। २२२ पृष्ठ पर एक छोटे से पैरा के अलावा कला के लिये भी इस में कुछ नहीं है। हमें आशा थी कि प्रत्येक ज़िले में चित्रण, संगीत, मूर्त्ति आदि कलाओं के केन्द्र खुलेंगे और साहित्य को प्रोत्साहन मिलेगा, पर इस में कोरा अर्थशास्त्र ही है। विज्ञान आवश्यक है और उस के बिना कला निर्धन है, पर बिना कला के विज्ञान कोरी पशुता ही है। उस ओर के एक माननीय सदस्य के कथनानुसार इधर के लोग साहित्य-काव्य की बहुत चर्चा करते हैं। अनातोले फ़्रांस के शब्दों में मनुष्य साहित्य के कारण ही पशु से भिन्न होता है, और यदि इधर साहित्य है तो उधर शायद दूसरी बात है। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य-सरकारों द्वारा देहात में अधिकाधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, पर शायद अधिकाधिक का अर्थ कम है। राष्ट्रीय रंगमंच की दशा यह है कि सरकार कोल्हापुर की रंगशाला आर्थिक और कला सम्बंधी दरिद्रता के कारण बेचने जा रही है। फिर यदि देश के प्रत्येक गांव में एक छोटा सा भी पुस्तकालय न हो तो प्राथमिक शिक्षा का ९० प्रतिशत व्यय व्यर्थ जायेगा। अफलातून के शब्दों में पुस्तकालय प्रत्येक घर की आत्मा है। यहां घरों की तो कहे कौन, शहरों तक में अच्छे पुस्तकालय नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोई अच्छा पुस्तकालय नहीं है। और संसद् के पुस्तकालय में भी चाही हुई दस पुस्तकों में यदि एक मिल जाये तो बहुत समझिये। फिर यदि हम स्वयं संग्रहालय के रूप में न हों तो दिल्ली में एक संग्रहालय तक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य संसद् के सम्बंध में ऐसी बातें न कहा करें।

श्री खर्डेकर: मुझे खेद है। मैं कह रहा था कि शिक्षा ही प्रजातंत्र का आधार है और उसे महत्व दिये बिना हमारा प्रजातंत्र निःसार और निराधार हो जायेगा। शिक्षा के प्रसार और प्रकार दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देश में साक्षरता १५–२० प्रति शत ही है और कुछ संसद् सदस्यों द्वारा शपथ तक न पढ़ सकने और एक के द्वारा तो हस्ताक्षर तक न कर सकने की बात निश्चय ही लज्जाप्रद है। जब ८५ प्रतिशत लोगों की आदत अंगूठे लगाने की होगी, तो निश्चय ही यह 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का राज्य होगा। लिंकिन द्वारा की गयी प्रजातंत्र की प्रख्यात परिभाषा 'जनता द्वारा जनता के लिये जनता की सरकार' का उपहास एक फ़्रांसीसी द्वारा 'पशुओं द्वारा पशुओं के लिये पशुओं की सरकार' कह कर उड़ाया गया था। तो जब तक शासक सुशिक्षित

न हों और देश में सुशिक्षा न हो, प्रजातंत्र नहीं चल सकता । यह कार्य हजारों-करोड़ों रुपये व्यय करने पर भी अगले दस-पांच वर्ष में संभव नहीं है। मैंने गत छः वर्ष में सैंकड़ों प्राथमिक विद्यालय, रात्रि पाठशालायें आदि खुलवायीं हैं, और यदि सभी संसद् सदस्य इसका आधा भी काम करने लगें, तो यह समस्या हल हो जायेगी ।

राष्ट्रपति से लेकर जनसाधारण तक सभी इस शिक्षा-प्रणाली की निंदा करते रहे हैं और इसे नौकरशाही द्वारा क्लर्क पैदा करने के लिये गढ़ी हुई बताते रहे हैं । अब शिक्षा का उचित अर्थ लगाया जाना चाहिये। डा० जयसूर्य के शब्दों में भारतीयों को स्वतंत्र विचार करने की आदत नहीं है । अल्डुअस हक्सले के शब्दों में कम से कम शिक्षा देने वाला अध्यापक ही श्रेष्ठ अध्यापक है और सुकरात को मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों का ग्रहण करने के कारण एक गृहिणी की भांति सर्वश्रेष्ठ अध्यापक माना जाता है। वस्तुतः स्वयं स्वतंत्र विचार न कर सकने वाले लोग दासतुल्य ही हैं। केंब्रिज के एक प्रिंसिपल ने मेरे १५-२० भाषणों में प्रति सप्ताह उपस्थित होने की इच्छा पर आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा था कि क्या मैं स्वयं कुछ न पढ़ूंगा। पर हमारे यहां और इस संसद् तक में उपस्थिति पर बड़ा अनुशासन रखा जाता है । तो उस प्रिंसिपल ने अंत में मुझ से कहा था कि 'किंग' मेरी बहुत सराहना करते हैं। मुझे पता चला कि यह किंग सम्राट् नहीं, बल्कि सभी अवर-स्नातकों के विषय में स्वतंत्र विचार रखने वाली यह एक संस्था है। तो इस में प्रजातंत्र का तत्व है ।

संविधान सभा में मेरा अनुभव है कि प्रत्येक समस्या पर अन्त में यह तर्क दिया जाता था कि गांधी जी ने यह कहा है। पर गांधी जी का सत्य भी गलती और परीक्षण पर आश्रित था और उन्होंने भारी भूलें भी की हैं। अरस्तू का कथन है: 'मुझे अफलातून प्रिय है पर सत्य प्रियतर है।' एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के बुलाने पर मैं उससे मिलने गया, तो मुझ से किसी ने कहा कि वे बहुत व्यस्त हैं, दर्शन कर लीजिये । गांधी जी जैसे धर्म-प्राण राजनीतिज्ञ के लिये यह दर्शन ठीक है, उसी के द्वारा उन्होंने अनोखे ढंग से वह सफलता थोड़े समय में प्राप्त कर ली थी, जो दूसरे लोग ३०-४० वर्ष में न कर सके। पर सभी राजनीतिज्ञों के प्रति वैसी भावना चलती रही और लोग उन के कथन पर ही श्रद्धापूर्वक मतदान तक करते रहे, तो आत्मसम्मान के इस अभाव में प्रजातंत्र संभव न रहेगा। तो ऐसी शिक्षा प्रजातंत्र के लिये आवश्यक है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य): कल योजनामंत्री के भाषण आरंभ करने पर हमें आशा थी कि वे योजना की कुछ पेचीदियों पर प्रकाश डालेंगे । पर परियोजनाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में खेद-प्रकाश करके उन्होंने वह आशा तोड़ दी। न्याय का एक सिद्धांत है अच्छी न्याय-व्यवस्था प्रस्तुत करना ही न्यायाधीश का कार्य नहीं, बल्कि लोगों में न्याय सम्बन्धी विश्वास पैदा करना भी उसका कार्य है। यही बात कार्यकारिणी या सरकार के मंत्री के बारे में भी कही जा सकती है कि वह कुछ कलर्कों आदि के बारे में अपना संतोष ही न कर ले, बल्कि लोगों में यह धारणा भी जमा दे कि प्रशासन ठीक से चल रहा है । परियोजनाओं के प्रशासन सम्बन्ध में यही कमी है । इन्हीं कारणों से जलविद्युत् योजनाओं में सरकार को बहुत अपयश मिल रहा है।

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

योजना के ऊपर यथावश्यक महत्व देकर सरकार संन्तोषप्रद कार्य कर रही है, जिसके प्रति सभी सहानुभूति रखेंगे। पंचवर्षीय योजना जैसे विषय पर १५ मिनट में चर्चा असंभव है फिर भी मैं यत्न करूंगा, पर मेरा सुझाव है कि सरकार इस विषय पर संसद् सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये कम से कम एक सप्ताह का समय दे।

योजना कई वित्तीय पक्ष पर विचार करते हुए दही सिर पर रख कर ले जाने वाले उस ग्वाले की कहानी मुझे याद आ जाती है, जो सोच रहा था कि वह दही बेच कर बकरियां खरीदेगा और उन्हें बेच कर घोड़ा। घोड़े पर चढ़ने का अभिनय करते समय उसका दही बिखर गया और घड़ा टूट गया। वित्तीय उपबंधों में रही गोलमाल के कारण संभावी कठिनाइयों पर गंभीर विचार होना चाहिये। क्योंकि आर्थिक कमी के कारण बड़ी-बड़ी योजनायें असफल रहती हैं।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर): प्रतीक्षा कीजिये और देखिये।

श्री श्यामनन्दन सहाय: तब तक न आप रहेंगे और न मैं। पहले के एक वक्ता के शब्दों में इस योजना से दूसरा योजनाओं का जन्म होना चाहिये था। शायद इसी कारण भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान दिये बिना ही इस छोटी सी अवधि में बहुत कुछ ठूंस दिया गया है। अंग्रेजी सरकार की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना, असरकारी बंबई योजना, और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बनी कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति के बाद अब यह पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आयी है, जो बिना खून-पसीना एक किये सहज ही पूरी होने वाली नहीं है। पहले से विद्यमान बिखरी हुई चीजों को एकत्र कर उन्हें योजना नाम दे देना भी ठीक नहीं है।

वित्तीय आंकड़ों पर विचार करते हुए देखते हैं कि गत वर्ष के अपने २६ करोड़ रुपए के अतिरेक के आधार पर भारत सरकार ने १३० करोड़ रुपयों का उपबन्ध अपने पांच वर्ष के राजस्व लेखे के अतिरेक से किया है। इस वर्ष विदेशी व्यापार में लाभ के बल पर सौभाग्य से यह अतिरेक बच गया, पर क्या इस अस्थिर अतिरेक पर योजना को आधारित करना उचित है? सिद्धांत है कि पूंजी व्यय राजस्व लेखे में से न किया जाये, और कोई भी कर दाता पूंजी व्यय राजस्व लेखे में से करने के लिये सरकार को प्रोत्साहित न करेगा। भले ही इस वर्ष यह संभव हो गया हो, भविष्य के लिये कुछ कह देना कठिन है।

फिर विभिन्न विकास-कार्यों के लिये केन्द्र और राज्यों के राजस्व-लेखे में से अलग रखी गयी संरक्षित निधियां हैं। योजना आयोग ने उनको योजना के लिये उपलब्ध वित्तीय स्त्रोतों का ही अंग मान लिया है। उनमें से अधिकांश विकास-कार्य बिना योजना बनाए ही शुरू कर दिये गए थे। अधिकांश में अब तक कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए था। अतः यदि योजना-आयोग उनको बदलना चाहे, तो उसे राजस्व के नये स्रोत खोजने होंगे। उसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के विस्तार की भी अधिकांश योजनायें पहले से ही विद्यमान थीं। तो पहले से विद्यमान इस सारे माल को नई बोतलों में भर कर उसे योजना कह कर पुकारना ठीक नहीं है। ऐसे ही रेलवे विकास कार्य के लिये उपलब्ध ३० करोड़ रुपयों की योजना में समेट लिया जाना भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन में से भी सम्भवतः अधिकांश योजनायें पहले वर्तमान रही होंगी।

राज्यों की स्थिति और भी विषम है। उनके राजस्वों से पांच वर्ष में ८१ करोड़

रुपयों की राशि संचित होनी है। भारत के रक्षित बैंक के आंकड़ों के अनुसार भाग क और ख राज्यों में कुल मिलाकर सन् १९५०-५१ में ६ करोड़ और सन् १९५१-५२ में १२ करोड़ रुपयों का घाटा रहा था। वहां कुछ अतिरेक की भविष्यवाणी करना कठिन है। प्रदेशों द्वारा दीर्घकालीन ऋण लिये जाने का उपबन्ध भी पहले लिये गये ऋणों के प्रति सार्वजनिक प्रतिक्रिया की दृष्टि में उचित नहीं। यह बहुत कुछ संभव भी हो जाये, तब भी काफी घाटा रहेगा। अमरीकी खाद्य सहायता और कनाडा और आस्ट्रेलिया की सहायताओं के बाद भी २९० करोड़ रुपयों का घाटा रहेगा, जिसके बारे में कुछ दृढ़ प्रस्ताव न कर कुछ असंभावित बात हो जाने की आशा की गयी है। यह १४९३ करोड़ लागत वाले प्रथम भाग में २९० करोड़ रुपयों का घाटा कैसे पूरा होगा? फिर ३०० करोड़ का दूसरा भाग है जिसके अभी विवरण प्राप्त नहीं हुये। पृष्ठ ४९ पर योजना आयोग कहता है कि १९५१-५२ के आयव्ययक के स्तर को बनाये रख कर २६ करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत की जायेगी और राज्यों में सम्पति शुल्कों, विक्रय-करों, सुधार-करों और जल-करों से हुई अपेक्षा तथा अधिक आय द्वारा लगभग २१३ करोड़ रुपये प्राप्त हो जायेंगे। पर यह गणना बहुत बढ़ा कर की गई है। मंदी आ गयी है। विक्रय-करों में वृद्धि होनी संदिग्ध है। सम्पति शुल्कों के बारे में अभी पता नहीं कि कितनी सफलता होगी। राज्यों को और मदों में भारी घाटा हो सकता है। स्रोत प्रतिवेदन में बतायी सीमा तक फलप्रद नहीं भी हो सकते हैं। अब सफलता के लक्ष्य-बिन्दु को लें। कृषि पर ठीक ही काफी जोर दिया गया है। १९५६ तक खाद्यान्नों में ७२ लाख टन की वृद्धि हो जायेगी, जो १३.६७ औंस प्रति वयस्क प्रति दिन के वर्तमान स्तर तक पहुंचा देगी। देखें घाटा भी पूरा हो जाता है या नहीं। फिर खाद्यान्नों की यह वृद्धि बिहार में लगभग ८४ प्रतिशत, त्रावणकोर-कोचीन में ५४ प्रतिशत और पेप्सू में ४६ प्रतिशत बतायी गयी है। बिहार में कोसी परियोजना अभी भविष्य की वस्तु है और गंडक परियोजना अभी ली ही नहीं गयी, फिर पता नहीं बिहार में ८४ प्रतिशत की वृद्धि कैसे बतायी जा रही है? फिर भारत सरकार के सुझाव पर बिहार द्वारा हाथ में ली गयी नल-कूप योजना की प्रगति प्रतिवेदन में नहीं बतायी गयी। फिर बिना पूंजी के यह सब कैसे होगा? योजना सदैव एक संतुलित वस्तु है। उसका प्रत्येक भाग लाभप्रद नहीं भी हो सकता है। योजना प्रणेताओं को ध्यान रखना चाहिये कि योजना में लाभप्रद अंगों के साथ लाभ न देने वाले अंगों का भी उचित उपबन्ध हो। कुछ बातें तुरन्त फल न दें, देर में फल देने वाली भी होती हैं। इन बातों पर ध्यान न देने से आगे कठिनाई होगी। इस सम्बन्ध में शीघ्र और सुन्दर फल देने वाले उद्योगों की स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिये, जो वित्तीय कमी आदि को पूरा कर देंगे। अभी यह योजना का प्रारूप ही है और आशा है, सारे विषयों पर पूरा पूरा विचार करने के लिए सदन को अवसर दिया जायेगा।

श्री नन्दा: इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय मेरे सामने कई बंधन हैं और पहला यही कि मैंने ५५ बातें उत्तर देने के लिये नोट की हैं जब कि मेरे पास उत्तर देने के लिये इससे आधे मिनट भी नहीं हैं। दूसरा बंधन यह है कि माननीय सदस्यों के हाथ में योजना का प्रारूप ही है, और उनके द्वारा विविध विचार उसी के आधार पर व्यक्त किये गए हैं। यह प्रतिवेदन गत जुलाई में तय्यार हुआ था और माननीय सदस्यों का ज्ञान इसी तक सीमित है, जब

[श्री नन्दा]

कि पिछले महीनों में यौजना आयोग योजना से संबद्ध कार्यक्रमों और नीतियों पर और आगे भी विचार कर चुका है। योजना आयोग ने अनेकों व्यक्तियों और संघ-संस्थाओं के विचारों से लाभ उठाया है और उन की प्रतिक्रियाओं पर पूरा विचार कर कुछ निष्कर्षों पर पहुंच गया है, जो योजना के अंतिम स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर देंगे। इसके सिवा बदली परिस्थितियों और दिशाओं के प्रभाव को भी योजना के अंतिम रूप में स्थान देना होगा। योजना एक क्रमागत प्रणाली है और अंतिम योजना तक में फिर संशोधनों का अवकाश बना रहेगा। पंचवर्षीय योजन के आलेख के प्रकाशित होने के बाद के कुछ महीनों में विविध नीतियों और आधारभूत प्रश्नों पर पूरा २ विचार किया गया है। मुझे विदित है कि बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। अतः मेरी स्थिति कुछ विषम है क्योंकि अभी प्रारूप के अंतिम रूप प्राप्त न कर सकने के कारण मैं सभी संभवी परिवर्तनों को पहले से नहीं बता सकता और इसलिए मुझे वे ही बातें लेनी हैं जो योजना के प्रारूप पर प्रभाव डालती हैं। मैं अपने थोड़े से मिनटों में ही अपने विचारों को संक्षेपतः व्यक्त करने की चेष्टा करूंगा।

पहले बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने योजना के प्रकार और अपनाये जाने वाले उपायों की चर्चा करते हुए कहा था कि योजना के लाभों तथा समुदाय के विविध वर्गों की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए हमने विशेष कुछ नहीं किया है। सब मिलाकर कहा जाए तो इस आलोचना को उचित माना जा सकता है। पर विद्यमान दशाओं के कारण अनुमान के ही आधार पर हम कुछ आंकड़ों का प्रदर्शन कर इसे कुछ आकर्षक सा रूप नहीं दे सकते थे। अतः जहां तक योजना के आंकड़ों वाले पहलू का सम्बन्ध है, हमने उपलब्ध विश्वस्त आधारों तक ही अपने को सीमित रखा। मैं इन आंकड़ों और तथ्यों के इस स्वरूप से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। योजना के आंकड़ों संबंधी आधार को सुधारने के लिये विविध पग उठाय जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि योजना के अंतिम रूप में माननीय सदस्यों को दिखाई देगा कि योजना के परिणामों को आंकड़ों की भाषा में बताने का प्रयत्न प्रारूप की अपेक्षा कहीं अधिक किया गया है।

योजना विषयक दूसरी आलोचना यह थी कि यह सन्तुलित योजना नहीं है। यदि सदन के सभी वर्ग यही आलोचना करें और सभी माननीय सदस्यों का संतुलन के अभाव के बारे में यही दृष्टिकोण हो तब तो निश्चय ही यह एक गंभीर बात होगी। संतुलन के अभाव का अर्थ है कि कुछ बातों पर दूसरों की अपेक्षा अनुपाततः अधिक ध्यान देना। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के अभावों और विशेषताओं के विषय में सदन के विभिन्न वर्गों के बिल्कुल भिन्न २ मत हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने उद्योग पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरे महानुभावों का मत है कि हमें खाद्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। एक माननीय सदस्य का मत था कि हमने शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसका निष्कर्ष यही है कि यह न संतुलन का प्रश्न है न अनुपात का, यह योजना के आकार का प्रश्न है। और यह बहुत संगत प्रश्न है जिसका उत्तर देने की हमने पूरी चेष्टा की है और इस संबंध में मैं वित्तीय स्रोतों संबंधी टिप्पणियों पर थोड़ा सा विचार करूंगा, यद्यपि मैं वित्तीय पहलू को अधिक कुशल व्यक्तियों द्वारा बाद में विचार के लिए छोड़ दूगा।

समस्या यह है कि योजना का आकार वित्तीय-संसाधन तथा अन्य विविध दिशाओं में उपलब्ध पदार्थों के और हमारी आज की प्रशासनीय परिसामर्थ्य के—सूक्ष्म रूप में विविध कार्यक्रमों को चलाने की हमारी सामर्थ्य के—स्तर के निर्धारण पर निर्भर है। योजना के प्रकार के विषय में एक माननीय सदस्य ने उद्योगों के विषय में एक बात कही थी। वह यह थी कि एक तो हम ने उद्योगों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है और इस कारण हम देश की प्रगति को कम करते हैं। मैं इस बात का उत्तर तुरन्त दे दूं। हमें विदित है कि सार्वजनिक खंड में उद्योगों के लिये योजना में कोई बहुत बढ़ा उपबंध नहीं है। पर यह समझ लेना चाहिये कि अब देश में मिश्रित-अर्थव्यवस्था स्थापित की जा रही है। देश में उद्योगों की प्रगति अभी निजी खंड के ऊपर छोड़ दी गयी है। इस पर भी विचार होना चाहिये कि निजी खंड की सामर्थ्य कितनी है—हमने इसका कुछ निर्धारण किया है। योजना के प्रथम या द्वितीय भाग की राशियों में यह कहीं नहीं आता। यह भी कहा गया था कि निजी खंड के विषय में हमारी योजना कोई योजना नहीं है। हमने निजी लोगों की परियोजनाओं को ऐसे ही उठा कर योजना में सम्मिलित कर लिया है। निजी खंड में ठीक-ठीक उतनी ही योजना नहीं बनायी जा सकती, जितनी सार्वजनिक खंड में जहां राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है। पर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि निजी खंड के विषय में भी हम इतने असमर्थ नहीं हैं। वस्तुतः निजी खंड की विविध योजनाओं पर आयोग द्वारा उद्योग की प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधियों के साथ पूरा-पूरा विचार किया गया है, और ये योजनायें, ये कार्यक्रम उस विवेचन के ही परिणाम हैं। इन विवेचनों का लक्ष्य यह था कि इन योजनाओं को भी योजना के सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप ही रखा जा सके, यद्यपि यह ठीक है कि निजी खंड की प्रगति पूर्णतः उसी रूप में पहले से निश्चित नहीं की जा सकती, फिर भी निजी खंड में भी योजना को बहुत कुछ स्थान दिया गया है।

यह भी प्रश्न उठा था कि हमारे उद्देश्य पर्याप्त नहीं हैं और उनको तेजी के साथ ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। हम जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। यह निर्धन देश है, बहुत से लोगों को जीवन की साधारण वस्तुयें—भोजन, वस्त्र और मकान—तक नहीं मिलतीं। इसलिये विशेषतः उस दिशा में उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। हम रोजगार के स्थानों को भी यथासम्भव बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही एक दरिद्र देश में उस देश की अपेक्षा असमानतायें कुछ सही जा सकती हैं, जिसमें निम्नतम स्तर के लोगों तक के लिये कम से कम न्यूनतम पदार्थ तो उपलब्ध हैं। अतः हमारा उद्देश्य असमानताओं को क्रमशः कम करना है। हमारा चौथा उद्देश्य यह है कि यद्यपि हम पांच वर्षों में सब कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम इन पांच वर्षों में ऐसी दशायें पैदा कर दें, जिससे इस योजना से एक नयी पंचवर्षीय योजना पैदा हो सके—और ऐसी दशायें पैदा करने का निर्देश भी किया गया था। यह उतनी ही सीमा तक किया जा रहा है, जितना वर्तमान परिस्थितियों में संभव है। हम उपभोज्य-पदार्थों की मात्रा काफी न बढ़ा सकें—उतनी न बढ़ा सकें, जितनी अन्यथा बढ़नी चाहिये—पर हमारा लक्ष्य ऐसी दशायें पैदा करना है, जो आगे के पांच वर्षों में और उस से भी आगे चल कर हमें

[श्री नन्दा]

उस योग्य बना देंगी, जिस से देशवासी जीवन की कम से कम वे आधारभूत आवश्यकतायें तो पूरी कर सकें। इस पर भी विरोधी पक्ष द्वारा टीका-टिप्पणी की गयी थी। एक ओर हम से कहा जाता है कि हम पर्याप्त मात्रा में आधारभूत पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर हम से कहा जाता है कि हम उन परियोजनाओं में बहुत अधिक धन लगा रहे हैं, जिन से तुरन्त प्रतिफल नहीं निकलने हैं। हमें सब का संतुलन करना होगा और मुझे विश्वास है कि अपनी सामर्थ्य पर हम वर्तमान और भविष्य का संतुलन कर रहे हैं और इसलिये हम बहुत से संसाधनों को ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों में लगा रहे हैं, जो तत्काल फल भले न दें, पर आगे चल कर देश को उन समस्याओं को अच्छी तरह निपटाने में समर्थ बना देंगे।

उद्देश्यों में खाद्य की वृद्धि वाला अत्यन्त आवश्यक है और उस दिशा में यथासम्भव सब कुछ किया जा रहा है। सम्भव है कि तत्काल इसी वर्ष हम आयात समाप्त न कर सकें, पर मुझे विश्वास है कि योजना-काल में यह सम्भव हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरी दाईं ओर बैठे एक माननीय सदस्य द्वारा बिहार के विषय में रखे गये लक्ष्यबिन्दु की प्राप्ति के विषय में सन्देह प्रकट करते हुए कहा था कि "बिहार के विषय में वह संख्या...

श्री श्यामनन्दन सहाय : वर्तमान उपज के ऊपर ८४ प्रतिशत।

श्री नन्दा : .... सम्भवतः प्राप्त न हो सकेगी", उन्होंने अपनी टिप्पणी अपने वहां के निजी ज्ञान पर आधारित की थी। मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि योजना आयोग द्वारा इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से विचार हो रहा है। ये आंकड़े ऐसे नहीं, जो यहां गढ़ लिये गये हों। ये आंकड़े विविध परियोजनाओं और कार्यक्रमों-सम्बन्धी आकलनों के फल हैं, जिनके लिये स्रोत नियत किये जा रहे हैं और उनके फल आंके जा रहे हैं, और तब हम इन आंकड़ों पर पहुँचे हैं और इन लक्ष्यबिन्दुओं का निरन्तर पुनरीक्षण और पुनः परीक्षण किया जाता है और मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बिहार सम्बन्धी ताजे पुनरीक्षण ने हमें ८.७९ के लक्ष्यबिन्दु को ६.९७ तक कम कर देने के लिये विवश कर दिया है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यदि आप हमें कोसी और गंडक योजनायें दे दें तो हम आप को ८४ प्रति शत देंगे।

श्री नन्दा : कोसी और गंडक घाटी के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य ने वित्तीय स्रोतों की चर्चा करते हुए हमें बताया है कि यह काल्पनिक योजना है, जो हम पूरी न कर पायेंगे। उन्होंने हम से पूछा है कि हम यह सारा धन कहां से प्राप्त करने जा रहे हैं? साथ ही वह मुझे गंडक और कोसी को भी समेट लेने के लिये कह रहे हैं। यह बात नहीं कि हम यह नहीं चाहते—कोसी के विषय में जो कुछ सम्भव हो किया जा सकता है, पर वह कुछ ऐसी योजनाओं पर बल दे रहे हैं, जो उनके द्वारा बताये गये घाटे में डेढ़-दो सौ करोड़ रुपये और बढ़ा देंगी।

प्रश्न खाद्य और रोजगार का है। इस देश के लिये खाद्य जितने महत्व का प्रश्न है, रोजगार भी उतने ही महत्व का है। मुझे पता है कि इस देश में और विशेषतः देहाती क्षेत्रों में अनेकों लोगों को उचित रोजगार नहीं मिलता। बहुत से लोगों को पूरा-पूरा रोजगार नहीं मिलता। और

अनेकों को कम रोजगार मिलता है। इस समस्या पर इस देश के बहुत से लोगों द्वारा विचार किया गया है और रोजगार बढ़ाने के लिये और विविध उपायों द्वारा इसे पूरा-पूरा रोज़गार बना देने के लिये नाना सुझाव दिये गये हैं। बरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध शिक्षित मध्य वर्ग से भी है, पर देहाती वर्ग से तो बहुत ही अधिक है। हमने बेरोजगारों की इस समस्या पर बहुत विचार किया है। इस समस्या के विषय में यह सुझाव देने वाले माननीय सदस्य से मैं सहमत हूं कि जब तक आप इस समस्या को पूरे गांव के आधार पर न सुलझायें, आप इसे सुलझा नहीं सकते। और बेरोजगारी का प्रश्न तथा उपज की बृद्धि का प्रश्न इस देश की कुछ आधारभूत प्रणालियों से संबद्ध है। वे हैं—भूमि संगठन, भूमि व्यवस्था और उद्योग व्यवस्था के प्रश्न! और संभव है कि समस्याओं का संतोषप्रद हल करने से पहले कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़े। और ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता को पूर्णतः समझने के बाद ही गांवों के भावी संगठन के विषय में प्रारूप रूपरेखा में कुछ सिफारिशें की गयीं थीं। प्रश्न था कि क्या हम संयुक्त ग्राम प्रबंध के विषय में योजना में कुछ उपबंध करने जा रहे हैं। इस पर सदन में हम से कहा गया था कि हमें दो तिहाई जमीन-मालिकों का मत लेना होगा और वह ज़मीन भी गांव की अधिकांश ज़मीन भी होनी चाहिए। यदि हमें सहकारी ग्राम-प्रबंध का लक्ष्य प्राप्त करना ही है तो इस पर हमें पूरा पूरा विचार करना होगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है और मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उस के बिना रोजगार और कुछ सीमा तक अधिक उत्पादन की समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।

मझे बताया गया है कि जमीन के छोटे टुकड़े का उसे अधिक लोगो में बांट देने से लोगों की ज़मीन सम्बन्धी भूख शांत हो जायगी, और उन प्लाटों में उपज बढ़ाने के लिए घनी खती की जा सकेगी। घनी खेती कुछ बात है भी, पर वही सब कुछ नहीं। जमीन से उपज अधिक हो, इस के लिए संसाधन, सामग्री आदि दूसरी चीजें आवश्यक हैं। पर विद्यमान स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति तक उन्हें पहुंचाना और अधिकाधिक उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री उस के लिए जुटा देना संभव नहीं। इसलिए उत्पादन की दृष्टि से भी योजना में सन्निहित बातें आधारभूत हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उन को आगे चलाना है। मैं मानता हूं कि यदि हमें यह सहकारी योजना चलाना है, तो प्रारूप रूपरेखा में रखी गयी शर्तों की अपेक्षा कम मुश्किल शर्तें रखनी होंगी। इन बातों पर विचार हो रहा है। तो वे आधार क्या हैं, जिन से भू-व्यवस्था में ऐसा सुधार हो जाये जो रोजगार का प्रश्न सुलझ सके, उत्पादन बढ़ सके और तीसरे जसा बार बार कहा गया है, जमीन जोतने वाले किसान को पूरी पूरी प्रेरणा मिल सके? इस विषय पर सक्रिय विचार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि योजना के अन्तिम स्वरूप में माननीय सदस्यों को कुछ अधिक संतोषप्रद बात देखने को मिलेगी।

अभी मैं सारी बातें लूं तो एक घंटा और लगेगा। फिर सामुदायिक परियोजनाओं की महत्वपूर्ण समस्या है। सार्वजनिक सहयोग की भी बात उठायी गयी है, उस पर भी कुछ कहना है।

१२ मध्यान्ह

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम समय-तालिका का पालन

[उपाध्यक्ष महोदय]

करें । माननीय मंत्री पांच मिनट और ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पांच मिनट पीछे आरम्भ कर दिया था ।

श्री नन्दा : ठीक है, इस प्रकार मेरा आधा घंटा पूरा हो जायगा और मैं उतना ही लूंगा ।

सामुदायिक परियोजनाओं के संबन्ध में एक ओर अविश्वास की एक प्रतिक्रिया पैदा हो गई है और दूसरी ओर इसने आशा की भावना को भी बहुत कुछ जन्म दिया है। अतः हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रयोग को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ रूप में चलाया जाये । कई सुझाव आए हैं । मैं सब को नहीं ले सकूंगा । एक बात का मुझे निर्देश करना है कि सामुदायिक परियोजनाओं के प्रश्न का किस प्रकार उठाया जाये । मैं मानता हूं कि इसको देहाती क्षेत्रों की दशाओं और गांव वालों की मनःस्थिति के अनुकूल रूप में ही उठाना होगा, ऊपर से थोपी जाने वाली ढील डालने वाली प्रणाली के रूप में नहीं । जिला-समिति का अध्यक्ष कलक्टर क्यों हो ? कहा गया है कि कलक्टर के पास समय न होने के कारण इस से काम को क्षति पहुंचेगी । माननीय सदस्यगण यदि प्रारूप रूपरेखा को पढ़ें, तो उन्हें पता चलेगा कि विकास-आयुक्त और परियोजना-अफसर दो पूर्णकालीन व्यक्ति रखे गए हैं और अधिकाधिक सहयोग, सुविधायें आदि प्राप्त करने और सहयोजन करने के लिए कलक्टर को बीच में लाया गया है । मैं माननीय सदस्यों से एक बात और ध्यान में रखने के लिए कहूंगा : हमें पदाधिकारियों को अलग एक वर्ग नहीं समझना चाहिए। यह भावना हमें अतीत के उत्तराधिकार में मिली है और हमें इसे तिलांजलि दे देनी है । हमें सरकारी और असरकारी लोगों की खाई भरनी होगी । असरकारी लोगों को अधिक उत्तरदायी और सरकारी लोगों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए । यही हमारा लक्ष्य है और आशा है, पुराना रवैया बदल जायेगा ।

सार्वजनिक सहयोग के विषय में जोर दिया गया है कि यह योजना की सफलता के लिए एक अविच्छेद तत्व है; ठीक वैसे ही जैसे कि वित्तीय संसाधन और कार्यपद् प्रसाशन । ये योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए मुख्य पूर्वावश्यकतायें हैं । सार्वजनिक सहयोग के लिए उठाए गए पग सदन के सदस्यों को विदित हैं । मुझे यह सुझाव दिया गया था कि इस बनने वाले संगठन को बड़े ध्यानपूर्वक और सुदृढ़ रूप में संगठित किया जाये । मैं उस पर कुछ कहना चाहता था, पर समय सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहता । धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने के लिए मैं सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : योजना का निर्देश करने पर भी इस मांग (संख्या ३७) के वित्त मंत्रालय के अधीन होने के कारण मैं इसे वित्त मंत्रालय की अन्य मांगों के साथ मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा । मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ११६४ को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

बीमा नियमों का संशोधन करने वाली अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा

११४ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या १०२-१ एफ० (१) ५१ दिनांक २६ सितम्बर, १९५१ में प्रकाशित बीमा नियम, १९३९ के कुछ और संशोधनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या पी-२०/५२]।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन वित्त मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर विचार करेगा।

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	२५—वित्त मंत्रालय	८०,७७,००० रुपये
,,	२६—बहिःशुल्क	१,७४,११,००० रुपये
,,	२७—संघ उत्पादन शुल्क	४,४९,७९,००० रुपये
,,	२८—निगम कर सहित आय पर कर	२,८५,३६,००० रुपये
,,	२९—अफीम	२३,०१,००० रुपये
,,	३०—स्टाम्प	६७,१४,००० रुपये
,,	३१—अभिकरण सम्बन्धी विषयों के प्रशासन और खानों के प्रबन्ध के लिए अन्य सरकारी विभागों आदि को किए गये भुगतान	८,५५,००० रुपये
,,	३२—लेखा परीक्षा	५,०२,६२,००० रुपये
,,	३३—मुद्रा	१,५३,३६,००० रुपये
,,	३४—टकसालें	६५,०३,००० रुपये
,,	३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक निवृत्ति-वेतन	१५,३३,००० रुपये
,,	३६—आयुवर्द्धक्य-वृत्तियां तथा निवृत्ति-वेतन	२,०७,७५,००० रुपये
,,	३८—राज्यों को सहाय-अनुदान	८,८५,९६,००० रुपये
,,	३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय	८५,००० रुपये
,,	४०—विभाजन पूर्व के भुगतान	१,०५,८५,००० रुपये
,,	४१—असाधारण भगतान	११,१६,३५,००० रुपये
,,	१०९—भारतीय सुरक्षा-मुद्रणालय पर पूंजी-व्यय	६,३९,००० रुपये
,,	११०—मुद्रा पर पूंजी व्यय	२७,००० रुपये
,,	१११—टकसालों पर पूंजी व्यय	२२,०१,००० रुपये
,,	११२—निवृत्ति-वेतनों का निष्क्रमण मूल्य	६६,४३,००० रुपये
,,	११३—छंटनी किए गए व्यक्तियों को भुगतान	१,५२,००० रुपये
,,	११४—वित्त मंत्रालय संबन्धी अन्य पूंजी व्यय	१०,००,०३,००० रुपये
,,	११५—केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम धन	११,३७,३८,००० रुपये

संभरण से इन्कार

श्री वल्ला तरास (पुदुकोटै) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १ रुपये की कटौती की जाये।"

अपने पौण्ड पावने के बदले में भारत स्थित बृटिश परिसम्पत का अधिग्रहण

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विज़ियानगरम्) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पूंजी उद्ग्रहण का लागू किया जाना

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अप्रत्यक्ष करों में छूट

श्री० के० सुब्रह्मण्यम् : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

करारोपण सम्बन्धी नीति

श्री नाना दास (ओंगोलन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

विभाग सम्बन्धी नीति तथा बचत

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

सरकार द्वारा की गई अवमूल्यन विरोधी कार्यवाहियां

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

लेखा-परीक्षा आपत्तियों का प्रवर्तन तथा उन पर शीघ्र कार्यवाही

श्री वी० एन० मूर्त्ति (एलूरू) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों से माल का चौर्यानियन

श्री के० सुब्रह्मण्यम : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'बहिः शुल्क' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती जाये।"

नीति

श्री नाना दास : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'बहिः शुल्क' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

बहिः शुल्क नीति

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'बहिः शुल्क' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

नीति

श्री के० के० बसु: मेरा प्रस्ताव है कि :

"'संघ उत्पाद शुल्क' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

आयकर कर्मचारियों विशेषकर पश्चिमी बंगाल के आयकर कर्मचारियों की शिकायतें

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

आयकर जांच आयोग की कार्यवाहियां

श्री टी० के० चौधरी : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

छिपाई हुई आय के मामलों को निपटाने सम्बन्धी नीति

श्री टी० के० चौधरी : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग मे १०० रुपये की कटौती की जाय।"

कर अपवंचन

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

आयकर विभाग का कार्यकरण और नीति

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपय की कटौती की जाये।"

मितव्ययता

श्री नाना दास : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'लेखा परीक्षा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

कार्यकरण तथा नीति

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'लेखा परीक्षा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मुद्रा सम्बन्धी नीति तथा अवमूल्यन पर नियंत्रण

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'मुद्रा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतनों के भुगतान रोकने का प्रश्न

श्री नाना दास : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतनों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।".

नीति

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वार्द्धक्यावकाश भत्ते और निवृत्ति वेतनों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

वित्त नियंत्रक तथा रजिस्ट्रार संयुक्त स्कन्ध समवाय की कार्यप्रणाली

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

सांख्यकीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

सड़कों, जल वितरण, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षय तथा कुष्ट से सुरक्षण आदि के विकास के प्रश्न पर योजना आयोग को परामर्श देने के लिए प्रत्येक जिले में योजना समिति बनाने की आवश्यकता

श्री राजगोपाल राव (श्री काकुलम्) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

कृषि के स्तर में सुधार करने तथा भूमिहीन श्रमिकों के विषय में योजना आयोग को परामर्श देने के लिये प्रत्येक जिले में योजना समिति बनाने की आवश्यकता।

श्री राजगोपाल राव : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

रिजर्व बैंक द्वारा बीमा कम्पनियों के नियन्त्रण की नीति

श्री राजगोपाल राव : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग रुपयेमें १०० की कटौती की जाये।"

समुदाय विकास योजनायें

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'असाधारण भुगतानों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

विदेशी ऋण

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'असाधारण भुगतानों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पौण्ड ऋण

श्री के० के० बसु : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'असाधारण भुगतानों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भारत-अमरीकी प्रविधिक सहयोजन करार के अनुसार सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मेरा प्रस्ताव है कि :

"'असाधारण भुगतानों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

वित्तीय नीति

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये रुपये की कटौती की जाये।"

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

सभरणों से इन्कार

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अधिक अन्न उपजाओ अनुदानों का दुरुपयोग

पंडित एस० सी० मिश्र : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'असाधारण भुगतानों' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

संभरणों से इन्कार

पंडित एस० सी० मिश्र : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अन्य पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जायें।"

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के आयकर कर्मचारी की सेवाओं के एकीकरण से उत्पन्न हुई विषमतायें

श्री नसामनी (नागरकोइल) : मेरा प्रस्ताव है कि :

'निगम कर सहित आय पर कर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य को अधिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता

श्री नसामनी : मेरा प्रस्ताव है कि :

"'राज्य को अनुदान' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

श्री के० के० बसु : इस मंत्रालय के सरकार का केन्द्र विन्दु होने के कारण और सरकार की पूरी नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से ही मैं सभी कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। पहले तो करारोपण की पृष्ठभूमि है जो पुरानी अप्रत्यक्ष-प्रणाली पर ही आधारित है और इंगलैंड और अमरीका की अपेक्षा भी कहीं अधिक बोझ जनसाधारण पर डालता है। पहले तो तंबाकू के साधारण से उपभोक्या पर भारी कर है। फिर आय कर का ढांचा है, जिसे बदलने के लिये—न्यूनतम सीमायें बढ़ाने के लिये और विनियोजन के लिये पूंजी बचाने वाले वर्ग को कुछ छूट देने के लिये—सभी के द्वारा विशेषतः पूंजीपतियों द्वारा मांग की जाती रही है। फिर निगम का भी ढांचा बदलना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस सब के लिये कराधान जांच समिति बिठा दी जाये।

देश की प्रगति और राष्ट्रीय धन की वृद्धि के लिये उद्योगों की प्रगति आवश्यक है और उन्हें दिया गया १० करोड़ रुपये का सहाय-अनुदान बिलकुल तुच्छ राशि है। रक्षा-व्यय के १९७ करोड में से २०-३० करोड़ इस्पात रसायन आदि रक्षा के लिये अत्य वश्क उद्योगों को बढ़ाने में व्यय होने चाहियें, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति भी बढ़ेगी और सुरक्षा भी हो सकेगी।

आयात-नीती के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री विदेशी विशेषतः ब्रिटिश पूंजी की बड़ी वकालत करते हैं, पर राष्ट्रीय उद्योगों के हित में उस नीति को बदलना होगा।

[श्री के० के० बसु]

विदेशी स्पर्धायें न टिक सकने के ही कारण हिन्दुस्तान मोटर्स और किर्लोस्कर कारखाने को कुछ समय तक बंद होना पड़ा था। '(भारत में) संयुक्त' समवायों के नाम से चलने वाले विदेशी समवायों को सहायता देने वाली नीति भी बुरी है, क्योंकि भारी संसाधनों और अनुभवों के साथ आकर ये सार्थ देशी श्रम का शोषण करते हैं। यहां पूंजी की कमी की बात कही जाती है, पर ये सार्थ ३० करोड़ रुपये प्रति वर्ष लाभांश के रूप में विदेश भेजते हैं। यह विदेशी पूंजी हमारे बाजार का शोषण कर रही है। यदि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गुत्थियों से बचने के लिये उसे जब्त नहीं कर सकती तो कम से कम विशेष विधान बना कर यह लाभांश बाहर जाना तो रोक दे। विदेशी शाखा प्रबन्ध प्रणाली भी काफी शोषण कर रही है, ऐसा मेरा स्वयं अपने क्षेत्र का अनुभव है। फिर नौसिखिये यूरोपवासियों को ऊंचे वेतन और प्रशिक्षित भारतीयों को कम वेतन देकर भी ये शोषण करते हैं और अपने मकान, कारें आदि भी समवाय के हिसाब में से ही खरीदते हैं। यह हमारे संसाधनों का अपव्यय है। इसे बंद कर के हमें अपने विकास कार्य के लिये धन बचाना चाहिये।

सोवियत संघ से हमारे व्यापार के संबन्ध में वाणिज्य मंत्री ने दोष उनके ही उपर डाला था। पर क्या हमने रूस या पूर्व यूरोप के देशों में व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये हैं? बंबई सम्मेलन में रूस-सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि वे लोग रुपये में भुगतान ग्रहण करने को तैयार हैं। उस पर क्या कार्यवाही की गई है? हमें अपने विकास और उद्योगीकरण के लिये अवसर चाहिये और यह किसी एक छूट से मिल जाने की बात नहीं है।

जनता के रक्त को चूस कर इकट्ठे हुए पौंड-पावने का हम वार्षिकी खरीद कर के अपव्यय कर रहे हैं। हम उस से उद्योगीकरण में उपयोगी पूंजी-द्रव्य क्यों नहीं खरीदते? विदेशी सहायता भी आवश्यक है, पर शर्त हमारी ही होनी चाहिये। हमें अपने अनुभवों को याद रख कर सतर्क रहना चाहिये। अंग्रेज भी एक दिन व्यापारी ही बन कर आय थे। फिर अमरीका वाले भारत समेत दक्षिणपूर्व एशिया के बाजार का शोषण करने के लिये जापान में वृहत् इस्पात संयंत्र लगा रहे हैं। इधर कोलंबो योजना और हमारी पंचवर्षीय योजना से प्रकट होता है कि हमारा लक्ष्य १९३९ के स्तर को प्राप्त कर कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था ही खड़ी करना है। तो क्या हमें अपना उद्योगीकरण न कर अपने को उद्योग-प्रधान देशों का बाज़ार ही बना रहना है?

एक बात चीनी, तम्बाकू, केरोसीन, जूट आदि पर उपकर वसूल कर राज्यों के दिये जाने वाले सहाय-अनुदानों के विषय में और कहनी है। संविधान के अनुसार इसे राज्यों में वितरित करना चाहिये। सरकार ने चीनी पर करोड़ों रुपये इकट्ठे किये हैं। उसने इस उद्योग के सुधार और श्रम के लिये क्या व्यय किया....

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): चीनी पर केंद्रीय सरकार उपकर एकत्र नहीं करती है।

श्री के० के० बसु: इस विषय में मेरे प्रांत को विशेष क्षति उठानी पड़ी है। विषय वित्त-आयोग के विचाराधीन है। आशा है, पंजाब के साथ साथ स्वतंत्रता का सर्वाधिक मूल्य चुकाने वाले मेरे प्रांत की उचित मांग पर ध्यान दिया जायेगा और उसे न्यायोचित अंश चुकाया जायेगा।

श्री शोभाराम (अलवर) : वित्त जैसे पेचीदे प्रश्न पर कुछ कहना कठिन है, अतः मैं राजस्थान की ही समस्याओं को लूंगा। संघीय वित्तीय समन्वय के फलस्वरूप राजस्थान में १ अप्रैल १९५० से कृषि संबंधी आय छोड़ शेष आय पर आयकर लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद २७० के अनुसार होने वाले उसके विभाजन की समस्या पर मुझे यह कहना है कि भाग ख में के राज्यों में भी भाग क राज्यों वाले आधार पर ही आवंटन होना चाहिए और कोई विभेद नहीं रहना चाहिए। देशी राज्य-वित्तीय-जांच समिति की बात मानते हुए आयकर, उसके बांटने योग्य अंश, और व्यक्तिगत राज्यों को होने वाले आवंटन के अनुपात के सम्बन्ध में पहले से माने गए सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राजस्थान को भी भाग क राज्य वाले आधार पर ही आवंटन मिलना चाहिए। एक बार प्रतिशतक निश्चित होने पर फिर पहले पांच वर्ष तक निचली दरों में व्यवस्थापन किया जा सकता है। इस प्रतिशतक के निश्चय करने का न्यायोचित आधार मुझे तो जनसंख्या वाला आधार ही प्रतीत होता है। दूसरे लोगों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खपत के स्तर आदि तर्कों की अपेक्षा यह अधिक ठोस आधार है।

संविधान के वित्तीय उपबंधों पर विशेषज्ञ समिति की यह सिफारिशें देख मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि राज्यों को ६० प्रतिशत आयकर—२० प्रतिशत जनसंख्या और ३५ प्रतिशत संग्रह के आधार पर और ५ प्रतिशत राज्यविशेष की कठिनाइयां दूर करने के लिए—दिया जाय। अच्छा हुआ कि प्रारूप समिति ने इसे न मान यह बात वित्त आयोग पर छोड़ दी और आशा है वित्त आयोग स्वतन्त्र निर्णय करेगा। मेरा सुझाव है कि ६० प्रतिशत आयकर बांटा जाये। उसमें ९० प्रतिशत जनसंख्या और १० प्रतिशत सम्बन्धित राज्य की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर संविधान के अनुच्छेद ३०६ और संघीय वित्तीय समन्वय समझौते के अनुसार आंतरिक सीमा-शुल्कें १ अप्रैल, १९५५ तक हटा देनी चाहियें। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार राजस्थान में उसे उक्त तिथि से पहले ही हटा दे, पर राजस्थान राज्य घाटे में चल रहा है और सीमा शुल्कों के स्थान पर आने वाले बिक्री कर से वह घाटा पूरा न होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राजस्थान की इस कमी को आय कर में से सहायता देकर पूरा कर दे, क्योंकि इस अवधि को १ अप्रैल, १९५५ से आगे बढ़ाने की बात भी नहीं कही जा सकती। उससे लोगों को प्रशासन में विश्वास न रहेगा।

अब विशेषतः तम्बाकू-शुल्क के विषय में विधियों के अनुचित रूप में लगाये जाने के बारे में मुझे कुछ कहना है। राजस्थान में किसान को प्रति एकड़ ६—७ सौ और कभी कभी डेढ़—दो हज़ार रुपये तक देने पड़ते हैं, और उसे पता नहीं रहता कि क्या देना है, क्योंकि यह ऊपर से थोप दिया जाता है। केन्द्रीय आबकारी पुस्तिका (मैनुअल) के नियम २५ के अनुसार शुल्क चुकाने के लिये किसान के आवेदन पर निकटस्थ अधिकारी के सामने फसल तौली जाती है और निश्चित प्रपत्र में एक राशि भर कर उसे कोष में जमा करने की अंतिम तिथि बता दी जाती है। वहां के अधिकारियों ने फसल के जीवन, उसकी जांच, फसल काटने का प्रयोग और कर निर्धारण तक ही इसे सीमित कर रखा है। फसल के पंजीयन तक तो ठीक है, पर शेष कार्यों

[श्री शोभाराम]

के लिये कोई भी विधि उनको कोई अधिकार नहीं देती है।

यह बात नहीं कि किसान शुल्क चुकाना नहीं चाहते। कर निस्संकोच चुकाये जाने चाहियें और पदाधिकारियों को कोई ढील न डालनी चाहिये। पर किसान मांग पत्र में दिखाई गई उपजों और राशियों से सहमत नहीं हो पाते। आशा है सरकार इस सब के लिए सरल नियम बना कर उन्हें जनता में प्रचारित कर देगी। तम्बाकू शुल्क के विषय में मेरा एक सुझाव और है कि व्यक्तिगत खपत की मात्रा को १५—२० सेर से बढ़ा कर १ मन कर देना चाहिये, क्योंकि वहां वास्तविक खपत १ मन से भी अधिक है।

अन्त में किसानों के नाम बाकी पड़ी भारी राशियों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे यह कहना है कि उसे शीघ्र उगाहा जाय। राजस्थान आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा और अपेक्षाकृत निर्धन राज्य है और फलतः वहां का किसान अधभूखा और अधनंगा है। इसी से वहां की तम्बाकू-शुल्क संघीय राजस्व का मुश्किल से कुल आधा प्रतिशत है। कर निर्धारण की रीति के कारण बकाया बहुत बढ़ गई है और खाद्यान्नों के दाम में ४० प्रतिशत कमी आने से यह समस्या और भी कठिन हो गई है। मैं श्री त्यागी से वहां विशेष अधिकारी भेजने के लिए अनुरोध करूंगा जो दौरा करके बताये कि कितनी छूट दी जाये। तभी यह बकाया उगाही जा सकेगी।

आशा है कि वित्त-मंत्री इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : सबसे पहले देश के स्रोतों और व्ययों के आंकड़ों और विवरणों को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। फिर भी इस आयव्ययक से पता चलता है कि हम दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी देश बनते जा रहे हैं। पुराने चार वर्षों के आयव्ययक के आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने अब की बार जनता पर निर्दय प्रहार किया है। सन् १९४९ और १९५० में प्रत्यक्ष करों में २१ करोड़ की और साथ ही १४·८ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त छूट—कुल ३५ करोड़ रुपयों की छूट दी गई थी। यह युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की ओर दृढ़तापूर्वक बढ़ने के लिये और पूंजी-पतियों और जनसाधारण को प्रेरणा देने के लिये किया गया था। इस वर्ष उस ३५ करोड़ रुपयों की छूट को सहसा कुछ विशेष उद्देश्य के लिये ९० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त राजस्व-संग्रह में बदल दिया गया है।

वह योजनाओं को धन देने के लिये किया गया है। सारी की सारी योजनाएं विदेशी सहायता प्राप्त होने की शर्त पर आधारित हैं। सम्भव है जैसे कि कारण भी दीख रहे हैं कि अमरीका से प्रत्याशित सहायता न मिल सके और आंकड़ों और तथ्यों पर ध्यान दिये बिना जल्दी में बनायी गयी इस योजना से काम न चले। इसका फल यह है कि तीन वर्ष पहले जनता को दी गई प्रेरणा को वापिस लेकर अब हम उसके ऊपर और भी गहरा प्रहार कर रहे हैं।

इसे मितव्ययता का आयव्ययक बताया जा रहा है, पर अमरीका में

मितव्ययता चल सकती है। हमारे दरिद्र नारायण कैसे मितव्ययता कर सकते हैं। मेरी समझ से तो यह वर्तमान अभिशाप को भावी समृद्धि से संतुलित करना भर है। हम न केवल मध्य वित्त वर्ग को ही और अधिक निर्धन बनाने जा रहे हैं, बल्कि देहाती वर्ग की आय से भी बहुत कुछ छीन रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि वह जनता की क्रयशक्ति अनाप-शनाप बढ़ा देने के पक्ष में नहीं हैं। राजगोपालाचारी ने भी अंतिम महाराज्यपाल के रूप में कहा था कि देश में समृद्धि अब देहाती क्षेत्रों में पहुंच गई है। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस बात की पुष्टि के लिए तथ्य और आंकड़े हमारे सामने रखें।

मैं राज्यों को सहाय-अनुदान और ऋण और अग्रिम धन देने वाली मांग संख्या ३८ और ११५ को चुनूंगा। यह सब ३० वर्ष पहले मैस्टन पंचाट के समय से केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जा रहे हैं। यह राज्यों को सौंपे गये कामों में उनके असमर्थ होने पर दिए जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या संविधान में ऐसा कोई उपबंध है या वित्त मंत्रालय का ऐसा कुछ व्यवहार चल रहा है जिससे जाना जा सके कि यह धन उचित रूप में दिया जा रहा है और उचित रूप में व्यय हो रहा है? क्या कोई ऐसी गारन्टी है कि राज्य इस धन से सर्वांगीण वित्तीय दृढ़ता को नष्ट करने वाली योजनायें न अपनाये। मैं मद्य-निषेध का ही निर्देश करता हूं, जिसमें १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष अन्तर्ग्रस्त हैं। गांधीवादी होने के नाते मद्य-निषेध से मेरा कोई विरोध नहीं। पर मैं देखता हूं कि वह एक धोखा सिद्ध होने जा रहा है। उस विषय में विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं है, और वे सब मनमाने प्रयोग कर रहे हैं। विशेषतः मद्रास जैसे राज्यों ने तो पिछले अनुभव से भी कुछ नहीं सीखा है।

फिर विक्रय-कर को भी आय-कर के समकक्ष आधार पर ही रखना चाहिये। यह केन्द्र का विषय बना दिए जाए। मैं वित्त मंत्री को एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आशा है उसके फलस्वरूप उचित कराधान-प्रणाली का जन्म हो जायेगा। हमें याद है कि पुराने दिनों में विक्रय-कर के अनुपात के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने केंद्र से संघर्ष किया था। कराधान विषयक अधिकार पिछले पांच-छः वर्षों में केन्द्र से राज्य के हाथों की ओर बढ़ता रहा है। राज्यों के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय व्यवहार ने हमें यह दृढ़ निश्चय करा दिया है कि जब तक केन्द्र पिछली शक्तियों का पुनर्ग्रहण कर सुदृढ़ नहीं हो जाता, तब तक देश की अर्थ-व्यस्था खतरे में ही पड़ी रहेगी। मैस्टन पंचाट की स्थिति को ही मूलाधार मान कर हमें इन समस्याओं को सुलझाना होगा।

गत १५ वर्ष से अपनी पत्रकारिता के कारण मैं सभी मंत्रालयों के निकट संपर्क में रहता आया हूं। यद्यपि हाल में मैंने वह पेशा छोड़ दिया है, पर फिर भी इस बात पर वित्त मंत्री को कोई आपत्ति न होगी कि विविध मंत्रालयों पर वित्त मंत्रालय का आर्थिक नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है। उसके बचत प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हुए और ४०० करोड़ के आयव्ययक में कुल ५ करोड़ रुपयों की बचत की जा सकी है। आशा है वित्त मंत्री इसे तुरन्त ठीक करेंगे। आकलन-समिति, लोक-लेखा-समिति और महालेखा परीक्षक के कार्य सर्वथा सराहनीय हैं। डाक-तार विभाग के १९४९ के विनियोग लेखा और १९५१ की इसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि वित्त

[डा० लंकासुन्दरम्]

मंत्रालय का नियंत्रण नितांत प्रभावहीन है। रिपोर्ट की २४ से ३० तक की कंडिकायें देखने से पता चलता है कि विसंवाहक कवचित धरती के भीतर वाले टेलीफोन के तारों का जापान से ८२ लाख रुपये की लागत पर आयात किया गया था, और उन पर एक भारतीय फर्म को ७½ लाख रुपये (लगभग १० प्रतिशत) के लाभ की गुंजाइश छोडी गयी थी जब कि सामान्यतः यह ५ प्रतिशत ही छोड़ी जाती है। तो एक-एक मामला खोज-खोज कर हम कब तक भविष्य में सुधार का आश्वासन सुनते रहेंगे। मेरे विचार से हमें पूर्व-लेखापरीक्षा प्रणाली प्रचलित करनी चाहिये। इन आयातित तारों में से ४० प्रतिशत तो पहले ही खराब हो गये हैं। फिर यह स्थानीय उद्योगों से स्पर्धा करना है। इसी प्रकार कोलम्बो योजना के अधीन देश में आयात होने वाली मोटरगाड़ियां स्थानीय भाग जोड़ने वाली कम्पनियों के साथ स्पर्धा करने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक विविध मंत्रालय सहयोग से काम न कर अलग स्वतंत्र टुकड़ियां बने रहेंगे, तब तक देश की समूची अर्थ-व्यवस्था खतरे में पड़ी रहेगी।

मेरा सुझाव है कि एक छंटनी समिति नियुक्त की जाये, और कर्मचारीवर्ग संख्या में कम हो और अपेक्षतया अधिक कार्यकुशल और अधिक वेतन पाने वाला हो। हमारी यह नौकरशाही पहले की अपेक्षा कहीं बड़ी हो गयी है। दूसरी बात मुझे करों के बोझ के विषय में कहनी है। चार-पांच प्रमुख शीर्षों में राजस्व का आगम बदल रहा है। सीमा शुल्क दूसरे स्थान पर आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी कराधान-प्रणाली और उसके बोझ का कुछ परिमाप करें।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ३ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—383 PSD—15-7-53—285